तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३४

गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३
१४ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या ७०१, ७१७, ७०२, ७०५, ७०८, ७०९, ७११ से ७१६ और ७१८ से ७२०	३३६३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४ और ७०६ से ७०७	३३८५—८७
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२१ से १४४९ और १४५१ से १४५८	३३८७—३४०४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४०४—०५
प्राक्कलन समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	३४०५
आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री द्वारा वक्तव्य—	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	३४०५—०८
निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक—पुरस्थापित	३४०८
अनुदानों की मांगें—	
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	३४०९
श्री रंगा	३४०९—११
श्री ब्रह्म प्रकाश	३४११
श्रीमती रेणुका राय	३४११-१२
श्री यु० सिं० चौधरी	३४१२—१७
श्री भी० प्र० यादव	३४१७—१९
श्री पें० वेंकटासुब्बया	३४१९-२०
श्री विश्राम प्रसाद	३४२०—२४
श्री मानसिंह पृ० पटेल	३४२४
श्री कनकसबै	३४२४-२५
श्री गौरी शंकर कक्कड़	३४२५—२८
श्री रा० स० तिवारी	३४२८—३०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३

१४ चैत्र, १८८५ (शक)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुबोध हंसदा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रश्न संख्या ७०१ ।

†**डा० रानेन सेन** : मेरी प्रार्थना है कि दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी प्रश्न संख्या ७१७ भी इसी के साथ ले लिया जाये ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां । वे साथ में ले लिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर

+

†*७०१. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर दुर्गापुर से हुगली नदी तक कोयले की ढुलाई के लिये बेकार हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) इस कारण सरकार को कितनी वार्षिक वित्तीय हानि हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

177 (ai) LSD—1

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम की नहर

†*७१७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर बांध से कलकत्ता के निकट हुगली तक दामोदर घाटी निगम की मुख्य नहर पर एक माल परिवहन सेवा चलाने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ते के लिये कोयला ले जाने की सेवा चलाना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) आरम्भिक कार्य, जैसे नहर तक शाखा मार्गों का निर्माण तथा उनमें सुधार तथा नाव और बजरों का अर्जन, पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर एक परिवहन सेवा चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसे बीच एक प्राइवेट फर्म द्वारा दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर में एक अग्रिम परिवहन सेवा चलाये जाने की योजना पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ग) मुख्य सड़क से लदान गोदी तक पहुंच सड़कें करीब करीब तैयार हो गयी हैं। परिवहन सेवा चलाने के लिए जो अधिकरण स्थापित किया जाने वाला है, वही नाव और बजड़े प्राप्त करेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच नहीं है कि कुंही नाङक स्थान पर जहां इस नहर में भागीरथी नदी मिलती है, मिट्टी जम जाने के कारण नौचालन बहुत कठिन हो गया है ?

†**श्री अलगेशन** : इसके कई कारण हैं। वह १९५९ में तैयार हो गयी थी और तब बाद में बाढ़ आई और उस कारण कुछ ढाचों को नुकसान पहुंचा था। उन ढांचों को फिर खड़ा करने में कुछ समय लगा। मैं यह नही बता सकता कि किस दशा में मिट्टी जम गयी थी। अब नहर तैयार है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि नहर से मिट्टी निकालने के लिए सरकार ने एक ड्रेजर का आर्डर दिया है और क्या वह ड्रेजर सरकार को मिल चुका है ?

†**श्री अलगेशन** : दामोदर घाटी निगम ने ड्रेजर के लिए आडर्बर दिया है। वह अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मजदूरों के जरिये वह मिट्टी निकलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस नहर को सेवा योग्य बनाने की लक्ष्य तिथि क्या थी और १९५९ में हुए नुकसान के मरम्मत पर कितनी लागत आयी ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने पहले बताया, १९५९ में ही नहर पहले तैयार हो गयी थी। बाद में बाढ़ आयी और अब वह तैयार है। मरम्मत की लागत के सम्बन्ध में अभी नहीं बता सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि इस नहर को बनाने में दामोदर घाटी निगम का एक लक्ष्य यह था कि नौचालन हो सके। यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि दामोदर घाटी निगम के इतिहास में कभी भी नौचालन नहर तैयार नहीं हुई ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने बताया है कि नहर १९५९ में तैयार हो गयी थी और बाढ़ के कारण कुछ नुकसान हुआ था जो बाद में ठीक कर दिया गया। यह ठीक है कि दामोदर घाटी निगम का एक लक्ष्य नौचालन था। वहां सेवा चलाना और उसका विकास करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या पल्ला में लाक और रेग्यूलेटर की पूरी तरह से मरम्मत की जा चुकी है ?

†**श्री अलगेशन** : उनकी मरम्मत हो चुकी है। नहर पर बास के तीन अनधिकृत पुल हैं। कोई सेवा चालू किये जाने से पहले उन्हें हटाना होगा।

दुर्भिक्ष उन्मूलन

†*७०२. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के खाद्याभाव वाले क्षेत्रों में दुर्भिक्ष उन्मूलन के लिये विशेष वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभासचिव (श्री स० अ० मेहदी)** : (क) और (ख). कमी वाले इलाकों में उन योजनाओं के लिए, जिनके लिए स्वीकृत विविध विकास योजनाओं के अधीन ऋण दिये गये हैं, अब कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

†**श्री सुबोध हंसदा** : दामोदर घाटी निगम जैसी बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में जो सिंचाई क्षमता तैयार की जा रही है, उसका उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : कमी वाले इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है। यह पहली पंचवर्षीय योजना में, तीसरे वर्ष से, २७६४.२५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२३७ लाख रुपये की व्यवस्था थी। अब वह तीसरी योजना में आगे नहीं लायी गयी है और योजनाएँ बनाते समय उस पर ध्यान देना अब राज्य सरकारों का काम है।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि कमी वाले इलाकों में ये सभी सिंचाई योजनाएँ बनाना राज्य मुख्यतः सरकार का काम है। क्या यह सच है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में स्वीकृत रकमें खर्च नहीं कर सकी हैं और यदि हां तो वे कौन कौन हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सै० अ० मेहदी : जो योजनाएं दूसरी योजना से आगे लायी गयी हैं उन्हें तीसरी योजना में अब पूरा किया जा रहा है । लेकिन कोई अन्य विशेष नियतन नहीं किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : जब पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कुछ रुपया रखा गया था तो तीसरी योजना में इसे क्यों समाप्त कर दिया गया है और क्या अभी भी इस पर विचार किया जा रहा है कि रुपया इसके लिए रहना चाहिये ।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : यह समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि जैसा मैंने कहा एप्रूव मिसलेनियस डिवेलेपमेंट जो स्कीम्ज़ हैं, उनमें इसको तीसरे प्लान में रखा गया है । यह नई चीज़ तीसरे प्लान में रखी गई है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि इस देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां बार बार पानी की कमी की वजह से फसलों को हानि पहुँचती है इसलिए उन हिस्सों का खास तौर से ख्याल होना चाहिये ?

श्री सै० अ० मेहदी : करीब १३ स्टेट्स को फर्स्ट और सैकिंड प्लान में मदद दी गई थी और वहीं यह समझा जाता है कि यह दिक्कत ज्यादा सख्ती से है ?

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या खासकर छोटी सिंचाई के लिए कोई अतिरिक्त रकमें नियत की गयी हैं और यदि हां तो क्या उन राज्यों को जो खेती की पैदावार में पिछड़े हैं, छोटी सिंचाई के लिए कोई अतिरिक्त सहायता मिलेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, छोटी सिंचाई का विषय खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन है । उसने छोटी सिंचाई के लिए अधिक रकमें नियत की हैं ।

श्री यशपाल सिंह : राजस्थान के इलाके जहां से लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मालवा जा रहे हैं, उनको क्या माइग्रेशन फैसिलिटीज़ कुछ दी गई हैं ताकि वे दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर सकें ?

श्री सै० अ० मेहदी : जैसा अभी कहा है राजस्थान को पहले प्लान में १४७ लाख रुपया और दूसरे में १२७ लाख रुपया दिया गया था । माइनर इरिगेशन की जो आपने बात कही है, वह तो फूड मिनिस्ट्री के अन्दर जाती है और उन्होंने ज़रूर इसमें कुछ किया है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार जानती है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां नियमित रूप में दुर्भिक्ष पड़ता है और क्या उन क्षेत्रों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की कोई खास ज़िम्मेदारी नहीं है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : मैंने बताया है कि ये मदें विविध विकास योजनाओं के अन्तर्गत आती हैं । राज्य सरकारों ने दुर्भिक्ष वाले क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की है। लेकिन पिछली दो आयोजनाओं में अलग से कोई रकमें नहीं रखी गयी हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पहली और दूसरी आयोजनाओं में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई के विशेष प्रयोजन के लिए जो रकमें रखी गयी थीं उनमें से कितनी कितनी रकमें खर्च नहीं की जा सकीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सै० अ० मेहदी** : मुझे सूचना चाहिये।

†**श्री पं० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि इस सरकार ने प्रत्येक राज्य में कुछ अग्रिम परियोजनाएँ चालू की हैं और राज्यों को वह रकम अपनी योजनाओं से खर्च करने के लिए कहा गया था लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी सहायता अस्वीकार कर दी गयी हैं और यदि हां तो क्या वह अपनी राय बदलेगी और सूखे इलाकों के लिए अतिरिक्त रकमें देगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री रंगा** : सरकार ने हमें पहले बताया है कि उसने राष्ट्रीय आपत्ति बीमा निधि कायम की है। क्या हम यह समझें कि अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस निधि से कोई रकम नहीं दी जा रही है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : कमी वाले क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य ने जिस निधि का उल्लेख किया है उसका उपयोग इस प्रयोजन के लिए भी किया जा रहा है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि मुझे सूचना दी जाये, तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

†**श्री रंगा** : उसने इस साल के बजट में ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें मालूम नहीं है। वह उस बारे में देखेंगे।

डिब्बों पर औषधियों के मूल्य का लिखा जाना

†*७०५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्य डिब्बों पर लिखवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) निरीक्षणालयों में (१) निर्माण स्थानों तथा (२) वितरण स्थानों पर वर्तमान व्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ किया गया है; और

(ग) गत छः वर्षों में (१) केन्द्रीय निरीक्षणालय तथा (२) राज्य अभिकरण द्वारा अपमिश्रण के कितने महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ख) (१) और (२) विभिन्न राज्यों और राज्य क्षेत्रों में पूरे समय के औषधि निरीक्षकों की संख्या ३१-३-६० को ९६ थी जो अब १४२ तक बढ़ा दी गयी है। चूंकि औषधि नियमों के नियम ४९ के अधीन औषध निरीक्षकों के लिए एक ही प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं; और आखिर उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें निर्माणकारी प्रतिष्ठानों के या बिक्री तथा वितरण प्रतिष्ठानों के निरीक्षण पर तैनात करना राज्यों/प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है।

(ग) (१) चूंकि अभी तक कोई केन्द्रीय निरीक्षक नियुक्त नहीं किये गये हैं, इसलिये अपमिश्रण के मामले पकड़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) गलत और स्टैण्डर्ड से नीचे की दवाइयों के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी १०६४/६४]** इस समय अपमिश्रित औषधियों की कोई श्रेणी नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने इस मामले में कुछ करने के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन विवरण से मालूम पड़ता है कि सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में न तो कोई स्वास्थ निरीक्षक या औषधि निरीक्षक नियुक्त किये हैं और न ही मूल्य सूचियों में मूल्य अंकित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं। सरकार इसका क्या कारण बताती है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : वित्त मन्त्रालय काफी समय से केन्द्रीय निरीक्षकों की नियुक्ति के प्रश्न की छानबीन कर रहा है और हम उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं कर सके हैं। हमने सोचा कि हम राज्यों की कार्य प्रणाली में ही यथा सम्भव कुछ सुधार करें। मूल्यों के सम्बन्ध में हमने भारत रक्षा नियमों के अधीन आदेश जारी कर दिया है कि जिसके अनुसार आयात करने वालों या थोक बेचने वाले को यह अंकित करना पड़ता है कि फुटकर बेचने वाला अधिक से अधिक कितनी कीमत ले सकता है। लेकिन वास्तव में वह, प्रतियोगिता के कारण, अधिकतम सीमा से कहीं अधिक कम कीमत पर बेचते हैं। डर यह था कि यदि इस दशा में परिचयों पर दाम लिखे जायें तो दूकानदार उससे कहीं कम कीमत पर बेचने के बजाय उसी दाम पर बेचेंगे। लेकिन किसी भी हालत में वे अधिकतम से ज्यादा कीमत नहीं ले सकते। इसलिए शोषण नहीं हो सकता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सभा में और बाहर कई बड़े बड़े वक्तव्य देने के अलावा, मन्त्रालय ने पिछले छः महीनों में स्थिति सुधारने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाये हैं और क्या स्थिति सुधरने के कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : कई कार्रवाइयां की जाती हैं। विभिन्न राज्यों से निरीक्षकों के लिए हमने विशेष प्रशिक्षण संगठित किया है, राज्य सरकारों से इस विषय पर चर्चा की है जिससे अनेक राज्यों में निरीक्षकों की संख्या बढ़ गयी है। किस्म नियन्त्रण के लिए सक्रिय कदम उठाये गये हैं। मूल्य अंकित करने के लिए जारी किये गये आदेशों से औषधियों के मूल्य कायम रखने में काफी मदद मिली है।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : यदि इन बातों की ओर ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों से कहा जा रहा हो तो केन्द्रीय निरीक्षकों के क्या काम होंगे और उन को तथा राज्यों के अभिकरणों को किस प्रकार काम बांटा जायगा ?

†**डा० सुशीला नायर** : वित्त मंत्रालय के साथ इसी बात पर चर्चा हो रही है। केन्द्रीय निरीक्षक राज्य की सीमाओं को पार कर क्षेत्रीय आधार पर काम करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बनावटी और निम्न स्तर की दवाइयां तैयार एक राज्य में की जाती हैं और बेची जाती हैं दूसरे राज्य में और जब अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो राज्य की सीमाओं के कारण नियमों को लागू करना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। केन्द्रीय निरीक्षक राज्यों की सीमाओं से परे काम करेंगे।

†**डा० कोलाको** : क्या सरकार ने देश में ही कम कीमती औषधियां तैयार करने के लिए कोई कदम उठाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग सवाल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लिये संयुक्त विद्युत् "पूल"

*७०८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्यों का संयुक्त विद्युत् 'पूल' बनाने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था उस के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभासचिव (श्री सै० अ० मेहदी) : पंजाब की और दिल्ली की बिजली प्रणालियों को इकट्ठा चलाने के सम्बन्ध में अध्ययनों की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तात्कालिक परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश–पंजाब–दिल्ली अन्तर्सम्पर्क के सम्बन्ध में अल्पकालीन उपाय निकालने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने के लिए सोच रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कोई आक्षेप तो नहीं लगा रहा हूं, परन्तु माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि यदि हिन्दी में उत्तर पढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई अनुभव होती हो तो वे उत्तर दो-तीन बार पहले पढ़ कर अभ्यास कर लिया करें।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन सरकारों से जो बात चीत चल रही है उस में उन राज्य सरकारों ने क्या रुख अख्त्यार किया है ? क्या वे सहयोग देना चाहती हैं ? कम से कम बुनियादी तौर से वे सहमत हो गई हैं या नहीं ?

श्री सै० अ० मेहदी : एक मीटिंग बुलाई गई है जिस में तीनों सरकारों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ बुलाये गये हैं। वे इस चीज पर गौर कर रहे हैं। जहां तक यू० पी० सरकार का ताल्लुक है, उस ने इस की इजाज़त दे दी है कि दिल्ली और गाजियाबाद के मिलाने की बात सोची जाय। और बाकी चीजें अभी ज़ेरे गौर हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि यमुना के पानी और बिजली के बटवारे को ले कर उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में गहरा मतभेद पैदा हो गया है ? और जब तक वह मतभेद दूर नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती, इस लिये उस मतभेद को दूर करने के लिये क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सै० अ० मेहदी : यह जो मीटिंग होगी वह इन सब बातों पर गौर करेगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या पंजाब से दिल्ली तक पानी छोड़ने के सम्बन्ध में सारा झगड़ा तय किया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्या इस बैठक में उस पर विचार किया जायगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** वह इस से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस में प्रपोर्शनली कितना शेअर पंजाब का रहेगा और कितना यू० पी० और दिल्ली का ?

श्री सै० अ० मेहदी यह फैसला तो अभी नहीं हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यही तो झगड़ा है ।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बया** : माननीय सभा सचिव ने बताया कि यह व्यवस्था थोड़े समय के लिए होगी । देश में जो क्षेत्रीय बिजलीघर बनाये जाने वाले हैं क्या उन के अनुरूप यह व्यवस्था होगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : जी हां, यही कल्पना है ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब तक हो जायेगा, और इस निर्णय के होने के पश्चात् इस में खर्च कितना बैठेगा ?

श्री सै० अ० मेहदी : अभी फरवरी सन् १९६३ में इस कमेटी की एक मीटिंग हुई है और अब उस की एक रिपोर्ट आई है । उस पर गौर करने के बाद कोई बात तय की जायेगी ।

†**श्री हेडा** : चूंकि यह प्रश्न संयुक्त बिजली संग्रह के सम्बन्ध में है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के राज्यों को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग बात है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पंजाब और दिल्ली के बीच बिजली के वितरण के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था की गयी है और यदि हां तो क्या वह दीर्घकालीन या अल्पकालीन व्यवस्था होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : उत्तर उसी में है । हम दोनों प्रणालियों को एक में मिलाने के बारे में सोच रहे हैं और छानबीन पूरी हो जाने के बाद हम कोई कार्यवाही करेंगे ।

आयकर अपवंचन की शिकायतें

\+

†*७०६. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को थैकरसे संस्थाओं के विरुद्ध आय-कर अपवंचन की शिकायतें मिली थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संस्थाओं के मामलों की जांच करने का निर्णय किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) दो फर्मों के खिलाफ कर की चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । उन फर्मों में थैकरसे परिवार के सदस्य साझेदार थे ।

(ख) और (ग). इन आरोपों की जांच पड़ताल की गयी और यह पता लगा कि तीन में से दो आरोप निराधार हैं । तीसरे आरोपों की जांच पड़ताल हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : तीसरे पर जो इनवेस्टीगेशन हो रहा है उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह इनवेस्टीगेशन तो खत्म हो गया होता पर श्री मेहता, जिन्होंने कम्प्लेंट की थी, उन के पास जो कागजात थे उन के बारे में कहा गया कि वे कागजात इनकम टैक्स अफसर के पास आने चाहिए और उन के बारे में एनक्वायरी होनी चाहिए और श्री मेहता से पूछताछ होनी चाहिए । लेकिन ये कागजात अभी तक नहीं दिये गये हैं इसलिए यह एनक्वायरी खत्म नहीं हो पायी है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह बताया जायेगा कि जो आरोप लगाये गये हैं वे किस किस्म के हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तीन आरोप लगाये गये थे, एक तो यह था कि लक्ष्मी काटन ट्रेडर्स, जिस में थाकरसी परिवार का एक सदस्य था, ने अफगान और भरोच रुई की खरीद बहुत ऊंचे दामों पर की । जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि यह बात सही नहीं है । दूसरा चार्ज यह था कि चाइना काटन एक्सपोर्टर्स ने अंडर इनवाइसिंग की थी । उसके बारे में जांच पड़ताल की गयी और उस के बारे में भी यह मालूम हुआ कि चार्ज बिल्कुल गलत था । तीसरा जो चार्ज था यह था कि उन्होंने बहुत कम दामों पर तीन फर्मों को यानी रेयन हैंडलूम इंडस्ट्री, नेशनल हैंडलूम फैक्टरी और प्रभात टैक्सटाइल्स को रुई बेची । इस के बारे में जांच पड़ताल हो रही है ।

†**श्री रा० बरुआ** : क्या इन थैकरसे संस्थाओं का कुल निर्यात और आयात मालूम करने का कोई प्रयत्न किया गया है और क्या यह मालूम किया गया है कि उन्होंने इन्वायस का मूल्य कम या ज्यादा दिखाया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल निदेशक ने पूरी पूरी जांच पड़ताल की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार जानती है कि मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के खिलाफ भी कर की चोरी के आरोप लगाये गये हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि नहीं, तो क्या उसका जांच करने का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन फर्मों के बही खाते जब्त कर लिये गये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैंने बताया, जांच पड़ताल निदेशक ने पूरी पूरी जांच पड़ताल की और यह पता चला कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और जो जांच पड़ताल की गयी थी वह पूर्णतः तथ्यों के आधार पर थी ।

आयुर्वेदिक स्नातक

+

†७११. { **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
　　　 श्री बड़े :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक स्नातकों को नौकरियों में वही सुविधायें प्राप्त हैं जो एलोपैथिक स्नातकों के लिए उपलब्ध हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इसे सम्बन्ध में क्या प्रयत्न कर रही है ;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान आपातकाल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भी सहायता ली है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में कितने आयुर्वेदिक स्नातकों की सहायता ली गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सेवा की शर्तों का विनियमन राज्य सेरकारें करती हैं। जैसा वे उचित समझें वैसी सुविधायें देना उन्हीं का काम है। वेतन तथा सेवा चिकित्सक की योग्यताओं पर निर्भर करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कालेजों द्वारा दी जाने वाली योग्यतायें अपेक्षाकृत ऊंची मानी जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओंकार लाल बैरवा : मैं जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद के स्नातकों को क्या सरकार ने आधुनिक विषयों की शिक्षा देने का कोई विशेष प्रबन्ध किया है ?

डा० सुशीला नायर : जी आयुर्वेद वालों को आधुनिक शिक्षा देने का तो कोई सवाल नहीं उठता। जो पुराने कालिजेज चलाये गये थे उन में कुछ आधुनिक विषयों का भी उन को ज्ञान दिया जाता था, मगर, जैसा मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया है, बहुत से पुराने प्रकार के पक्के वैद्य लोग इसका विरोध करते थे। प्लानिंग कमीशन ने एक पैनेल बुला कर उन की सलाह ले कर यह फैसला किया कि आयुर्वेद वालों को शुद्ध आयुर्वेद का ही शिक्षण मिलना चाहिए।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के स्नातक जब अपना कोर्स पूरा कर के डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उनके वेतन में कोई फर्क किया जाता है ? अगर हां, तो क्यों ?

डा० सुशीला नायर : ऐसा माना गया है कि आधुनिक मैडीसिन की शिक्षा लम्बी भी होती है और जो स्नातक निकलते हैं, अधिक योग्यता हासिल कर के निकलते हैं, अधिक खर्चा भी अपनी पढ़ाई पर करते हैं। उन को वेतन भी अधिक मिलता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जामनगर में केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में कोई आयुर्वेद का विशेष अनुसंधान का महासिवद्यालय या विद्यालय चल रहा था और उस को अब गुजरात राज्य की सेरकार को दे दिया गया है अथवा किसी प्राइवेट संगठन को दे दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

डा० सुशीला नायर : गुजरात में एक अंडर ग्रैजुएट आयुर्वेदिक कालिज चलता था जोकि एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाया जाता था। वहां पर एक पोस्ट ग्रैजुएट ट्रेनिंग सैंटर और एक रिसर्च सैंटर केन्द्रीय सेरकार के तत्वावधान में चलता था। बात सोच विचार के बाद इस चीज के बारे में बहुत रस रखने वाले और जानकारी रखने वाले लोगों की यह सलाह हम को मिली कि अगर आप अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट और रिसर्च इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो इससे आयुर्वेद का अधिक विकास हो सकेगा। अब क्योंकि अण्डर ग्रैजुएट आयुर्वेद का शिक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं चलाया जा सकता था, तब यह तै पाया कि गुजरात राज्य सरकार के तीन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सरकार के तीन प्रतिनिधि और जो प्राइवेट संस्था अंड ग्रेजुएट कालिज कहलाती थी उन के तीन प्रतिनिधि ले कर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई जाय और उस के द्वारा इन तीनों संस्थाओं को एक इंटीग्रेटेड स्वरूप में चलाया जाय तो इस से आयुर्वेद का ज्यादा विकास हो सकेगा, और ऐसा किया गया ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह उत्तर दिया गया है कि एलोपैथी वालों की योग्यता अधिक होती और वे अपनी पढ़ाई पर खर्चा अधिक करते हैं इस आधार पर उन को वेतन अधिक मिलता है । मैं समझता हूं कि योग्यता का पता तो बीमारों से लगना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस प्रश्न से नहीं निकलता ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप मेरी बात तो सुनें ।

तो खर्च की बात तो मेरी समझ में नहीं आई । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह वैध हैं कि इस प्रकार के खर्चे के आधार पर किसी को अधिक वेतन दिया जाये ?

डा० सुशीला नायर : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन एलोपैथी वालों ने अधिक खर्चा किया है और उन में योग्यता अधिक होती है इसलिये वेतन के मापदंड में अन्तर होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा भारतीय विधान के आधार पर किया जाता है, और ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह नतीजा तो आप खुद मुताला कर के निकालें । कांस्टीट्यूशन के बारे में यहां ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता ।

श्री रामेश्वरानन्द : एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है तो आप मंत्री को कुछ कहने नहीं देते । आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष परमेश्वर की तरह होता है । लेकिन मैं इस बात को उचित नहीं समझता कि आप उत्तर नहीं देने देते ।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात जो उन्होंने कही कि जब वह कोई जरूरी सवाल पूछते हैं तो मिनिस्टर को जवाब नहीं देने देता, वह गलत है । दूसरी बात उन्होंने कही वह बहुत ही गलत है कि मैं परमेश्वर का रूप हूं । ये दोनों बातें ही उन की गलत हैं और उन को नहीं कहनी चाहिए थीं । तीसरी बात यह है कि उन्होंने कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा पूछा है कि यह बात विधान के अनुकूल है या नहीं । इस तरह का सवाल यहां नहीं किया जा सकता । अब बजाय इस के कि वह मेरी बात मान लें, वह मेरी नुक्ताचीनी भी करना शुरु कर देते हैं । अब आप बैठ जाएं ।

श्री रामेश्वरानन्द : हमारी बात गलत है क्योंकि आप गद्दी पर बैठे हैं । जो कुछ हम कहते हैं वह गलत है क्योंकि आप ऐसा कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आडर आर्डर । आप बाहर होते तो मैं आप का यह वेष देख कर आप के पांवों पर पड़ जाता, मगर आप यहां सदस्य हो कर आए हैं और मुझे अध्यक्ष चुना है, तो मेरी बात माननी होगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : मान लेते हैं, लेकिन आप यह अन्याय करते हैं . . . .

श्री द्वा० ना० तिवारी : आयुर्वेदिक पद्धति की उच्चतम शिक्षा प्राप्त स्नातकों के लिये क्या सरकार ने कोई वेतन क्रम निर्धारित कर दिया हैं और क्या जब उन को नौकरी पर लिया जाता है तो उस वेतन पर लिया जाता है ?

डा० सुशीला नायर : मैंने अर्ज किया कि इस काम को राज्य सरकारें करती हैं । अलग अलग राज्य सेरकारों को अलग अलग वेतन को स्केल्स हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से आयुर्वेद की उच्चतम शिक्षा पाए हुए स्नातकों के लिए कोई वेतन क्रम निर्धारित किया गया है या नहीं ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं ।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सही है कि भारत में देहात में कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां एम० बी० बी० एस० पास एलोपैथी वाले डाक्टर इसलिए नहीं जाते कि उन को विलेज एटमासफियर में रहना पसन्द नहीं है, और सरकार वहां आयुर्वेद वालों को भेजती नहीं, इसलिए वे अस्पताल खाली पड़े हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, यह दोनों ही बातें गलत हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : मेरा ख्याल है कि श्री रामेश्वरानन्द जानना चाहते थे कि शिक्षा पर हुए व्यय के साथ वेतन का संबंध जोड़ने में क्या नैतिक या औपयोगिक सिद्धान्त है । हम माननीय मंत्री से इसका उत्तर चाहते हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : मेरा ख्याल है कि मैंने सभी सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं किया है । में केवल वह प्रथा बता रहा हूं जो देश में प्रचलित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा कि एलोपैथी के विद्यार्थियों को अपना पाठयक्रम पूरा करने में अधिक समय लगता है, उन्हें अपना अध्ययन पूरा करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, और इसलिये उन्ह अधिक भुगतान किया जाता है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षा प्राप्त करने वालों के वेतन निर्धारित करने के ये सिद्धांत होने चाहिये ।

†**डा० सुशीला नायर** : मैंने यही कहा है । मैं यह नहीं कह सकती कि हर जगह क्या सिद्धांत लागू होने चाहिये । मैं यह बता रही हूं कि आजकल देश में क्य होता है ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को इस त्रुटि का उत्तर नहीं देना चाहिये ? स्वयं आपने यह बात मंत्री जी के समक्ष रखी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय का उत्तर था कि यह पद्धति है ।

†**श्री रंगा** : क्या माननीय मंत्री इस मामले का अध्ययन करने और हमें बाद में जानकारी देने की कृपा करेंगी ? **(अन्तर्बाधा)** :

†**डा० सुशीला नायर** : मैंने कहा कि जब मेरे माननीय मित्र..........

†**अध्यक्ष महोदय** : उनकी इच्छा केवल यह है कि जब आयुर्वेद के विद्यार्थी अपना निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करते है और एलोपैथ उसे अपने ढंग से पूरा करते हैं--हां, यह ठीक है, जैसा

†मूल अंग्रेजी में

कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कि एलोपैथ का पाठ्यक्रम लम्बा है और विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम पर अधिक व्यय करना पड़ता है। माननीय सदस्य कहते हैं कि वेतन निर्धारित करने का यह सिद्धान्त नहीं होना चाहिये। वे चाहते हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये और कम से कम हमारे देशों में वह शिक्षा प्राप्त करने वालों के वेतन निर्धारित करने का यह सिद्धांत नहीं होना चाहिये।

†**डा० सुशीला नायर** : वेतन व मूल्य मांग तथा उपलब्धि पर निर्भर है। यदि माननीय सदस्य मांग न करें........... **(अन्तर्बाधा)**। क्या मैं आपकी अनुमति से अपना उत्तर पूरा कर सकती हूं?

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्होंने केवल सुझाव दिये हैं और वह केवल उस पर विचार कर सकती हैं। अगला प्रश्न।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत घोषित सोना

†*७१२. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के सभी राज्यों में स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत घोषित सभी प्रकार का सोना कितना है तथा अन्तर्राष्ट्रीय दर के अनुसार उसका कुल मूल्य कितना है; और

(ख) सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह घोषित सोना भारत में आसंचित कुल सोने का कितने प्रतिशत है?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) फरवरी, १९६३ के अन्त तक नियमों के अन्तर्गत बताये गये सभी प्रकार के सोने की कुल मात्रा लगभग ४२६·५१ लाख ग्राम थी और उसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लगभग २२·८५ करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया।

(ख) आभूषणों के रूप में या अन्यथा कुल सोने के मूल्य का कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है; और इस लिए यह नहीं बताया जा सकता कि नियमों के अन्तर्गत घोषित सोना कुल सोने का या देश में आभूषणातिरिक्त सोने का कितने प्रतिशत है।

†**श्री याज्ञिक** : क्या रिजर्व बैंक के साधारण अनुमानासार देश में उपलब्ध कुल सोने का मूल्य लगभग ३,००० से ४,००० करोड़ रु० है?

†**श्री ब० रा० भगत**: रिजर्व बैंक ने कोई अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक बुलैटिन में एक लेख था जिसमें साधारण रूप में ये आंकड़े दिये गये थे। परन्तु यह निश्चित आंकड़े नहीं हैं। ये अनुमानमात्र थे।

†**श्री याज्ञिक** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी सोना नियन्त्रण आदेश के अन्तगत भी सोने का बड़ा ही अल्प प्रतिशत घोषित किया गया है?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें देश में सोने की कुल मात्रा विदित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या उनके विभाग ने अवैध रूप से जमा कर के रखे गये सोने का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया है और क्या किसी मामले में उसे अधिकार में लेने का कोई प्रयत्न किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** प्रयास निरन्तर किया जा रहा है । यदि हमें उचित जानकारी मिल जाये, तो हम स्थान की तलाशी लेने और सोना जब्त करने का प्रयास करते हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या सोने की कोई मात्रा पकड़ी गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** कुछ सोना जब्त किया गया है ।

श्री काशी राम गुप्त : गोल्ड कंट्रोल आर्डर के मातहत जो सोने की मात्रा बतलाई गई है, उस में व्यापारियों के पास से कितना मिला है और अन्य लोगों के पास से कितना मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : मात्रा कहते हैं कि हमें अभी तक पता नहीं है ।

श्री काशी राम गुप्त : जो गोल्ड डिक्लेयर किया गया है उसकी मात्रा बतलाई गई है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** हमारे पास व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों के आंकड़े नहीं है परन्तु हमारे पास मोटा ब्योरा है । व्यक्तियों से हमें ८·०२ करोड़ रु० के मूल्य का व्यापारियों से १४·७५ करोड़ रु० के मूल्य का और शोधकों से ०·०७ करोड़ रु० के मूल्य का सोना मिला है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत जो सोने की घोषणा हुई है उस में कुछ राजा और महाराजाओं के पास जो सोना था उसका भी आपको पता लगा है और यदि हां, तो हैदराबाद के निज़ाम ने अपने पास कितना सोना होने की इत्तिला दी है ?

श्री ब० रा० भगत : उन का विवरण इस समय मेरे पास नहीं है ।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि सोना नियन्त्रण आदेश के मुख्यापन के होते हुए भी सोने का चोर बाजार का मूल्य कम नहीं हुआ है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** में चोर-बाजार का मूल्य नहीं जानता परन्तु यह सच है कि सोने का मूल्य काफी कम हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

निक्षेप बीमा योजना

†*७१३. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'निक्षेप बीमा योजना' को सहकारी बैंकों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है और अभी यह नहीं बताया जा सकता कि क्या निश्चय किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या सरकार को विदित है कि अनुसूचित बैंकों में यह योजना लागू करने से इससे गरीब खातेदारों को बड़ी राहत मिली है ; यदि हां, तो इस कारण कि देश में सहकारी आन्दोलन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है, क्या सरकार का विचार इसे सहकारी बैंकों पर भी लागू करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रथम भाग प्रश्न है और दूसरा भाग सुझाव है ।

†**श्री ब० रा० भगत:** मैं बता चुका हूं कि यह मामला विचाराधीन है ।

†**श्री हेडा:** क्या सरकार ने यह सर्वेक्षण किया है कि सहकारी बैंकों में कितना धन जमा है— मेरा अभिप्राय है कि इन जमा राशियों से उनके पास कितना धन उपलब्ध है ?

†**श्री ब० रा० भगत:** सहकारी बैंको में धन बहुत कम जमा है और उस समय ये अनेक राज्य सरकारों के अधीन थे । यह भी एक कारण था कि वे इस योजना में सम्मिलित नहीं किये गये । परन्तु अब समूचा मामला फिर विचाराधीन है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ:** क्या देश में सहकारी बैंकों के बारे में ऐसा आदेश निकालने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मामले पर सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और रिजर्व बैंक ने एक विशेष अध्ययन दल बनाया है जो इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों के प्रामर्श से इस मामले का निश्चिय करेंगे ?

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अभी कोई इच्छा नहीं है ; परन्तु शायद सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय राज्यों के मत लेगा ।

नेपाल में भारतीय मुद्रा

†*७१४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारतीय करेंसी नोटों का नेपाल में जाना तथा बाद में उनका किसी अन्य देश को भेजा जाना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जून, १९६२ में नेपाल सरकार ने एक अधिसूचना निकाल कर भारत को छोड़ कर किसी भी अन्य देश से ७५ रु० से अधिक भारतीय मुद्रा को लाना व लेजाना बन्द कर दिया था।

(ख) भारत और नेपाल के बीच व्यापार तथा यात्रा पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि नेपाल सरकार ने भारत और नेपाल के बीच भारतीय मुद्रा के आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आज्ञा के जारी करने के पूर्व नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कोई सलाह की थी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: यह जो आज्ञा है, वह तो पुरानी आज्ञा को रिआइटिरेट किया गया है, उस को फिर से दोहराया गया है। जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है, यह आज्ञा २० जून, १९६२ को जारी की गई थी। चूंकि यह हम से बिल्कुल मिलता-जुलता हिसाब है, इस लिये हमें इस में कोई एतराज़ ही नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या अन्य किसी पड़ौसी देश ने भी भारतीय मुद्रा के आने जाने पर ऐसी रोक लगाई है और, यदि नहीं, तो केवल नेपाल ने ऐसा क्यों किया है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: यह नई रोक नहीं है और जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, यह बात हमारे अनुकूल है क्योंकि हम ऐसा ही व्यवहार करते रहे हैं। नेपाल को भारतीय मुद्रा जाने की अनुमति देने से सिद्धांत रूप में हम नेपाल से भारतीय मुद्रा के आने पर रोक लगाते रहे हैं, जो कि हमारे अनुकूल है। हमने यह अधिकार ले लिया है। वास्तव में हम इसका प्रयोग नहीं करते। हम नेपाल से भी मुद्रा आने देते हैं। हमने यह वैध शक्ति नेपाल होकर अन्य देशों से आने वाली भारतीय मुद्रा के संरक्षणार्थ प्राप्त की है।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी**: क्या इससे नेपाल होकर होने वाली भारतीय वस्तुओं के चोरी छिपे आने व जाने पर रोक लगाने में सहायता मिली है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: नेपाल ने यह सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिये बरती है कि तस्कर व्यापार न हो और वह घटकर न्यूनतम हो जाये।

श्री ओंकार लाल बेरवा: मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय करेंसी नोटों की नेपाल में क्या कीमत है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: माननीय सदस्य को पता होगा कि हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच बिल्कुल फ्री फ्लो आफ इंडियन करन्सी है और हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच में जो ट्रीटी आफ ट्रेड और एग्रीमेंट है, उस के अन्तर्गत सामान के लिये या सर्विसेज के लिये सारा पेमेंट इंडियन करंसी में ही होता है। इस लिये उस की कीमत तो बहुत है।

श्री ओंकार लाल बेरवा: मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की कीमत के बराबर है, कम है या ज्यादा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: सब पेमेंट हिन्दुस्तान की करेंसी में ही होता है, इस लिये कमी और बेशी का सवाल नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : जब करेन्सी यही चलती है, तो मुकाबिला कैसे हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य : नेपाल की अपनी अलग करेन्सी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि नेपाल को जो अपनी करेन्सी है, हमारी करेन्सी का अफिशल रेट उस के बराबर है या दोनों में कुछ फर्क है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा कि मैंने अभी बताया है, नेपाल से हमारा ट्रीटी आफ ट्रेड और एग्रीमेंट हुआ है । उसे के मातहत जितने सामान हैं और जितनी सर्विसिज़ हैं, उनका पेमेंट इंडियन करेन्सी में होता है । इस लिए हमें उस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मिनिस्टर साहब को इस बात का इल्म है कि उन में कुछ फर्क है या नहीं, तो वह बता दें । अगर उन को इल्म नहीं है, तो भी वह कह दें कि उन को पता नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आफिशली हमें इसे का पता नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि भारत से जो इंडियन करेंसी नेपाल को जाती है, वहां के व्यापारी उस करेन्सी से लाखों मन चावल उत्तर बिहार से खरीद कर नेपाल ले गए और वह चावल बाद में वहां से चाइना चला गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस का सवाल नहीं है ।

श्री कछवाय : भारतीय मुद्रा बन्द करने से पहले क्या भारत सरकार और नेपाल सरकार में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था । यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य इस का नोटिस देंगे, तो यह सूचना दी जा सकती है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार नेपाल की जो पर्याप्त सहायता करती है, वह नोटों के रूप में करती है या कुछ और देती रहती है ।

श्री मोरारजी देसाई : रुपयों के रूप में करते हैं ।

दिल्ली में बिक्रीकर

†*७१५. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में विलास वस्तुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर बिक्रीकर बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी वस्तुयें हैं तथा वृद्धि की दर क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : दिल्ली में किन वस्तुओं पर विक्रय-कर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह एक लम्बी सूची है । यदि माननीय सदस्य की इसमें रुचि हो, तो मैं उन्हें यह दे सकती हूं या उसे पटल पर रख सकती हूं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : विलास वस्तुओं पर अधिक विक्रय कर मुख्यकर दिल्ली में क्यों लगाया जा रहा है और भारत के अन्य संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लगाया जा रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली को अधिक राजस्व की आवश्यकता है । द्वितीय, पड़ौसी राज्यों ने यह बढ़ा दिया है या बढ़ाने की सोच रहे हैं और उन्हें लगभग एक ही आधार पर लाने के लिये यह किया जा रहा है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि विक्रय-कर की दर पंजाब में अधिक है और दिल्ली में कम है जिसके परिणामस्वरूप पंजाब का व्यापार दिल्ली को आ रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर आ गया है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

+

†*७१६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में निर्मित वस्तुयें तथा कच्चा माल दो वर्ष से भी अधिक समय से पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह अब बिक गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य में ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १.७३ लाख रु० के मूल्य की निर्मित वस्तुओं की छोटी मात्रा और ०.७८ लाख रु० के मूल्य का कच्चा माल ३१ मार्च, १९६२ को कारखाने में पड़ा था ।

(ख) आशातीत आवश्यकता की पूर्ति और । या संभावित अस्वीकृतियों तथा क्षतियों के बदले अन्य माल देने के लिये कुछ अतिरिक्त स्टाक का पूरा प्रयोग नहीं हो सका ।

(ग) तथा (घ) लगभग ०.४८ लाख रु० के मूल्य की निर्मित वस्तुओं और ०.२२ लाख रु० के मूल्य का कच्चा सामान इस बीच बेच दिया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : निर्मित वस्तुयें क्या हैं जो इतने लम्बे समय से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में पड़ी रही हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : ये निर्मित वस्तुयें हैं पूर्व-निर्मित कंक्रीट और प्रबलित सीमित खम्बे तथा टुकड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इन निर्मित वस्तुओं को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने क्रयादेश पाने पर बनाया था या वे केवल बेचने की आशा में बनाये गये थे ?

†श्री यू० शे० नास्कर : वे क्रयादेशों पर बनाये गये थे जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि जमा की गई निर्मित वस्तुयें विवरणानुसार नहीं थीं ?

†श्री यू० शे० नास्कर : हाउसिंग फैक्टरी के पास आशातीत आवश्यकताओं के लिये कुछ अति-रेक है और मैं सभा को बता सकता हूं कि अब इस हाउसिंग फैक्टरी के विस्तार कार्यक्रम से यह सारा अधिक सामान उपयुक्त रूप में प्रयोग हो जायेगा ।

†श्री भागवत झा आजाद । प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के दिये गये अभी के उत्तर का ध्यान रखकर अब भी कितने मूल्य की वस्तुयें बिना बिकी पड़ी हैं ?

†श्री यू० शे० नास्कर : मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

दिल्ली का अत्यधिक विस्तार

†*७१८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अत्यधिक विस्तार को रोकने के लिये यदि कोई कदम उठाया जा रहा है तो क्या ; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष जन संख्या तथा मकानों में कितनी वृद्धि हुई है तथा आगामी तीन वर्षों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) दिल्ली के अत्यधिक विस्तार को रोकने के लिये दिल्ली की वृहत् योजना में कुछ सिफारिशें की गई हैं जो लागू की जा रही हैं ।

(ख) १९६१ की जनगणना के अनुसार, दिल्ली नगर (जिसमें नगर कारपोरेशन, नई दिल्ली नगरपालिका समिति और छावनी सम्मिलित हैं) की जनसंख्या १९५१ की जनसंख्या की अपेक्षा ६.५ औसत वार्षिक दर से बढ़ी है और १९६१ की जनगणना के समय आबाद मकानों की संख्या से १९५१ की अपेक्षा २.१ प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई प्रतीत होती है । जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है और २५,००० यूनिटों का आवास प्रोग्राम है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जैसा कि आजकल प्रतीत होता है कि सरकार ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है, उनका आवास प्रोग्राम जनसंख्या की वृद्धि के पांचवे भाग को भी पूरा नहीं करता है और वे उन सब अस्थायी मकानों को गिरा देते हैं जो व्यक्ति अपने लिये बनाते हैं तो वे अपनी स्थिति क्या बताते हैं और क्या शोधनकारी कार्यवाही करने का उनका विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : अन्तिम कार्यवाही जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र ने किया है, अर्थात् अनधिकृत मकानों को गिराना, जो संबंधित एजेंसी ने किया है, एक ऐसी कार्यवाही है जो दिल्ली की इस भद्दी तथा अनधिकृत वृद्धि को रोकने के लिये है।

जहां तक आवास वृद्धि का प्रश्न है, २ · १ प्रतिशत की यह दर पिछले दशक में थी। वर्तमान योजना में आशा है कि दर काफी अधिक रहेगी। अब तक, दिल्ली विकास प्राधिकार ने १९ योजनायें रहने के मकान के लिये जमीन लेने तथा उसका विकास करने के लिये आरम्भ की हैं और अल्प आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये निर्माण की भी दो योजनायें पूरी हो गई हैं। फिर, आवास मंत्री ने अनेक बार उन झुग्गियों तथा झोंपड़ियों के रहने वालों को, जो गिराई जा रही हैं, मकान देने की योजनायें बताई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि सरकार विद्यमान तथ्य से सहमत है। अन्यथा, इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्या सरकार इससे सहमत है कि लाखों व्यक्ति अगले दस वर्षों तक पगडंडीवासी बने रहें ? अन्यथा, इस स्थिति का उनके पास क्या उत्तर है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैंने स्थिति बता दी है। सरकार इससे सहमत नहीं है। इसी कारण तो वे उन्हें पगडंडियों से हटाकर कुछ स्थानों पर ले जा रही हैं जहां उनके लिये बनाये जा रहे हैं। पगडंडीवास को समाप्त करने के लिये ही समूची योजना आरम्भ की गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह भीड़ इस कारण है कि परिवार नियोजन का अभाव है, या दिल्ली में लोगों के आने के कारण है, और यदि हां, तो सरकार प्रव्रजन रोकने के लिये और परिवार में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का जितना भाग प्रश्न-संगत है उसका उत्तर दिया जाये।

†**डा० सुशीला नायर** : प्रव्रजन रोकने के लिये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें आने और पगडंडियों पर फैलने से रोका जाये। यदि वे आवास पा सकें और यहां आयें, तो वह भिन्न मामला है। मैं किसी ऐसी विधायनी या अन्य कार्यवाही को नहीं जानती जो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने से रोक सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि प्रति वर्ष पगडंडीवासियों तथा गन्दी बस्ती वासियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : १९६० में जनगणना के समय दिल्ली में पगडंडीवासियों की संख्या ४०,००० थी। पिछले दो वर्षों में यह संख्या बढ़कर ६०,००० हो गई है। हम उन्हें वैकल्पिक आवास देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम विधान में संशोधन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत पगडंडी वास दण्डनीय अपराध बन जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल कल ही माननीय मंत्री ने दिल्ली में झुग्गियों तथा झोंपड़ियों में वृद्धि का उत्तर दिया था।

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि जनसंख्या वृद्धि और आवास वृद्धि में बड़ा अन्तर है। फिर पगडंडीवासियों के मकान गिराने की सरकार की नीति है। क्या यह नीति, पर्याप्त आवास स्थान के बिना ही, कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के अनुसार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अपने अपने मत की बात है।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैंने यह परिणाम निकाला—यह निश्चय करना चाहता हूं कि यह ठीक है—कि दिल्ली में आवास पाने का ढंग पगडंडी वास करना और केवल उन्हें ही मकान दिये जायेंगे। सरकरी नौकर भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह क्या कहते हैं ?

†**श्री त्यागी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब यह स्वीकृत नीति है कि दिल्ली में मकान पाने के लिये व्यक्ति को कुछ समय के लिये सड़कों पर पगडंडी-वासियों की भांति रहना पड़ता है। क्या यह आयोजित ढंग है ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और हाउसिंग की प्राबलैम को साल्व करने के लिये क्या इस बात पर विचार किया गया है कि ऊंचे से ऊंचे मकान बनाये जायें, १६–१७ खंड के बनाये जायें ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह मैंने कल कह दिया था कि हमारा इरादा यह है कि हम मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन करें ताकि जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राम सहाय पांडेय : कितने खंड तक के मकान आप बनायेंगें ?

वेतन पाने वाले व्यक्तियों का निर्वाह-व्यय

†*७१६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन पाने वाले व्यक्तियों (मध्यम तथा निम्न आय वर्ग) तथा मजूरी पाने वाले व्यक्तियों के निर्वाह व्यय पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव का हाल में ही कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). ८ डिसम्बर, १९६१ को पटल पर रखे गये अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव संबंधी अध्ययन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्ष विभिन्न व्यय वर्गों के मजूरी पाने वालों और वेतन पाने वालों पर भी लागू होते हैं। वित्त विधेयक में प्रस्तावित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क का अभी विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है। साधारण अनुमान से पता लगता है कि वेतन तथा मजूरी पाने वालों सहित ३०० रु० प्रति मास व्यय करने वालों पर यह भार लगभग १ प्रतिशत होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** अप्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय और राज्य करों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मामला बहुत पेचीदा है। हमने राज्य करों के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या ऐसे करों के प्रभाव का अनुमान प्रति वर्ष करों संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले अनुमान लगाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** कुछ वर्षों से हम प्रति वर्ष नवीन करों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का असर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने १९५३–५४ और दूसरा १९५८–५९ प्रति पांच वर्षों के लिये अध्ययन किया है। हम १९६३–६४ में यह करने का विचार करते हैं, जबकि हम इन वर्षों के बजटों पर विचार करेंगे और केन्द्रीय तथा राज्य करों के प्रभाव का अधिक विशद अध्ययन किया जायेगा। उससे अधिक सांख्यिकी आदि एकत्र करना हमारे लिये संभव नहीं है।

†**डा० रानेन सेन :** अभी मंत्री ने बताया कि वेतन वाले लोगों के निर्वाह व्यय पर नवीन करों का कोई वास्तविक अनुमान नहीं लगाया गया। तो वह किस तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस के कारण केवल १ प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** योजना आयोग के श्रम प्रभाग ने यह अध्ययन किया है और विविध राज्यों में विविध स्थानों पर वास्तविक हिसाब लगाने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सांख्यिकी अनुमान और इसके विश्लेषण के परिणामस्वरूप, यह लगभग १ प्रतिशत है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** अनुमान में कौनसी वस्तुएं शामिल नहीं और अनुमान लगाने का क्या तरीका था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** बजट में जिन वस्तुओं पर कर लगाया गया था, वे शामिल थीं।

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या यह १ प्रतिशत होगा ?

†**श्री भगवत झा आजाद :** क्योंकि ३०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले लोगों के लिये अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत ३ प्रतिशत की वृद्धि होगी, मंत्री जी कैसे यह उचित मानते हैं कि निर्वहन व्यय में केवल में १ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत ।** मुझे खेद है कि प्रश्न अप्रत्यक्ष करों के बारे में है, प्रत्यक्ष या अनिवार्य जमा के बारे में नहीं।

कुष्ठ-रोग का संचारण

†*७२०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोग के संचारण के सम्बन्ध में ब्रिटेन के डा० ए० जी० वेडेल ने क्या नवीनतम सिद्धान्त प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रसिद्ध ब्रिटिश कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, डा० राबर्ट कोचरेन ने कहा है कि डा० वेडेल ने कुष्ठ रोग सम्बन्धी सिद्धान्तों की नींव हिला दी है तथा कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में पूर्णतः परिवर्तन करना पड़ेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग के कीटाणुओं का अभी प्रयोगशाला में संवर्द्धन नहीं किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या डा० वेडेल की घोषणा के आधार पर भारत में अनुसंधान किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) डा० ए० जी० वेडेल का सिद्धान्त यह है कि चर्म से चर्म का सम्बन्ध ही कुष्ठ रोग के फैलने का एकमात्र तरीका नहीं है और कुष्ठ रोग आमाशय तथा फेफड़ों के द्वारा भी फैल सकता है ।

(ख) यह सही है कि डा० कान्क्रेन ने बताया है कि यदि डा० वेडेल का दृष्टिकोण सही माना जाता है, तो इस से कुष्ठ रोग आन्दोलन में क्रान्ति आ जायगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत में विशेष स्तर पर कोई काम करने से पहले डा० वैडेल्ल की घोषणा के वैज्ञानिक आधार के बारे में कुछ और सूचना प्राप्त करना जरूरी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेंड पनबिजली घर

†*७०३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेंड पनबिजली घर के पास ओबरा में एक बड़ा तापीय बिजली घर बनाया जा रहा है जिस के लिए काफी दूर से कोयला लाना पड़ेगा ।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से इस बिजली घर तक कोयला ले जाने के लिए बन रही नई रेलवे लाइन पर कितना व्यय होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां । बिजली घर के लिये कोयला ४७ किलोमीटर की दूरी पर अभी निकाले गये सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से लाया जायगा ।

(ख) जल ठंडा करने की सुविधाओं की उपलब्धि की दृष्टि से स्थान उचित समझा गया है ।

(ग) सिंगरौली-ओबरा रेलवे परियोजना पर लगभग ६–१० करोड़ रुपये खर्च आयेंगे । यह परियोजना सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यतः बनाई गई है, जो ओबरा थर्मल बिजली घर की कोयला सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी ।

निर्यात-ऋणों का पुनर्वित्त प्रबन्ध

†*७०४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रीफाइनेंस कारपोरेशन फार इंडस्ट्री लि०' ने मध्यमकालीन निर्यात-ऋणों के पुनर्वित्त प्रबन्ध के लिए एक योजना लागू की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ये सुविधायें केवल पूंजीगत या इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए ही दी जायेंगी या अन्य वस्तुओं के लिए भी यह सुविधा देने पर विचार किया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) पुनर्वित्त सुविधा सामान्य पूंजीगत या इंजनियरी माल के निर्यात के लिए ही उपलब्ध होगी।

(ग) पुनर्वित्त के रूप में ऋण बैंकों को निगम द्वारा दिये जायेंगे, जो विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी भी हैं, विशिष्ट मालों के निर्यातकों को उन के द्वारा दिये जा सकने वाले ऋण की मात्रा तक छः महीनों से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये, यदि (क) विदेशी मुद्रा आय की आस्थगित वसूली की अनुमति प्राप्त हो गई है, (ख) किसी भी मामले में राशि एक लाख रुपये से कम नहीं और किसी एक निर्यातक के मामले में ५ लाख रुपये से अधिक नहीं, तथा (ग) निर्यात जोखिम बीमा निगम के पास ऋण जोखिम की बीमा और नकद में निम्नतम भुगतान की कुछ शर्तें भी पूरी की जाती हैं।

राजस्थान नहर परियोजना

*७०६. { श्री प० ला० बारुपाल :
श्री बाल्मीकी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर परियोजना में पहले बीकानेर जिले में उठाऊ सिंचाई (लिफ्ट इर्रीगेशन) की योजना शामिल की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले के कितने गांव आये हैं ; और

(ग) यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां। १९५३ में बनाये गये प्रस्तावों में उठाऊ सिंचाई का प्रबन्ध किया गया था, किन्तु परियोजना के प्रथम चरण की १९५६ परियोजना रिपोर्ट पर आधारित स्वीकृत राजस्थान नहर परियोजना में बीकानेर जिले में उठाऊ सिंचाई की कोई स्कीम शामिल नहीं की गई थी। हां, राजस्थान सरकार के विचाराधीन पुनरीक्षित परियोजना अनुकूलन में, लकरनसर और बीकानेर के इर्दगिर्द बीकानेर जिले के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उठाऊ नालियों का बन्दोबस्त किया गया है।

(ख) बीकानेर जिले के लगभग ९८ ग्रामों के प्रस्तावित स्कीम के अन्तर्गत आ जाने की सम्भावना है।

(ग) उठाऊ सिचाई के प्रबन्ध के लिए कार्यों का कार्यक्रम पुनरीक्षित परियोजना अनुकलनों के एक भाग के रूप में स्कीम के स्वीकार हो जाने के बाद ही बनाया जायगा।

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेद के ग्रन्थ

†*७०७. **श्री गो० महन्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आयुर्वेद के मूल संस्कृत ग्रंथों का हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के अनुवादों सहित प्रकाशन का प्रबन्ध किया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). भारत सरकार आयुर्वेद के सम्बन्ध में ऊंची शिक्षा और साहित्यिक अनुसंधान करने के लिए एक संस्था स्थापित करने का विचार करती है ।

संस्था का एक कार्य आयुर्वेदिक हस्तलेखों का सर्वेक्षण करना, एकत्र करना, आलोचनात्मक अध्ययन करना, छानबीन करना, संपादन करना तथा प्रकाशन करना और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के अनुवाद साथ में जोड़ना ।

तस्कर व्यापार

†१४२१. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (वर्षवार) भारत में सीमा शुल्क विनियमों का उल्लंघन कर के तस्कर व्यापार करने के अपराध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उन में कितने विदेशी हैं तथा वे किन किन देशों के हैं ;

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने उक्त अवधि में जो वस्तुएं जब्त की हैं ; उन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि में (वर्षवार) अपराधी व्यक्तियों के दंडित होने से जुर्माने के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में गुप्त रोग चिकित्सालय

†१४२२. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ और १९६२-६३ में अब तक बड़े पैमाने पर नियंत्रण कार्य क्रमों के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में गुप्त रोग चिकित्सालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि में अब तक उड़ीसा के देहाती क्षेत्रों में कितने गुप्त रोग चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार गुप्त रोग चिकित्सा-लय स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक उड़ीसा राज्य द्वारा कोई नया गुप्त रोग चिकित्सालय स्थापित नहीं किया गया और न ही इस बारे में कोई बड़े पैमाने का कार्यक्रम नहीं है। राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई

†१४२३. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६२-६३ में अब तक उड़ीसा में गन्दी बस्तियां साफ करने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) अब तक कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उक्त अवधि में किन किन स्थानों पर ; तथा

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) उड़ीसा राज्य को गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अधीन १९६२–६३ में केन्द्रीय सहायता के रूप में ३.७५ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार को अपनी ओर से योजना के लिये १.२५ लाख रुपये की और रकम भी देनी थी।

(ख) १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित गन्दी बस्ती सफाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं :—

क्रमांक	नगर	मंजूरी की तिथि	मंजूर मकानों की संख्या
१	बरहामपुर (प्रक्रम १)	२६–३–५९	४४
२	कटक (प्रक्रम १)	२६–३–५९	२३
३	बरहामपुर (प्रक्रम २)	१२–३–६०	१७
४	कटक (प्रक्रम २)	१२–३–६०	११६
५	भुवनेश्वर (प्रक्रम ३)	२७–३–६१	१२६
६	बालासोर (प्रक्रम १)	२७–३–६१	१०
७	सम्बलपुर	२७–३–६१	१५
८	बोलंगीर	२७–३–६१	१५
९	कटक (प्रक्रम ३)	२८–३–६२	३०
१०	बालासोर (प्रथम २)	२८–३–६२	१०
११	भुवनेश्वर (प्रक्रम ४)	२८–३–६२	२०
१२	बरहामपुर (प्रक्रम ३)	२८–३–६२	१५
१३	पारलाखेमड़ी	२८–३–६२	१०
१४	रूरकेला	२८–३–६२	३०
१५	कटक (प्रक्रम ४)	८–२–६३	२००
	योग		६९१

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक परियोजना पर किये गये व्यय का व्यौरा प्राप्त नहीं। १९६२-६३ में कार्यान्वित हो रही सभी गन्दी वस्तियों की परियोजनाओं के अधीन राज्य सरकार का व्यय ५ लाख रुपये हुआ होगा।

उड़ीसा में सिंचाई और बिजली परियोजनायें

†१४२४. **श्री उलाका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा सरकार की कितनी सिंचाई और बिजली योजनाएं मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं और उन पर कितना खर्च होगा तथा कितना लाभ होगा ; और

(ख) पिछले एक वर्ष में अब तक अस्वीकृत की गई योजनाओं की संख्या क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	लेबिल योजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	अपेक्षित लाभ	योजना की वर्तमान स्थिति
१	बीर गोविन्दपुर परियोजना	८५०.८५	लगभग २.२४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और प्रक्रम २ के पूरा हो जाने के तुरन्त पश्चात ३.२२ लाख एकड़ की सिंचाई।	योजना पर विचार किया जा रहा है।
२	बालीभेला जल विद्युत योजना	३८४५.३७ (योजना व्यवस्था ८५० लाख रुपये)	२४० मैगावाट क्षमता बिजली तैयार करने का सन्यन्त्र लगाया जाएगा। चौथी योजना में विद्युत लाभ भी प्राप्त होने की आशा है।	विस्तत योजना प्रतिवेदन राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं।

(ख) शून्य।

उड़ीसा में आय-कर की बकाया राशि

†१४२५. **श्री उलाका :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९-६० से १९६२-६३ में अब तक (वर्षवार) उड़ीसा राज्य में कितने लोगों से आयकर की राशि लेना बकाया थी ; और

(ख) उन लोगों से यह धन वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया

†**१४२६. श्री उलाका :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया के मामलों का अनुमान क्या था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि में मलेरिया और फिलेरिया उन्मूलन के लिये उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) उड़ीसा में १९६१–६२ और १९६२–६३ (दिसम्बर १९६२ तक) उड़ीसा में मलेरिया के मामलों का अनुपात १९५३–५४ में १४.४ प्रतिशत की तुलना में क्रमशः ४ प्रतिशत और २.६ प्रतिशत था। फिलेरिया के मामलों के अनुमान के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन मलेरिया नाशक दवाओं कीरा नाशक औषधों, प्रयोगशाला उपकरण तथा आयातित माल और उपकरण पर सीमा शुल्क आदि के निःशुल्क सम्भरण के रूप में केन्द्रीय सहायता उड़ीसा को दी गई है। उल्लिखित अवधि में उपरोक्त मदों के सम्बन्ध में कुल सहायता इस प्रकार थी :—

वर्ष	राशि
१९६१–६२	३४.५६ लाख रुपये
१९६२–६३	३२.९९ लाख रुपये

इसके अतिरिक्त उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के मंजूर स्वरूप के अनुसार भी दी गई थी, राज्य के अन्तर्गत जिस सरकार को यथार्थ अतिरिक्त व्यय के ५० प्रतिशत तक, जो वह राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदलने पर करते हैं, अर्थ-सहायता दी जाती है क्योंकि यह अर्थ सहायता बहुत सी योजनाओं के लिये इकट्ठी दी जाती है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

फिलेरिया के बारे म यह बात है कि इसके उन्मूलन की कोई योजना चालू नहीं। तथापि इसके नियन्त्रण के लिये उड़ीसा को उपकरण, कीट नाशक औषधों और लाखीसाइड औषधों के निःशुल्क संभरण के रूप में सहायता इस प्रकार दी जाती है :—

वर्ष	राशि
१९६१–६२ . .	२४८,५०० रुपये
१९६२–६३ . . .	२९६,३०० रुपये

भारत सहायता संघ'

†**१४२७. श्री प्र० ए० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ से एशियाई देशों को विदेशी सहायता में भारत का अंश, इस प्रदेश की जनसंख्या में इसके भाग के अनुसार नहीं रहा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

'Aid India Consortium.

(ख) क्या भारत सरकार ने भारत सहायता संघ के अधिक भाग का अनुरोध किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) भारत के आर्थिक विकास में दिलचस्पी रखने वाले देशों और संस्थाओं का संघ—जो आम तौर पर भारत संघ के नाम से जाना जाता है भारत के आर्थिक विकास के लिये सहायता देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की प्रेरणा पर बनाया गया था। मित्र राष्ट्रों तथा संस्थाओं के संघ द्वारा भारत को दी गई सहायता का सम्बन्ध तीसरी योजना में किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा से सम्बन्ध रखता है पाकिस्तान को छोड़ कर किसी दूसरे एशियाई देश की ऐसी संघ व्यवस्था नहीं, अतः समूचे प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर तुलना करना ठीक नहीं होगा। तथापि अन्य एशियाई देशों के समान भारत को केवल उन्हीं देशों और संस्थाओं से सहायता मिलती है, जो इस संघ में हैं, अपितु कई दूसरे साधनों से भी सहायता प्राप्त होती है। विदेशी सहायता की आवश्यकता भी प्रत्येक देश के मामले में, इसके विकास की स्थिति, पूंजी नियोजन वृद्धि की मात्रा, इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे एवं कई अन्य बातों के आधार पर, भिन्न भिन्न होती है। अतः संघ को दी जाने वाली सहायता के आधार पर तुलना करना ठीक नहीं, अथवा इस सहायता का किसी देश की जनसंख्या के आधारमात्र से ही सम्बन्ध नहीं होता।

दण्डकारण्य परियोजना

†१४२८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य प्राधिकार द्वारा परियोजना क्षेत्र के इर्द गिर्द वन्य पशुओं को नष्ट करने के लिये सरकारी तौर पर सरकारी शिकारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी शिकारियों द्वारा मारे गये वन्य पशुओं का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) वन्य पशुओं में भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि सफाई दलों तथा वहां बसने वाले लोगों के लिये ८ शिकारी नियुक्त किये गये हैं :—

(ख)

१.	नरभक्षी सिंह	१
२.	सिंह	४
३.	तेन्दुए	५
४.	चीते	७
५.	जंगली सूअर	७
६.	रीछ	१९
७.	लकड़बग्घा	६
८.	सांभर	४
९.	जंगली कुत्ते	१

†मूल अंग्रेजी में

भारत-नेपाल सीमान्त व्यापार पर शुल्क

१४२९. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो सामान भारत से नेपाल को जाता है, उस पर शुल्क नहीं लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो भारतीय नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं और अपना खाद्यान्न भारत लाना चाहते हैं, उस पर १० आना प्रतिमन की दर से शुल्क लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बात के लिए क्या कर रही है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले किसान अपना अनाज बिना शुल्क (ड्यूटी) दिये भारत ला सकें ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में तैयार किया गया जो सामान नेपाल भेजा जाता है उस पर शुल्क नहीं लगता ।

(ख) मालूम किया गया है कि नेपाल से भारत भेजे जाने वाले खाद्यान्नों पर नेपाल सरकार इस समय इन दरों के अनुसार निर्यात-शुल्क लेती है :—

(१)	धान और दाल . .	. ००.६२ नये पैसे प्रति मन
(२)	चावल . .	. ००.४७ ,,
(३)	गेहूं . .	. ००.७८ ,,
(४)	जौ . .	. ००.३७ ,,
(५)	मक्का . .	. ००.३८ ,,
(६)	तेलहन . .	. ००.३७ ,,

लेकिन भारत सरकार नेपाल से आने वाले खाद्यान्नों पर आयात-शुल्क नहीं लेती ।

(ग) १९६० की भारत-नेपाल सन्धि के अनुसार, नेपाल सरकार वे निर्यात-शुल्क ले सकती है जो वह यह सन्धि होने के समय लेरही थी । मालूम हुआ है कि भारत-नेपाल सन्धि के समय की दरों में से कुछ दरें १४ अगस्त, १९६१ से बढ़ायी गयी हैं । इस प्रश्न को छानबीन की जा रही है कि क्या ये दरें बाद में बढ़ायी जा सकती थीं और यदि आवश्यक समझा गया, तो नेपाल सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत की जायगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये संथाल शरणार्थियों का पुनर्वास

†*१४३०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६२ में पूर्वी पाकिस्तान से कितने संथाल शरणार्थी अपने घर बार छोड़कर भारत में आये ;

(ख) उन में से कितने लोग दण्डकारण्य भेजे गये ;

(ग) क्या उन में से कुछ आसाम भेजे गये है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या संथाल शरणार्थियों का कोई दल पश्चिम बंगाल के कच्चे आश्रम स्थलों में अभी भी है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) ६११६ ।

(ख) १००८ ।

(ग) नहीं ।

(घ) हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की ।

पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी

†१४३१. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की बड़ी कमी हो जाएगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण सभी औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार और विकास रुका पड़ा है ;

(ग) क्या इस कारण नलकूप सिंचाई योजनाओं को भी हानि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रदेश को कुछ समय से बिजली की कमी अनुभव हो रही है। १९६४–६५ से स्थिति सुधरने को आशा है।

(ख) जी हां, कुछ हद तक ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश में रिहन्द परियोजना से लगभग ८० मैगावाट बिजली (अधिकतम) तथा उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना से पश्चिम बंगाल, बिहार दामोदर घाटी निगम को लगभग ४ मैगावाट बिजली देने का प्रबंध किया गया है।

इस के अतिरिक्त इस समय निम्नलिखित योजनाएं पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(१) बंदेल थर्मल बिजली घर ४ × ८२.५ मैगावाट ।

(२) दुर्गापुर कोक–भट्टी बिजली घर (विस्तार) ३ X ७५ मैगावाट

(३) कलकत्ता बिजली संभरण निगम ५० मैगावाट

(४) पैकेज थर्मल बिजली संयंत्र ६ X १.५ मैगावाट

(५) जलढाका जल विद्युत् परियोजना प्रक्रम १— ३ X ९ मैगावाट

दुर्गापुर कोक–भट्टी बिजली घर की क्षमता को १५० मैगावाट क्षमता तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। १२.५ मैगावाट बिजली निर्माण क्षमता का एक पैंकेज थर्मल बिजली घर भी संकटकाल में उपयोग में लाने के लिये, उस क्षेत्र में प्राप्त किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम के निम्नलिखित बिजली घर भी पश्चिमी बंगाल में बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देंगे:—

१. थर्मल स्टेशन चन्द्रपुर (निर्माणाधीन): रु०—१२५/१४० मैगावाट

२. दुर्गापुर विस्तार: रु०—१२५ मैगावाट

३. चन्द्रपुर विस्तार: रु०—१२५ मैगावाट

कलकत्ता का नगरीय विकास

†१४३२ { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक मिशन ने भारत में अपने पिछले दौरे में सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि कलकत्ता के नगरीय विकास संबंधी समस्याओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई थी ; और

(ग) सरकार वृहत कलकत्ता में पीने के पानी बिजली और परिवहन आदि की कमी जैसी समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देशाई)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वृहद् कलकत्ता की समस्याओं की ओर पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार ध्यान दे रही है । कलकत्ता राजधानी आयोजना संगठन राज्य सरकार द्वारा वृहद् कलकत्ता की समस्याओं की हल करने के लिये प्लान बनाने के लिये स्थापित किया गया है । संगठन की कुछ योजनाओं के संबंध म, कोई फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से सहायता दी गई है ।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का ऋण

†१४३३. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने हाल ही में भारत के व्यापार उपक्रमों को चलाने के लिये ६० लाख से अधिक के ऋणों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों को ; और

(ग) प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने निम्न तीन समवायों को पी० एल० ४८० (कुल संशोधन) विधियों में से ६० लाख रुपये से अधिक के निम्नलिखित रुपया-ऋणों की घोषणा की है:—

(१) मैकनाली बर्ड इंजनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	५०.०० लाख रुपये
(२) विक्टर गासकेट इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	७.५० ,,
(३) हेरिंग मलिक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली . . .	२.८५ ,,
योग	६०.३५ लाख रुपये

शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक चिकित्सालय

१४३४. श्री भक्त दर्शन: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक-चिकित्सालय के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस चिकित्सालय का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को अस्पताल के निर्माण के लिये अब टेंडर मिल चुके हैं और निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

(ख) आशा है कि यह कार्य आरम्भ होने के १२ महीनों के अन्दर पूर्ण हो जायेगा।

मंत्रालयों का छपाई कार्य

†१४३५. { **श्री यशपाल सिंह**:
श्री बिशन चन्द्र सेठ:

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालयों को अपना सारा छपाई कार्य सरकारी छापेखानों में करवाने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मंत्रालयों ने इस का प्रत्युत्तर दिया है?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) लगभग एक महीना पहले विविध मंत्रालयों का ध्यान सरकारी छापेखानों की छपाई क्षमता के बढ़ जाने तथा अधिक से अधिक मात्रा तक उस का उपयोग करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया था।

(ख) अभी तक केवल चार मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

†मूल अंग्रेजी में

श्रम जीवी महिलाओं के लिये होटल

†१४३६. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल बनाने की योजना समाप्त कर दी गई है या चल रही है ; और

(ख) यदि समाप्त कर दी गई है तो इस के क्या कारण हैं और यदि समाप्त नहीं की गई तो इस समय काम किस स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). मिन्टो रोड क्षेत्र में अकेली रहने वाले २८० महिला कर्मचारियों के लिये, २८.६८ लाख रुपये की लागत से होस्टल बनाने का काम मंजूर किया गया है और कुछ महीनों में इस काम के आरम्भ किये जाने की संभावना है ।

स्वास्थ्य संस्थायें

†१४३७. { **श्री सुबोध हंसदा :** / **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देहली में (१) स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा तथा (२) परिवार नियोजन की दो राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों संस्थायें देहली ही में स्थापित करने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं का निर्माण आरम्भ हो गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). देहली ही में ये दोनों राष्ट्रीय संस्थायें स्थापित करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी स्थापना के लिये देहली ही सब से उचित स्थान लगता है । यह ध्यान में रखा जाए कि परिवार नियोजन संस्था पहले ही देहली में किराये की एक इमारत में स्थापित की जा चुकी है ।

व्यय कर

†१४३८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६२-६३ में व्यय कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत किये गये निर्धार्यों' की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) इसी अवधि में एकत्रित किये गये व्यय कर की राशि क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) १ अप्रैल, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक की अवधि में १०.६८ लाख रुपये का व्यय कर एकत्रित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Assessees'

खेती के औज़ारों सम्बन्धी अध्ययन दल

१४३९. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती के औज़ारों के विकास सम्बन्धी ४ सदस्यों के अध्ययन दल ने, जो अपनी रिपोर्ट फरवरी में देने वाला था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के अध्ययन से क्या नतीजा निकला ; और

(ग) इस कार्य में शासन का क्या खर्चा हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पदा ही नहीं होता।

(ग) २८ फरवरी, १९६३ तक १८,०७५,०० रुपये।

मद्रास में ग्रामीण आवास योजनायें

†१४४०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के लिये ग्रामीण आवास योजना के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २५ लाख रुपये।

(ख) तीसरी योजना के आरम्भ से दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक ग्राम आवास परियोजना योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा कुल १५.२७ लाख रुपया खर्च किया बताया जाता है।

मेडिकल कालेज

१४४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में जो मेडिकल कालेज खुलने वाले थे, उन में से किन-किन स्थानों पर वे नहीं खुल पाये ;

(ख) उन के न खुल सकने के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष १९६३–६४ में किन-किन स्थानों पर नये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उन कालेजों को चालू करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४७ के उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मेरठ में एक एक, मध्य प्रदेश में एक, केरल में अल्लेप्पी में एक तथा शिमला में (१९६४ से)

---

†मूल अंग्रेजी में

एक मेडिकल कालेज खोले जाने की आशा है । अलीगढ़ और अल्लेप्पी में मेडिकल कालेज खुल चुके हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मिली है कि मेरठ में मेडिकल कालेज खोलने के लिये उन्होंने अपने १९६३–६४ के बजट प्राक्कलनों में अपेक्षित भवन निर्माण के लिये भूमि की प्राप्ति के हेतु ६ लाख रुपये की व्यवस्था की है । मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय योजना अवधि में १ मेडिकल कालेज रेवा में खोलने का निश्चय किया है । दूसरा मेडिकल कालेज खोलने के बारे में भी राज्य सरकार विचार कर रही है । उन्होंने डीन के समान पद का एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त कर लिया है और आशा है कि इस वर्ष से प्रवेश शुरू हो जायेंगे । शिमला में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । अनुसूची के अनुसार मेडिकल कालेज खोलने में कभी कभी वित्तीय, प्रशासकीय और अन्य कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

†१४४२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के दौरान देहली में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया है ; और

(ख) कितने व्यक्ति दोषी ठहराये गये हैं और उन्हें क्या दंड दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** १ अप्रैल, १९६२ से १८ मार्च, १९६३ तक प्रवर्तन निदेशालय ने देहली (नई दिल्ली समेत) में उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के ५९ मामलों का न्याय-निर्णयन किया था ।

(ख) इस अवधि में कोई भी मामला अभियोजन के लिये न्यायालय में नहीं ले जाया गया था । इन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने ५६ व्यक्तियों को कुल ३७,८०० रुपये के जुर्माने किये ।

सुनारों के लिए लाइसेंस शुल्क

१४४३. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे सुनारों से आधी लाइसेंस फीस लेने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे और बड़े सुनारों का निर्णय करने की क्या कसौटी होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). इस सवाल पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

मकान किराया भत्ता नियम

१४४४. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने मकान किराया भत्ते सम्बन्धी नियमों को पहले की अपेक्षा उदार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह बढ़ा हुआ किराया भत्ता कब से मिलेगा ; और

(ग) उसका प्रतिशत और अधिकतम राशि क्या होगी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). सामान्य समूह में सरकारी वास स्थान के नियतन के नियमों का पुनर्विलोकन किया गया है । इस सम्बन्ध में जानकारी इस मंत्रालय के १९६२–६३ के वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) (हिन्दी) के पृष्ठ १४–१५ पर दी गई है । इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् सदस्यों को दी जा चुकी हैं ।

मनीपुर में बिक्री कर की बकाया राशि

†**१४४५. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६१ को मनीपुर में बिक्री कर की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) मनीपुर में बिक्री कर की ऐसी कितनी बकाया राशि है जो १९६१–६२ और १९६२-६३ में बरामद की गई है; और

(ग) १९६१–६२ और १९६२–६३ में मनीपुर में बिक्री कर की कितनी राशि बनती थी और उस में से कितनी वसूल की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इम्फाल जल संभरण

†**१४४६. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ह्यूम पाइपों की अपेक्षित संख्या की वह प्रतिशतता क्या है जो इम्फाल जल संभरण योजना के लिये बनाई गई है;

(ख) अपेक्षित पाइपों का निर्माण कब पूरा होगा; और

(ग) जलाशयों के बनाये जाने और पाइपों को बिछाने में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) इम्फाल जल संभरण योजना के लिये अपेक्षित ह्यूम इस्पात पाइपों का २२.६ प्रतिशत बनाया जा चुका है ।

(ख) अपेक्षित पाइपों के निर्माण का काम फरवरी, १९६५ तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) सेवा जलाशय का निर्माण बुनियादी अवस्था में है और दिसम्बर, १९६३ तक इसके पूरा होने की संभावना है । साथ ही साथ पाइप बिछाने का काम भी हो रहा है और ३००० फुट पाइप बिछाई जा चुकी है । सारा काम जुलाई, १९६५ तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें

†१४४७. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी वैज्ञानिकों का एक दल लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह देने के लिये हाल ही में इस देश में आया था; और

(ख) उन के आने का क्या परिणाम हुआ है ?

† **स्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) और (ख). भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन दो रूसी वैज्ञानिक १८ मार्च, १९६३ से तीन सप्ताह के लिये भारत का दौरा कर रहे हैं उनके दौरे का उद्देश्य देहली और बम्बई की जल संभरण प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना और इन संस्थापनों के कर्मचारियों से परामर्श करना है। वे लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था, नागपुर को भी देखने जायेंगे।

कोल्हुओं पर लाइसेंस शुल्क

१४४८. श्री कछवाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हू लगाने पर जो ५० रुपये लाइसेन्स फीस देनी पड़ती है उस में कुछ कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) लाइसेंस फीस की कम से कम रकम ७५ रुपये है—५० रुपये नहीं। फीस कोल्हुओं की संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि कारखाने द्वारा साल भर में दिये जाने वाले शुल्क (ड्यूटी) के आधार पर ली जाती है। इस रकम में कोई कमी नहीं की गयी है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कोठागुडम में तापीय संयंत्र

†**१४४९. श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम में तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच करार होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) संयंत्र के स्थल पर सिविल इंजीनियरिंग कामों पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या संयंत्र को १९६५–६६ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू किया जा सकता है; और

(घ) क्या विश्व बैंक का ऋण अवस्थागत होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कोठागुडम तापीय संयंत्र को दिसम्बर, १९६० में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दी जानी थी । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ प्राधिकारियों ने कई प्रश्न उठाये और परियोजना के विभिन्न व्योरों की जांच करने के लिये उन के दल विभिन्न प्रक्रमों पर भारत आये । यूनिटों के आकार के चुनाव तथा ग्राहकों से ली जाने वाली बिजली की दरों के बारे में उन्होंने जो बातें उठाई थीं उनकी जांच करने में कुछ विलम्ब हो गया । इन्हें तय कर लिये जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ प्राधिकारियों ने सुझाव दिया कि विद्युत् विभाग और राज्य विद्युत् बोर्ड इन दोनों की बजाय परियोजना का काम एक ही प्रशासन के अधीन होना चाहिए । इसे अब स्वीकार कर लिया गया है और संभावना है कि ऋण करार को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) परियोजना के व्यय के बारे में व्योरे, जैसे कि वे उपलब्ध हैं, निम्नलिखित हैं :—

(१) मार्च, १९६२ तक हुआ व्यय—१.०४ लाख रुपये ।

(२) १९६२–६३ के दौरान प्राक्कलित व्यय—५० लाख रुपये ।

(३) १९६३–६४ के लिए उपबन्ध—१३५ लाख रुपये ।

(ग) अब जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है, बिजली घर के १९६५–६६ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण परियोजना के पूरा होने तक जब भी और जैसा भी भुगतान करना हो उसे करने के लिये उपलब्ध है ।

तुंगभद्रा जल-विद्युत् योजना

†**१४५१. श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८.८ मेगावाट वाली तुंगभद्रा जल-विद्युत् परियोजना मार्च १९६४ के अन्त तक पूरी तरह से चालू कर दी जायेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूरी क्षमता का जनन कब किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांध बिजली घर में ९,००० किलोवाट का पहला यूनिट दिसम्बर, १९६३ में चालू किया जायेगा और इतनी ही क्षमता वाले तीन अन्य यूनिट, एक बांध बिजली घर में तथा दो हम्पी बिजली घर में, जुलाई या अगस्त, १९६४ तक चालू हो जायेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पूरी क्षमता का जनन जुलाई या अगस्त, १९६४ तक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देहली में झुग्गियों का गिराया जाना

†१४५२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमुना बाजार तथा देहली के अन्य क्षेत्रों में हाल में गिराई गई झुग्गियों और झोंपड़ियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन झुग्गी निवासियों के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मुद्रा का तस्कर व्यापार

†१४५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१, १९६२ और १९६३ के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा चोरी-छिपे लाई गई कितनी मुद्रा पकड़ी गई है ; और

(ख) उसमें से कितनी अभी तक बिना निपटाये अथवा बिना दावा किये पड़ी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये पानी की दरें

†१४५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहली और नई देहली में दफ्तरियों और चपड़ासियों के उन सरकारी क्वार्टरों में जिन में अलग मीटर नहीं लगे हुये हैं पानी के उपभोग की भिन्न भिन्न दरें वसूल की जाती हैं ; और

(ख) कर्मचारियों के इन दो वर्गों पर श्रेणीकृत उपभोग दरें लागू करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) उपभोग क्योंकि प्रत्येक स्थान पर अलग अलग है इसलिये दरें जल के औसत उपभोग के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

रामाकृष्णपुरम्, नई देहली, में नागरिक सुविधायें

†१४५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णपुरम् में, जो नई देहली में सरकारी कर्मचारियों की एक कालोनी है सड़क की बत्तियों जल और स्वच्छता जैसी नागरिक सुविधाओं की कमी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन्हें सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या किये जाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास, मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) रामाकृष्णपुरम में सेक्टर नं० १ से ४ तक में क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं और उन पर कब्जा कर लिया गया है। सड़क की बत्तियों, जल और स्वच्छता जैसी नागरिक सुविधायें इन क्षेत्रों में उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में परिवार नियोजन

१४५६. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बड़े :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने आपरेशन हुये ; और

(ख) उनमें से कितने आपरेशन नाकामयाब हुये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) १९६२-६३ के आंकड़े अभी उलब्ध नहीं हैं। विलिंगडन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में १९६२ में ३८१ आपरेशन किये गये बतलाये गये हैं जिनमें ३४९ पुरुषों के और ३२ महिलाओं के आपरेशन हैं।

(ख) इन उपर्युक्त अस्पतालों में कोई भी आपरेशन नाकामयाब नहीं बतलाया है।

गन्दे नालों के पानी से नदियों का दूषित होना

†१४५७. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गन्दे नालों के पानी से नदियों के दूषित होने पर नियंत्रण करने के लिये एक बोर्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में ऐसे बोर्ड स्थापित करने के लिये प्रभावित करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) गन्दे नालों के पानी से नदियों के दूषित होने पर नियंत्रण करने के लिये गुजरात सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया है। तथापि उन्होंने औद्योगिक तथा अन्य तरह की गन्दगी की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है।

(ख) घरेलू तथा औद्योगिक गन्दगी से पानी के दूषित होने से निपटने के लिये भारत सरकार ने एक प्रारूप विधि बनाने के लिये एक समिति बनाई है। समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही आने वाला है। अग्रेतर कार्यवाही सरकार को समिति की सिफारिशों के मिल जाने के बाद ही की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिक्री कर का अपवंचन

†१४५८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और मद्रास में कुछ फर्मों पर छापा मारा गया था और बिक्री कर के बड़े पैमाने पर अपवंचन के संबंध में दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) अभी तक इस सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग) तक संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की मद ५४ के अनुसार किसी राज्य में विक्रय अथवा क्रय पर कर लगाना राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय बिक्री कर के संबंध में, यद्यपि इसका प्रशासन राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन नमक अधिनियम, तथा उपहार कर अधिनियम

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :**

मैं (१) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७६।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७७।

(ग) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७८।

(घ) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७९ में प्रकाशित सीमाशुल्क बांडों का निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, १९६३।

(२) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४८०।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४८१।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(४) उपहार-कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९१ में प्रकाशित उपहार-कर (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. १०५९/६३ से १०६२/६३]।

भारतीय रक्षित नौसेना

तथा भारतीय रक्षित नौसेना स्वयंसेवक (संशोधन) विनियम

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: मैं नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०२ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय रक्षित नौसेना स्वयंसेवक (संशोधन) विनियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. १०६३/६३]।

प्राक्कलन समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)**: मैं खान और ईंधन मंत्रालय—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, लिमिटेड, रांची के बारे में प्राक्कलन समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय**: आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी एक वक्तव्य देंगे।

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे नाम का उल्लेख कलकत्ता के एक खान मालिक जो कि उड़ीसा में काम करते हैं, के सिलसिले में किया गया है . . . .

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। कदाचित मंत्री महोदय नियम ३७२ के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तथापि इस नियम के अन्तर्गत वक्तव्य लोक महत्व के विषय पर होना चाहिये; लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यह विषय सभा के सामने नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

मैंने यह विषय सभा के सामने २१ फरवरी, १९६३ को उठाया था। १ अप्रैल, १९६३ को प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने तत्संबंधी कागजपत्र महा अधिवक्ता को भेज दिये हैं, उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी गयी है।

मैं नहीं जानता कि उन के नाम का उल्लेख कहां पर हुआ है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : केवल आज ही समाचारपत्र से यह ज्ञात हुआ कि उक्त फर्म से संबंधित कागजात में तीन मंत्रियों के नामों का उल्लेख है। पहिले श्री के० दे० मालवीय, दूसरे श्री ति० त० कृष्णमाचारी तथा तीसरे उड़ीसा के श्री बीरेन मित्र। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद् सदस्यों को जानकारी देने का यही एकमात्र तरीका है ?

ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को आदेश पत्र में पहिले से ही स्थान दिया जाना चाहिये जिस से कि हम इस बात के लिये तैयार रहें कि सभा में क्या किया जाना है ?

यदि मंत्री जी को वक्तव्य देने की अनुमति दी गयी है तो हमें भी उस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं ने इस सम्बन्ध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने का नोटिस दिया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले के सम्बन्ध में सभी मंत्रियों पर एक साथ कार्यवाही की जाये तथा इस मामले को सम्पूर्ण रूप से लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि श्री ति० त० कृष्णमाचारी का नाम उस जांच में शामिल है जिस के कागजात महा अधिवक्ता को दिये गये हैं तब मैं इस विषय पर अनुमति देने पर पुनर्विचार करूंगा।

अयन्था मंत्रियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी लोक महत्व के विषय पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। इसीलिये मैं ने सामान्य रूप से उन्हें इसकी अनुमति दी है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : महा अधिवक्ता को मामला भेजने का यह तात्पर्य नहीं है कि मामला न्याय निर्णयाधीन है अतः इस से मंत्री के वक्तव्य देने में कोई बाधा नहीं आती है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यदि इस में मंत्री महोदय के नाम का उल्लेख है तो वे प्रधान मंत्री के वक्तव्य देने के बाद ही अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्यों का यह विचार है कि श्री ति० त० कृष्णमाचारी के नाम का उल्लेख महा अधिवक्ता को किया गया है इसलिये उन्हें वक्तव्य नहीं देना चाहिये तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उन के नाम का उल्लेख है या नहीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिककार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों का तर्क समझने में असमर्थ हूं। जब सभा में इस मामले का उल्लेख किया गया तो मैंने कहा था कि मैं इस विषय की जांच करूंगा तदुपरांत मेरे सहयोगी गृह मंत्री ने एक प्रकाशित लेख का उल्लेख किया तथा बताया कि कुछ बहीखाते इत्यादि पुलिस ने जब्त किये हैं। यह मामला महा अधिवक्ता को इस कारण सुपुर्द किया गया कि मुझे स्वतंत्र सलाह मिल सके कि इस मामले में क्या करना चाहिये। इस में किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। जहां तक समाचार-

†मूल अंग्रेजी में

पत्रों के संवाद का प्रश्न है वे प्रथम दृष्टया आरोपजनक और अपमानजनक होती ही हैं। अतः मैं ने सभा को बताया कि मैं इस मामले में महा अधिवक्ता से सलाह करूँगा। मैं ने उन से किसी जांच के लिये नहीं कहा।

श्री मालवीय ने कहा कि वे पार्टी की कार्यकारिणी के समक्ष एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैंने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया।

मेरे विचार से यदि कोई सदस्य सभा के समक्ष वक्तव्य देना चाहता है तो उस में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है न ही वह सभा का किसी प्रकार से अपमान ही है।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे ध्यान दिलाओ प्रस्ताव का यह अभिप्राय था कि प्रधान मंत्री इस विषय में एक वक्तव्य देवें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात स्पष्ट हो गयी है कि किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है अतः मंत्री अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

यदि कोई मंत्री समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी संवाद के आधार पर वक्तव्य देना चाहे तो वह दे सकता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर): एक मामला कलकत्ता न्यायालय में निलम्बित है उस में कुछ मँत्रियों के नाम शामिल हैं। अतः इस मामले पर वक्तव्य देने की अनुमति किस प्रकार दी जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** विषय पर सभा में चर्चा नहीं की जा रही है यह केवल एक वक्तव्य है जिसे मंत्री महोदय दे सकते हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा नाम कलकत्ता के एक खान मालिक जो उड़ीसा में काम करते हैं, के द्वारा किये गये कुछ सौदों के सिलसिले में मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। अतः मैं निम्न वक्तव्य देना चाहता हूँ।

यह आरोप लगाया प्रतीत होता है कि फरवरी, १९५७ में चुनाव के लिये मुझे कुछ धन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय जिसका मैं प्रभारी था, द्वारा उस फर्म के साथ रियायत करने के बदले में दिया गया था।

खान मालिक श्री सिराजुद्दीन के बारे में मुझे केवल एक बार का पता है जब उस ने फरवरी १९५६ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। उस मुकदमे का संचालन वाणिज्य के प्रभारी, संयुक्त सचिव जो राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष भी थे, किया था। ३१ अगस्त, १९५६ को जिस दिन मैं ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का पद छोड़ा था, यह मुकदमा वापस ले लिया गया।

यह कहा गया कि इस फर्म ने चुनावों के समय रुपया इस कारण दिया कि वह फैरो-क्रोम संयंत्र के सम्बन्ध में कुछ रियायतें प्राप्त कर सके। मैं ने इस पार्टी द्वारा फैरो-क्रोम संयंत्र के लिये दिये गये आवेदन पत्र की जांच की। मुझे ज्ञात हुआ है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अक्टूबर, १९५६ को, एक पत्र भेजा था। उस समय भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता स्वर्गीय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पूज्य पंत जी कर रहे थे । तत्पश्चात् १९५७ में जब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इसे विदेशी फर्म से सहकारिता की स्वीकृति दी और अंतिम लाइसेंस मई, १९५८ में जारी किया गया तब मैं केन्द्रीय मंत्री मंडल का सदस्य भी नहीं था।

मेरे विचार से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा अथवा किसी वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा जो मेरे बाद आये लाइसेंस देना कोई गलत बात नहीं थी।

यह सच है कि वर्ष १९५७ के चुनावों के लिये मैं ने धन इकट्ठा करने का कुछ काम किया था। परन्तु मैं इस कार्य के लिये व्यक्तिगत रूप से किसी व्यापारी से नहीं मिला। मेरे विचार से श्री सिराजुद्दीन ऐसे व्यापारी वर्ग में नहीं थे जिन से मैं ने भेंट की हो। व्यापारियों से कहा गया था कि वे अपना धन दल के नाम चैक द्वारा भेजें। उन को यह भी बता दिया गया था कि इस के लिये उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। न रुपया ही मेरे जरिये से आया। इसलिये इस बारे में व्यक्तिगत भुगतान की कोई जानकारी मुझे नहीं है।

जहां तक १९५७ में मेरे अपने चुनाव का सम्बन्ध है, मुझे मद्रास में अपने मित्रों के अतिरिक्त किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस से यह स्पष्ट है कि मेरे नाम का जहां कहीं उल्लेख किया गया है उस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि मेरा सिराजुद्दीन से कोई सम्बन्ध नहीं था, न ही मैं उन का हित करने में समर्थ था।

जब मैं वित्त मंत्री था तब भी उनका कोई मामला मेरे सम्मुख नहीं आया। निसंदेह सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी तथापि मैंने सोचा कि मुझे सभा के सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** । प्रश्न यह है:

"कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मनुभाई शाह:** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें—जारी

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय —जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : अब समय आ गया है जब इस मंत्रालय को बनाये रखने की आवश्यकता पर विचार किया जाये । इस मंत्रालय की स्थापना के समय इस का कुछ औचित्य था; किन्तु अब इस की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस आपातकाल को देखते हुए इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाये और इसके कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार अन्यत्र नियुक्त कर दिया जाये।

इस मंत्रालय का कार्य क्या था? राज्यों के अपने पृथक सहकार, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त इत्यादि के विभाग थे। यह सब विभाग संविधान द्वारा निर्दिष्ट कार्य कर रहे थे। तब सरकार को एक समन्वय मंत्रालय की आवश्यकता अनुभव हुई। किन्तु इसके लिये योजना आयोग विद्यमान था। कुछ समय तक इस ने यह कार्य किया। इस के पश्चात कुछ समय तक खाद्य और कृषि विभाग ने यह कार्य किया। इस से भी संतुष्ट न हो कर पहले योजना मंत्रालय की स्थापना और तत्पश्चात इस मंत्रालय की स्थापना की गई। सम्बन्धित मंत्री महोदय ने जो बहुत सी पत्रिकायें वितरित की गई थीं, उन में कहा था कि, गांवों की यह सहकारी संस्थायें बिना किसी प्रकार के समन्वय के कूप मंडूकों के समान कार्य कर रही हैं। इसलिये उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इनका समन्वय करने का कार्य अपने हाथ में लिया। अब उन की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। मैं उनके नाम गिना कर सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता। कई प्रशिक्षण केन्द्र और सेमिनार हैं। मेरे माननीय मित्र के मस्तिष्क में कोई भी नया विचार आते ही वह तुरन्त एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार अथवा पुनर्नवीकरण पाठ्यक्रम आरम्भ कर देंगे। और इस प्रकार धन का अपव्यय किया जाता है।

बहुत समय से भारत में यह शिकायत रही है कि स्थापना पर, जीपों पर और भवनों इत्यादि पर बहुत धन व्यय किया जाता है किन्तु सरकार का कहना है कि एक-एक पाई का ठीक उपयोग किया जा रहा है। अब आपात काल में उन्होंने कारों इत्यादि की संख्या में कमी करने और नये भवनों का निर्माण कार्य रोकने के विषय में निश्चय लिया है। इस प्रकार वह प्रत्येक खंड में १ लाख रुपये की बचत करने की बात सोच रहे हैं। यदि यही पग पहले उठाया होता तो ५,००० खंडों पर प्रतिवर्ष ५१.४९ करोड़ प्रतिवर्ष की बचत होती। किन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोक कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति और सभा के सदस्यों के परामर्श की उपेक्षा की। यदि इस प्रकार धन का अपव्यय हो रहा है तो यह उचित समय है जब कि प्रधान मंत्री इस समस्या को नये दृष्टिकोण से देखें।

इसके अतिरिक्त सहकारिता के विकास की भी आवश्यकता है। सहकारी संस्थाओं का कार्य राज्य स्तर पर किया जा रहा है। केवल केन्द्रीय राज्य क्षेत्रो में ही यह कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय ने एक नया कार्य यह अपने हाथ में ले लिया है कि अन्तर्राज्यीय सहकारी संस्थाओं का पंजीयन इसके द्वारा ही हो। इस प्रकार इसे अपनी निजी सहकारी संस्थायें खोलने का बहाना मिल गया है।

यह मंत्रालय जानकारी एकत्रित करके राज्य सरकारों की सफलताओं को अपनी सफलता बताता है। यह ऐसा कहता नहीं किन्तु ऐसा प्रभाव डालने का प्रयास करता है। यह जानकारी राष्ट्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

सहकार संघ द्वारा भी दी जा सकती थी। इसके लिये इस मंत्रालय की आवश्यकता नहीं थी। अब मंत्रालय यह कहता है कि इस सफलता के लिये वही उत्तरदायी है, इसलिये उसे अधिक रुपया मंजूर किया जाये ।

पंचायतें इस मंत्रालय के बहुत पहले ही आरम्भ हो गयी थीं। इनकी स्थापना का कार्य १९२० और १९३० के बीच आरम्भ हो गया था। स्वर्गीय श्री गोपालास्वामी आयंगर मद्रास राज्य में ग्राम पंचायतों के रजिस्ट्रार थे और वहां यह कार्य ३५ वर्ष पूर्व आरम्भ हो गया था। मैंने स्वयं ने मंत्री अथवा निदेशक हुए बिना ही ९६० ग्रामों में ७०० पंचायतों को स्थापित किये जाने के कार्य में सहायता दी है। यह कार्य ३० वर्ष पूर्व किया था। हमें इसका पूर्ण अनुभव है। किन्तु मंत्री महोदय क्या करते हैं। एक सम्मेलन बुलाकर वह इस विषय में लोगों के अनुभव का संक्षेप प्रस्तुत कर देते हैं।

मार्च, १९६३ की कुरुक्षेत्र नामक पत्रिका में जिसके लिये सरकार उत्तरदायी है, पंचायत राज्य के विरुद्ध लिखा हुआ है। पक्ष में भी कुछ बातें कही है किन्तु विपक्ष में कहा गया है कि पंचायत राज्य तो शांति काल में भी आवश्यक नहीं है फिर आपातकाल में कैसे हो सकता है और कि आपात काल में एक नेता की आवश्यकता होती है जब कि पंचायत राज्य में अनेक नेता होते हैं, इत्यादि।

पंचायतों की निर्वाचन पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वहां भी शासक पद्धति जारी करनी चाहिये अन्यथा बहुत गड़बड़ होती है। राजनैतिक दल वहां घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। शासक दल स्वभावतः शासक रहना चाहता है और वह ग्राम सेवको बालबाड़ियों, ग्राम कार्यकर्ताओं, खण्डविकास अधिकारियों की सहायता से लोगों को लाभ पहुंचा कर उन पर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं। वास्तव में वे लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही की स्थापना कर रहे हैं ताकि मंत्री महोदय के मन में कोई विचार आये तो ग्राम सेवक तक उसकी पुनरावृत्ति हो।

लोगों से ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत से ताल्लुक पंचायत को और ताल्लुक पंचायत से जिला परिषद को और अन्त में मंत्रियों को अधिकारों का अन्तरण होता है और चूंकि यह मंत्रालय प्रायः सभी प्रकार के कार्यों के लिये उत्तरदायी है अतः ये अधिकाधिक अधिकार चाहते हैं। अतः गड़बड़ को रोकने के लिये मेरा निवदन है कि पर्चियों द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों में पंचायत के सदस्य चुनने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाय। यदि हम चाहते हैं कि गांवों का सामाजिक जीवन अधिकाधिक उन्नति करे तो इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिये। हर वार्ड के लोगों द्वारा तीन व्यक्ति चुने जाने चाहियें जिन में से एक को पर्ची द्वारा सदस्य निर्धारित कर देना चाहिये। ताल्लुक और जिला परिषद में भी यही पद्धति अपनानी चाहिये अन्यथा राजनैतिक लोकतन्त्र का उपहास कर रहे हैं और मर्जी के कठपुतली लोगों के सदस्य बना रहे हैं।

इस पद्धति को अपनाने से उन लोगों को भी अवसर मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से हीन हैं। अन्यथा राजनैतिक नेता पंचायतों और ताल्लुक तथा जिला परिषदों में बैठे सदस्यों को अपने संकेत पर चला रहे होते हैं।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : जिला परिषद के मेम्बर और दूसरे जो मेम्बर हैं वे भी उसी तरह से चुन कर आते हैं, जिस तरह से इस हाउस के आनरेबल मेम्बर आते हैं ? उनकी तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके बारे में इस तरह का कमेंट करना ठीक नहीं है ।

†श्री रंगा : मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को और खंड विकास पदाधिकारियों को मंत्रणा के रूप में अनुदेश देना बन्द कर दे । इसी तरह गैर-सरकारी सभापति के स्थान पर जिला कलेक्टरों को जिला परिषदों का सभापतित्व करना चाहिये, क्यों कि गैर-सरकारी सभापति पर कई दिशाओं से कई प्रकार का दबाव डाला जाता है ।

धन के वितरण के मामले में, संघ सरकार द्वारा राज्यों को धन दिया जाने से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना नहीं उत्पन्न होती । यह बहुत अच्छा होगा यदि राज्यों को स्वयं इस व्यय के लिये उत्तरदायी बनाया जाये और यदि आवश्यकता हो तो संघ सरकार उन्हें ५० प्रतिशत अनुदान दे सकती है । केवल इस प्रयोजन के लिए इस अलग मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है । यह अन्य मंत्रालयों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है और उसे बन्द कर देना चाहिये और इसके कार्यों को प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों से सलाह कर के अन्य मंत्रालयों में बांट सकते हैं ।

†श्री ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : मुझे आश्चर्य हुआ है कि श्री रंगा अपने आप को किसान कहते हैं, फिर भी सामुदायिक विकास आन्दोलन के विरुद्ध हैं । इस आंदोलन के कारण जिन के राष्ट्रीय विस्तार सेवा और पंचायती राज अंश हैं, ग्रामों में बिजली, सड़कें, शिक्षा और उद्योग पहुंचाते हैं । गत १० वर्षों में इस ने काफी जोर पकड़ा है । सामुदायिक विकास अंदोलन के कारण भारत को नया जीवन मिल रहा है । मंत्रालय और श्री डे इस के लिये बधाई के पात्र हैं । मैं समझता हूं कि इस अंदोलन के द्वारा ही ग्रामीण भारत में समाजवाद लाया जा सकता है । तथापि यह आवश्यक है कि सामुदायिक विकास आन्दोलन में अधिक जोर कृषि उत्पादन पर देना चाहिये, क्योंकि शेष सब चीजें कृषि पर निर्भर करती हैं । निस्सन्देह ५० से ६० प्रतिशत ग्रामीणों के पास कुछ न कुछ भूमि है, किन्तु शेष ४० प्रतिशत के पास सिवाय अपने श्रम के और कुछ नहीं है । सामुदायिक विकास मंत्रालय ने उनको लिये कुछ नहीं किया । इन ग्रामीणों को स्वतंत्र भारत में कुछ नहीं मिला । जब तक ग्रामों में उद्योग न पहुंचाये जायें, तब तक इन की सहायता नहीं हो सकती । जब तक ठेका समितियां, निर्माण समितियां और सहकारी खेती का आयोजन न किया जा ये और इन के साथ विशेषाधिकार का व्यवहार न किया जाये, इनकी हालत सुधारी नहीं जा सकती । देखा गया है कि सरकारी भूमियों में भी सहकारी खेती नहीं शुरू की जाती ।

प्रत्येक खंड में जो औद्योगिक विस्तार पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, वह बिल्कुल व्यर्थ है । निस्संदेह यह आवश्यक है कि ग्रामों में उद्योग लाये जायें, किन्तु सरकार की नीति से यह स्पष्ट नहीं होता कि ग्रामों में कौन से उद्योग स्थापित किये जायें । यह सच है कि अम्बर चर्खा और हाथ से धान कूटना और इस तरह के कुटीर उद्योग ग्रामों में स्थापित किये गये हैं । किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । आवश्यकता आधुनिक छोटे उद्योगों की है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं सरकार से कहूं गा कि वह ग्रामों में उद्योग ले जाये, बिजली ले जाये और सहकारी खेती संस्थाओं को भूमियां दे ।

सामुदायिक विकास के लिये सहकारिता की शिक्षा और प्रशिक्षण अत्यावश्यक है । प्रत्येक जिले में एक जिला संस्था होनी चाहिये जो हमारे पंचों और सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षण दे ।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मैं समझती हूं कि यदि सामुदायिक विकास आंदोलन का उद्देश्य ग्रामीणों के सामाजिक जीवन को बदलना है, तो इस कार्यक्रम को स्वयं ग्रामीणों द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिये । हमें सामुदायिक विकास प्रशासन की सफलता सड़कों या परियोजनाओं

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

से नहीं करनी, बल्कि इस बात से करनी है कि लोगों ने किस हद तक इस कार्यक्रम को अपना समझ कर अपनाया है और किस तरह इस को क्रियान्वित किया है। मैंने बहुत सी परियोजनायें देखी हैं। और मैंने अनुभव किया है कि न तो लोगों ने, न खंड विकास अधिकारियों तथा प्रभारी अन्य अधिकारियों ने सामुदायिक विकास के आधार को समझा है और वह आधार है सामुदाय का अपना प्रयत्न। खंड विकास पदाधिकारियों को कुछ प्रशिक्षण अवश्य दिया जाता है, किन्तु वे इन बातों को नहीं समझते। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पहल लोगों के पास छोड़ देनी चाहिये और उन से पूछना चाहिये कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है,। जहां पहले ही सड़कें हैं वहां सड़क बनाई जा रही है। कई स्थानों पर जहां कृषि उत्पादन की अत्यधिक आवश्यकता नहीं, वहां इस पर जोर दिया जा रहा है।

समन्वय के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहती हूं कि खंड स्तर पर समन्वय की कमी है। बहुत से विभागों से पदाधिकारी आते हैं और लोग नहीं जानते कि वे किस की बात सुनें और क्या करें। खंड स्तर पर इतने परिवर्तन नहीं किये गये कि जिस से प्रशासन अच्छी तरह चल सके। कई स्थानों पर एक काम को दो दो बार या कई कई बार किया जा रहा है और इस तरह शक्ति का अपक्षय हो रहा है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि ९ राज्यों में पंचायतें शुरु की गई हैं। हमें कुछ बातों के बारे में सावधान रहना है। पंचायती राज्य बहुत अच्छी चीज है किन्तु हमें सावधान रहना है कि पंचायतों में चुने गये व्यक्ति समाज के कमजोर भागों पर अपना दबाब न डाल सकें और उन पर छाये न रहें।

नया पंचायत अध्ययन दल ने जो परित्राण सुझाये हैं, उन्हें मान लिया जाना चाहिये। हम सहकारी संस्थाओं के पक्ष में हैं, किन्तु जैसा कि श्री ब्रह्म प्रकाश ने पूछा है, ग्रामों में कितने बेरोजगारों को सहकारी संस्थाओं द्वारा सहायता मिली है। कई बार ऋणों में बहुत विलम्ब होता है और ऋणों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस मामले में प्रशासन में तेजी लानी चाहिये। अन्त में, मैं आशा करती हूं कि ग्राम स्वयंसेवक बल पूर्णतया सफल रहेगा और यह न केवल आपातकाल में हमारी सहायता करेगा, बल्कि समाजवादी ढांचे को स्थापित करने में भी हमारी सहायता करेगा।

श्री यु० सि० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है, उस का सीधा सम्बन्ध देहातों से है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन मंत्रालय देहात का नहीं है।

श्री यु० सि० चौधरी : यह तो कांग्रेस वाले जानें।

आजादी के बाद इस सामुदायिक विकास मंत्रालय का जन्म हुआ और उस की तरफ़ से देहात की उन्नति के कई कार्यक्रम बनाए गए। इस महकमे को ऊंचा उठाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ इस का प्रचार तथा प्रसार किया गया। उस की ओर से देहातों की भलाई के जो कार्यक्रम बनाए गए, उन के अन्तर्गत बहुत से आफ़िसर्ज़ और सरकारी कर्मचारी, ऊपर से ले कर ग्राम-सेवक तक, नये एप्वायंट किये गए और इस प्रकार यह कल्पना की गई कि इस के द्वारा देहात का बहुत लाभ हो सकता है। यह एक तथ्य है कि जब तक देहात की प्रगति नहीं होगी, जब तक गांवों में रहने वाले अस्सी प्रतिशत लोगों की उन्नति के लिए ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाए जायेंगे, जिन का सीधा सम्बन्ध गांवों से हो और जो गांवों में चलाए जायें, तब तक देहात की ओर उन के द्वारा इस देश की सही उन्नति नहीं हो सकती है। किन्तु अगर आप पिछले छः सात साल के दौरान में इस मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस के रिकार्ड

को देखें, तो आप को पता चलेगा कि जो बातें आज कहीं जा रही हैं, चाहे वे इस तरफ़ के माननीय सदस्यों की तरफ़ से कही गई हों और चाहे उस तरफ़ के माननीय सदस्यों की तरफ से, प्रायः वही बातें पिछले छः सात सालों से कही जा रही हैं। सब मेम्बरों का यही कहना है—और इस में कोई एग्ज़ेजेरेशन या अतिशयोक्ति नहीं है—कि इस महकमे को बन्द कर दिया जाये।

हम देखते हैं कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। न तो कोआपरेटिव सोसायटीज़ का काम हो रहा है और न डेवेलपमेंट का काम हो रहा है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध में बहुत कमियां हैं, जिन को दूर करना बहुत आवश्यक है। पिछले सात आठ साल से इस सदन में और बाहर यह बात दोहराई जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर बहुत जोर देता रहा है कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत ब्लाक डेवेलपमेंट के द्वारा या कोआपरेटिव्ज़ के द्वारा या लोगों को शिक्षित करने के लिए जो इतना धन-दौलत खर्च किया जा रहा है, उस का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है और देहात तथा देहात के लोगों पर उस का कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

जहां तक सरकार की ओर से पैसा देने का प्रश्न है, उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता है। जहां तक केन्द्र के मंत्री महोदय का सवाल है, उन की नीयत पर तो हम और आप शक नहीं करेंगे, लेकिन इस बात से कैसे इन्कार किया जा सकता है कि आज देहात में कोई काम नहीं हो रहा है? इस के कई कारण हो सकते हैं। या तो मंत्री महोदय सख्ती से कोई कदम नहीं उठा सके हैं, या वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल कोई उचित कानून नहीं बना सके हैं और या अधीनस्थ लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सके हैं, जिस से देहात की भलाई के काम हो सकें और टैक्स देने वाले की जेबों से जो पैसा आता है, उस का पूरा सदुपयोग हो सके। शायद इन के अतिरिक्त कोई और भी कारण हों, लेकिन मालूम होता है कि मंत्री महोदय ने यह समझ लिया है कि यह सब काम यों ही चलता रहेगा, इस में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ढाक के तीन पात यों ही रहेंगे, इस में कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से यह काम चलता है, चलने दो।

आज इस महकमे की यह स्थिति है। आप गांवों में जा कर देखिए। पहले तो ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविकायें हैं। उन के ऊपर बी० डी० ओ० हैं और उस के ऊपर और आफिसर हैं। जिले में ब्लाक डेवेलपमेंट का महकमा है। ये सब लोग क्या करते हैं? जब गांवों की भलाई के लिए उन के पास कोई स्कीम आती है, तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टज़ में वे लोग उस को डिस्कस करते हैं। फिर बी० डी० ओ० के पास ग्रांट भेज दी जाती है। बी० डी० ओ० ग्राम-सेवकों को बुलाते है और कहते हैं कि यह काम करना है। ग्राम-सेवक गांवों में चले जाते हैं और पांच सात दिन तक ज़बानी जमा-खर्च कर के मन्थली मीटिंग में उस को पेश करते हैं। इस प्रकार ग्राम-सेवक से ले कर बी० डी० ओ० तक सब लोग कागज़ी कार्यवाही करते हैं और उस का विवरण मंत्री महोदय के पास पहुंच जाता है। मंत्री महोदय एक रिपोर्ट को छाप कर हम लोगों में तक्सीम कर देते हैं कि बहुत तरक्की हुई है।

जहां तक इस महकमे का प्रश्न है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यह महकमा बिल्कुल रहना चाहिए। जब इमरजेंन्सी आई, तो कुछ लोगों ने यह आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि डेवेलपमेंट के महकमे को तोड़ दिया जाये। इस बात से हम को सख्त एतराज़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहात की तरक्की और विकास के लिए केवल एक ही जो विभाग है और उस के द्वारा जो काम होता है, अगर इमरजेंन्सी के नाम पर या किसी अन्य कारण से यह आवाज़ उठाई जाये कि उन को ख़त्म कर दिया जाये, तो सारे देश को डट कर उस का मुकाबला करना चाहिए। हम लोग तो इस बात की आलोचना करते हैं कि डेवेलपमेंट का काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत सा बोगस काम होता है।

एक माननीय सदस्य : बोगस का क्या मतलब है ?

श्री यु० सि० चौधरी : बोगस का मतलब यह है कि काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में बहुत कुछ दिखाया जाता है । सब का सब काम कागजी है । मैं आप को एक उदाहरण देता हूं ।

एक गांव में एक ग्राम-सेवक मुझे मिला और कहने लगा कि हम ने बी० डी० ओ० से एक हज़ार रुपया लिया है, जो कि किसी ज़मींदार को मुर्गियां पालने के लिए दिया गया है । उन्होंने जो मुर्गीख़ाना बना लिया है, उस का उद्घाटन करने के लिए बी० डी० ओ० और ज़िलास्तर के ऊंचे अधिकारी आ रहे हैं । मैंने उन से कहा कि "मुर्गियां रखने का दरवा तो मैंने नही देखा ।" उन्होंने कहा कि मुर्गियों का इन्तज़ाम हम अपने आप कर लेंगे "। उन्होंने रातों रात मुर्गियों का एक छोटा सा दरबा बना लिया और कुछ हरिजनों के घरों से पचास साठ मुर्गियां इक्ट्ठी कर लीं । बी० डी० ओ० साहब आए, उन्होंने उद्घाटन किया, तालियां बजाई गईं और बात ख़त्म हो गई । वे मुर्गियां बाद में उन लोगों को वापस कर दी गईं ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : क्या माननीय सदस्य वहां पर थे ?

श्री यु० सि० चौधरी : मैं वहां पर था या नहीं, इस बात से कोई मतलव नहीं है । मुझे इन सारी बातों का अच्छी तरह से पता है । मैं चेलेंज करता हूं कि मंत्री महोदय इस की एन्क्वायरी करायें। मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं ।

जहां तक इस महकमे के द्वारा लोगों के पास पैसा जाने का सवाल है, वह ठीक जाता है, लेकिन वहां जा कर उस पैसे का दुरुपयोग होता है, जिस काम के लिए वह पैसा दिया जाता है, उस में ख़र्च न कर के इन्ट्रेस्टेड आदमी या कुछ सत्तारूढ़ लोग, जिन का गांव पंचायतों पर किसी प्रकार कब्ज़ा है, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि गांवों की सही उन्नति नहीं हो पाती है । मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी यही आलोचना की है । जब तक गांवों की भलाई के लिए कोई स्कीम या प्लान बना कर ईमानदारी से पैसे का वितरण नहीं किया जायेगा, तब तक इस काम में सफलता नहीं मिलने वाली है ।

इस सम्बन्ध में हम लोगों को अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, इस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष कारण यह है कि लोगों को इस बारे में शिक्षित नहीं किया गया । किसी भी स्कीम को लाने से पहले यह आवश्यक है कि लोगों में उस के प्रति प्रेरणा और उत्साह बढ़ाया जाये, ताकि वे यह सोच सकें कि सरकार की तरफ से हमारी भलाई के लिए जो प्रोग्राम चालू होने वाला है, उस को कैसे सही रूप से कार्यान्वित किया जाये । किसी को कुछ पता नहीं होता है कि अमुक अफसरका इस के अन्दर क्या रोल होगा तथा उस पैसे का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकेगा । प्रचार की भी इस बारे में बड़ी भारी कमी है । आठ दस साल इस चीज़ को शुरू हुए हो गए हैं लेकिन आज तक देहात के लोगों को पता तक नहीं है कि यह सब का सब पैसा किस लिए आ रहा है और किस तरह से इस को खर्च किया जायगा । वे तो समझते हैं कि जिस तरह से बनिये से रुपया कर्ज़ के तौर पर ले लिया जाता है, उसी तरह से बी० डी० ओ० से कर्ज़ मिल जाता है और सूद के साथ उस को वापिस कर देंगे । इस महकमे का मूल उद्देश्य क्या है, इस का किसी को कुछ पता नहीं है । अभी बंगाल की एक माननीय बहन कह रही थीं कि जो मूल उद्देश्य है, उस का बी० डी० ओ० को पता नहीं होता है, जो दूसरे अफसर होते हैं उन को पता नहीं होता है, कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का जो महकमा है इस के द्वारा गांवों का उद्धार किस तरह से होगा और इस का क्या तरीका होगा और इस का

मूल उद्देश्य क्या है जिस को सामने रख कर उन को सारे गांवों में काम करना है, उस का उन को पता नहीं होता है । जब इन लोगों को ही मूल उद्देश्य का पता नहीं होता है तो दूसरे जो गांव वाले हैं, उन को इस का पता ही कैसे हो सकता है । वे तो अनपढ़ होते हैं ।

हमारे पास कौन सा तरीका है कि लोगों तक हम पहुंच सकें । आप पोस्टर और इश्तहार वगैरह निकालते हैं । उस से यही यह बात सुलझने वाली नहीं है । गांवों में नव्वे प्रतिशत जनता अनपढ़ होती है । मैं मानता हूं कि इश्तहार काफी निकले हैं, पोस्टर काफी निकले हैं किताबें भी निकली हैं । लेकिन सब से अच्छा जो माध्यम इस का हो सकता है वह रेडियो ही हो सकता है । एक विशेष बात इस रेडियो के बारे में मैं आप से कहना चाहता हूं । इस चीज को आप इनफार्मेशन मिनिस्ट्री से टेक अप करें । २४ घंटों में जो प्रोग्राम उन्हों ने देहाती लोगों के लिए फिक्स किया है दिल्ली के आस पास के इलाकों के लिए, हरियाणा के लिए, वह सवा छः बजे से शुरू होता है । यह कम्युनिटी प्रोग्राम होता है । यह सवा छः बजे से सवा सात या साढ़े सात बजे तक चलता है । अब आप देखें कि गर्मियों के दिनों में किसान, गांव वाला क्या कर रहा होता है । उस वक्त ९९ प्रति शत नहीं बल्कि सेंट परसेंट किसान अपने खेतों के अन्दर काम कर रहे होते हैं और जो औरतें होती हैं, वे रोटी के काम में लगी होती हैं । इस वक्त वे पंचायत घरों में जो रेडियो सैट लगे हैं, उन को सुनने के लिए जा नहीं सकते हैं, वहां विद्यमान नहीं हो सकते हैं । आप जानते ही हैं कि गर्मियों में छः सात बजे सूरज निकला रहता है और जब तक दिन रहता है वे खेतों में काम करते रहते हैं । सर्दियों में शायद यह वक्त ठीक हो सकता है, लेकिन गर्मियों में हर्गिज ठीक नहीं हो सकता है । सर्दियों के दिनों में इस के पक्ष में तर्क भी दिया जा सकता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इस के पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है । प्रचार का गांवों में वह समय होना चाहिये जिस समय में किसान लोग काम से वापिस आ जायें अर और जब उन को फुर्सत हो । उस वक्त अगर आप इस तरह प्रचार करेंगे कि अमुक स्कीम गांव के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, अमुक स्कीम बैलों या पशुओं की भलाई के लिए चलाई जा रही है, तो रेडियो से कुछ लाभ भी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है । एक आध बार मैं ने कहा भी है । उस के जवाब में यह कह दिया गया है . . . . . .

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : रेडियो तो कान से सुना जाता है ।

श्री यु० सिं० चौधरी : आप का मतलब यह है कि वे इस को कान से लगा लें और साथ ही साथ हल चलाते रहें ? अगर ऐसी बात है तो मेरा डे साहब से यह अनुरोध है कि वे एक एक ट्रांजिस्टर उन को दे दें ताकि वे उन को हल के साथ लगा लें और हल भी चलाते जायें और रेडियो भी सुनते जायें । इसी तरह से जो औरतें कुओं पर पानी भरने के लिए जाती हैं, उन को भी ट्रांजिस्टर दे दिये जायें ताकि वे अपना काम भी करती जायें और आप के प्रोग्राम्ज को भी सुनती जायें । अगर ऐसा किया जाता है तो मेरा इस प्रोग्राम के बारे में या इस के टाइम के बारे में कोई एतराज नहीं हो सकता है । लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आप के प्रोग्राम्ज को सुन सकें, जो गांवों के फायदे के लिए आप प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, उन को वे पंचायत घरों में आ कर सुन सकें तो आप को इन प्रोग्रामों का ऐसा समय फिक्स करना होगा जबकि वे फारिग होते हैं और उन से वे लाभ उठा सकें । आप रात के नौ बजे या खबरों के ऐन बाद इस प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं या दस बजे इस को किया जा सकता है । यह ऐसा समय है जबकि वे फारिग हो कर अपने हाथों में हुक्का ले कर आ सकते हैं और आप के प्रोग्राम्ज को सुन सकते हैं ।

अब मैं पंचायतों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । आप ने गांव के भाइयों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने कामों को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनें और उन के द्वारा सारे का सारा काम चलायें । यह दृष्टिकोण देश के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है, गांवों के उत्थान

[श्री यु० सिं० चौधरी]

के लिए बहुत अच्छा है । कुछ कमियां हैं, जिन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा । इस में कोई शक नहीं है कि कुछ बुराइयां भी इस के साथ आई हैं । पंचायतों के चुनावों को ले कर गांवों में पार्टीबाज़ी बहुत ज्यादा बढ़ी है । इस का इलाज शायद किसी के पास नहीं हो सकता है । बड़ी इलैक्शन में भी, असैम्बली इलैक्शन में तथा पार्लियामेंटरी इलैक्शन में भी पार्टीबाज़ी बहुत होती है । पंचायतों के इलैक्शन होने के बाद शायद बहुत अधिक गांवों में पार्टीबाज़ी आपस में हुई है । लेकिन एक कठिनाई है जिस की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । जो पंच तथा सरपंच निर्वाचित होते हैं, वे प्रायः बिल्कुल अनपढ़ होते हैं । उन को अक्षर ज्ञान भी न होने का नतीजा यह होता है कि अगर वे कोई ऐसी बात कर बैठते हैं जोकि बी० डी० ओ० के इंटिरेस्ट के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के इंटिरेस्ट के खिलाफ जाती है, या कम्युनिस्टी डिवेलेपमेंट महकमे के खिलाफ जाती है और अगर वे कोई ऐसा स्टेंड ले लेते हैं जिस को बी० डी० ओ० पसन्द नहीं करता है, तो कुछ ऐसा कागज़ी चक्कर एकाउंटिंग के अन्दर या आडिट के अन्दर चलाया जाता है और उस में उन को ऐसे फंसाया जाता है कि या तो उन को जेल हो जाती है या फिर वे सारी उम्र के लिए कान पकड़ लेते हैं कि कभी इलैक्शन नहीं लड़ेंगे । ऐसी स्थिति में अगर आप कोई ऐसा प्रबन्ध कर सकें कि कुछ न कुछ उस को अक्षर ज्ञान होना चाहिये, तो बहुत अच्छा होगा । जो भी उम्मीदवार बनना चाहे, उस को अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिये और यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । इस का नतीजा यह होता कि जो लोग पंचायत के मामलों में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखा रहे होंगे और जो उम्मीदवार बनने के इच्छुक होंगे वे तीन चार क्लास पढ़ लेंगे और कोशिश कर के दिन रात परीक्षा पास कर लेंगे । इस से प्रौढ़ शिक्षा वाली आप को जो समस्या है वह भी कुछ हद तक सफल हो जायेगी । कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार लाख रुपये के ढोलक खरीदे गए थे । अगर यह ढोलक बजाने की कंडिशन लगा दी जाय तो वे लोग भी शौक रखेंगे और पढ़ेंगे भी । आजकल जो उन से कोरे कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं, तब यह भी नहीं हो सकेगा ।

मैं आप को पंजाब का एक उदाहरण देना चाहता हूं । पंजाब सरकार ने कहा कि पंचायत समितियां जो हैं तथा जो जिला परिषदें हैं, उन को कुछ खास तरह के अख़्तयार दिये जायें । उस ने कहा कि जो बी० डी० ओ० हैं, वह जब छुट्टी जाये तो ब्लाक समिति का चेयरमैन उस की उस छुट्टी को सैंक्शन करे । मुझ से एक बी० डी० ओ० साहब की मुलाकात हुई और मैं ने उन से कहा कि अब तो ऐसी बात हो गई है कि आप जब छुट्टी जायें तो समिति के चेयरमैन से आप को अपनी छुट्टी मंजूर करवानी होगी क्योंकि उन को इस के बारे में विशेष पावर्ज़ दे दी गई हैं और अब आप की पोज़िशन बहुत आकवर्ड हो गई होगी । उस ने जवाब दिया कि अगर छुट्टी मंजूर करवानी होगी या टी० ए० और डी० ए० का बिल मंजूर करवाना होगा तो यह एक मिनट का ही काम है और एक मिनट में चेयरमैन के उस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे । पहले हम को यह डर हुआ करता था कि कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ता था और अब उस के पास जाना पड़ेगा जोकि बिल्कुल अनपढ़ है और जो चेयरमैन है । अगर वह रास्ते में आयेगा और आना कानी करेगा तो कहीं न कहीं उस को जाल में फंसा लेंगे । ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि चेयरमैन का और मेम्बर्ज़ का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक हो जाता है ।

अब मैं कोआप्रेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे खयाल में यह बात आंख मूंद कर मान लेनी चाहिए कि देश के अन्दर देहातों में अस्सी परसेंट जो कोआप्रेटिव्ज़ हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, बोगस हैं । भक्त दर्शन जी ने बोगस शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की थी, इस वास्ते इस का प्रयोग मैं नहीं करता हूं । उन के जितने भी सदस्य हैं, वे सब जाली हैं । जिस काम के लिये रुपया लिया गया होता है, उस काम पर वह रुपया खर्च नहीं किया जाता है । दूसरी चीज़ों में उस को खर्च कर

दिया जाता है। पंजाब का मुझे अच्छी तरह से पता है। आसपास के देहातों में जितनी भी सोसाइटीज हैं, मोटरों की या दूसरी, वे जिस भी उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उन में से एक उद्देश्य भी उन का सफल नहीं होता है। किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है, इस को भी आप देखें। बाकायदा मेम्बरें बनाये जाते हैं। बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। बाकायदा बैंकों से रुपया लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि बैंक क्यों नहीं देखते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रर क्यों नहीं देखता है, इंस्पैक्टर क्यों नहीं देखता है और किस तरह से यह सारा जाल बिछा रहता है। आप देखें कि कोआप्रेटिव बैंक के डायरेक्टर कौन हैं ? वे एक खास ग्रुप के लोग होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एक खास ग्रुप का होता है। इंस्पैक्टर का क्या है, उस की परवा ही कोई नहीं करता है। समिति का उस के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है ? ज़िला परिषद् का चेयरमैन भी उसी ग्रुप का होता है। आप देखें कि घुमा फिरा कर के जो लोग होते हैं, वे सब एक खास प्रकार के ग्रुप के होते हैं। उन्हीं का उन के ऊपर कब्ज़ा होता है। सारी की सारी इंस्टीट्यूशंज़ के ऊपर उन का कब्ज़ा होता है। वे इनक्वायरी करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी सोसायटी होती है, जब वह रजिस्टर होती है तो उस को लोन मिल जाता है। लेकिन जिस परपज़ के लिए लोन मांगा जाता है, उस परपज़ पर उस को खर्च नहीं किया जाता है, उस का सदुपयोग नहीं होता है।

जहां तक मेरा खयाल है हमारे मंत्री महोदय के नालेज में रिजर्व बैंक की तरफ से जो शिकायत की गई थी, वह आई होगी। जो रूरल क्रेडिट आफिसर्स हैं और जो सोसाइटीज़ को इंस्पैक्ट करते हैं, एक बार उन्होंने एक बयान में कहा था मोगा के इर्द-गिर्द फिरोजपुर की तरफ की उन्नीस सोसाइटीज़ को देखने के बाद कि इनमें से केवल एक बिल्कुल ठीक काम कर रही है, बाकी बिल्कुल गलत हैं। जब उनसे कहा गया कि वे इनको ठीक क्यों नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि उनके पास पावर्ज़ नहीं है, पैसे जो हैं, वे गवर्नमेंट के द्वारा सैंट्रल बैंक देता है। एक ही प्रांत की सोसाइटीज़ की जिन्होंने तारीफ की थी और वे शायद महाराष्ट्र की सोसाइटीज हैं। बाकी देश में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल गलत काम करती हैं। इनका वर्किंग कैसे ठीक हो सकता है, इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आप अगर किसी कमिशन की नियुक्ति करें या ऐसी ही किसी संस्था की नियुक्ति करते हैं जिसके पास अच्छी खासी पावर्ज़ हों और वह गांवों में जाकर सारी बातों को अच्छी तरह से देखती है और उसके बाद कनकलूशंज निकाल करके आपके सामने रखती है और आप उन पर अमल करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काम अच्छी तरह से चल सकेगा और आगे आने वाले बरसों में आपको हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म भी कम सुनने को मिलेगा। हमारे डे साहब जब उत्तर देंगे तो अपने भाषण से वह हमको जरूर खुश कर देंगे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। वही ढाक के तीन पात वाली बात होने वाली है। आलोचना तो सब ठीक है मगर पतनाला वहीं गिरेगा। पंचों की बात सर माथे, पर पतनाला वहीं आकर पड़ना है। इस प्रवृत्ति को त्याग कर अगर सच्चे अर्थों में गांवों का उत्थान और उद्धार करने की कोशिश की जायेगी तो वह सराहनीय होगी।

श्री भी० प्र० यादव (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो मांग बहस चल रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता का विचार गांवों के लिये एक क्रांतिकारी विचार है। हमें उसकी बुनियादी धारणा और कार्य संचालन पर बुनियादी तौर से विचार करना चाहिये और उसके कार्य संचालन की व्यवस्था के प्रति निरन्तर सतर्क रहना चाहिये। पिछले दस वर्षों में सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। उसी प्रकार की सामाजिक क्रांति के द्वारा जिसमें

[श्री भी० प्र० यादव]

कि देहातों के ग्रामीणों का सामाजिक स्तर ऊंचा उठ सके, उस में चेतना आ सके, उसकी आर्थिक प्रगति हो सके और गांवों और शहरों के बीच जो इतनी चौड़ी खाई हो गई है वह दूर हो सके, इसके लिये काफी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि गांवों में जो पिछड़ापन आ गया है उसको इस योजना के माध्यम से दूर किया जाय।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आर्थिक उन्नति का औद्योगिक आधार चाहे जितना भी हो, उसके बावजूद आने वाले अनेक वर्षों में हमारी आर्थिक उन्नति का आधार कृषि ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अकाट्य सत्य को मान लेने के बाद यह निश्चित किया गया कि हमारी कृषि पर ही अधिकांश समय और खर्च लगाया जाय। जसा रिपोर्ट में कहा गया है, खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये ७ हजार मन रसायनिक उर्वरक और २ हजार ८०० मन सुधरे बीज और १५० सुधरे औजार बांटे जा रहे हैं। यह सब काम हमारी खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि इससे हमें क्या सफलतायें मिली हैं तो हम पाते हैं कि जो भी सफलतायें हमें मिली हैं वे कोई बहुत प्रभावशाली ढंग की नहीं हैं। लेकिन एक प्रमुख प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य से यह योजना चालू की गई थी क्या वह उद्देश्य सफल नजर आ रहा है, दूसरा प्रश्न यह है कि प्रखंडों में जो धन राशि लगाई गई है उस धन राशि के अनुरूप हमें सफलता मिल रही है या नहीं। यह दो मुख्य प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब हम इन दोनों प्रश्नों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जिस उद्देश्य से यह योजना चालू की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति भी इस योजना की मार्फत नहीं हो रही है क्योंकि जितनी धन राशि गांवों की उन्नति के लिये खर्च की गई है उस के अनुपात से उत्पादन और जन कल्याण नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में इसे हम यों कह सकते हैं कि जो सफलतायें मिली हैं वे कहीं कहीं तो केवल देखने और दिखाने के लिये ही हुई हैं। चाहे हम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लें या सिंचाई योजना के क्षेत्र में लें या सहकारिता के क्षेत्र में लें, किसी भी क्षेत्र में लें, तो हम पाते हैं कि इस योजना के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वह कहीं भी हम पूरा नहीं कर सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी धन राशि इस योजना के पीछे आज तक लगाई गई उसके अनुपात में हमें जो सफलता मिली है वह "नहीं" के बराबर है, क्योंकि जो हमारे लक्ष्य थे वे इस अवधि तक पूरे हो जाने चाहियें थे। लेकिन वे लक्ष्य हम अभी तक किसी भी क्षेत्र में पूरे नहीं कर सके हैं। प्रखंडों में रहट, पम्पिंग सेट्स या अन्य अन्य छोटी सुविधायें जो गांव को दी जाने वाली हैं, उनमें अधिकांशतः, हम पाते हैं कि जो व्यक्ति साधन प्राप्त हैं उन्हीं को वे सुविधायें मिलती हैं और जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास रुपये पसे का अभाव है, वे उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी हालत में योजना का जो मकसद है वह पूरा नहीं होता क्योंकि इस योजना का यह मकसद था कि हम गरीब से गरीब, छोटे से छोटे किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और उनकी आर्थिक उन्नति कर सकें। हम पाते हैं कि इस योजना में हमें इस बात में काफी कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है।

अभी हाल में, गत पहली अप्रैल को हमारे योजना मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि गांवों के लिये पर कैपिटा आमदनी क्या है, इसके आंकड़े उनके पास अलग से नहीं हैं। लेकिन जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में जो पर कैपिटा आमदनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें कुछ ह्रास हुआ है, तो उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति जाती है। इतना ध्यान देने के बाद और इतना खर्च करने के बाद जब हमारी पर कैपिटा आमदनी नहीं बढ़ सकी और हमारी आर्थिक उन्नति का रूप बहुत ज्यादा नहीं बदल सका तो मैं यह कैसे कहूं कि सभी क्षेत्रों में हमारी काफी प्रगति हुई है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है ?

इसलिये मेरा निवेदन है कि एक कमेटी बना कर इन सब बातों की जांच कराई जाय कि इन प्रखंडों में हमारी असफलता या विलम्ब के क्या कारण हैं। इसके कारण चाहे जो हों, लेकिन जब यह योजना शुरू की गई थी तो ऐसा बतलाया जाता था शुरू में कि विकास की व्यवस्था या प्रशिक्षित व्यक्तियों या अफसरों के अभाव के कारण हमारा यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन यदि दस वर्षों के बाद भी हम यह कहें कि व्यवस्था के कारण या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के अभाव के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका तो यह निश्चित रूप से एक बहुत खेद का विषय है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन असफलताओं और इन विलम्बों का क्या कारण है इसकी जांच करायी जाये, और इन असफलताओं और विलम्बों को कैसे दूर किया जाये तथा इस योजना के पीछे जो हमारा उद्देश्य है उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाये इसके उपाय सोचे जायें। यह चीज अत्यन्त आवश्यक है।

इस योजना की असफलता के और चाहे जो भी कारण हों लेकिन इसकी असफलता का एक बड़ा कारण यह है कि यह काम एस० डी० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के शासन का एक्सटेंशन बन गया है और इसका कार्य बहुत धीरे होता है। इसका नतीजा यह है कि लोग परेशान हैं और उनका उत्साह और उनकी उमंग समाप्त होती जाती है और लोगों में यही भावना आती है कि ये ब्लाक वही काम कर रहे हैं जो कि गांवों में थाने किया करते थे। जो प्रखंड प्राधिकारी हैं उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों की जांच करायी जाये और जहां तक हो सके इनको दूर किया जाये।

मेरा सुझाव है कि योजना को सफल बनाने के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाये जो कि योजना में रुचि रखते हों और सजग हों, जो गांवों के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ा सकें, और अपने आचार विचार से यह सिद्ध कर सकें कि जो योजना गांव वाले चला रहे हैं उसमें वे सुधार लाने के लिये आये हैं और उसमें सुविधा देना चाहते हैं। जब तक आपके अफसरों की ऐसी मनोवृत्ति नहीं होगी तब तक गांव वालों का उत्साह बढ़ने नहीं पायेगा और उनमें सामूहिक रूप से काम करने की प्रवृत्ति नहीं जाग सकेगी।

दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जो राज्यों में शिक्षा, विकास और लगान वसूली का काम एक साथ होता है, इसको अलग अलग कर दिया जाना चाहिये। बिहार में हम देखते हैं कि ये सब काम एक साथ होते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि विकास का काम बिल्कुल ठप्प पड़ गया है और बिहार में इस योजना के मारफत कोई प्रगति देखने को नहीं मिलती।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : मैं कह सकता हूं कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज आंदोलन से देश में एक सामूहिक जागृति पैदा हो गई है।

सामुदायिक विकास मंत्रालय की एक विशेष कठिनाई यह है कि इसे राज्य सरकारों के कार्यों में भी समन्वय करना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि यहां जो कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं, उन्हें राज्यों में अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाये। इन कठिनाइयों के होते हुये भी, इस मंत्रालय ने ग्रामीणों में एक नया उत्साह पैदा कर दिया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होने के बाद, लगभग ४०,००० ग्राम स्तर कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है और १४,००० कृषि स्नातकों को इस विभाग में काम दिया गया है। इसके बावजूद भी काम के जो लक्ष्य थे वे पूरे नहीं हुये।

†मूल अंग्रेजी में

]श्री पं० वेंकटासुब्बया]

कृषि उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि १९५१ के बाद देश में कृषि उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु इस में से आधी वृद्धि विस्तृत खेती से हुई है। अतः यह इस मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह सघन खेती को अपनाये।

ग्राम स्तर कार्यकर्त्ताओं की भरती के समय यह नहीं देखा जाता कि उनमें ग्रामीण प्रवृत्तियां भी हैं या नहीं। शहर से आने वाले उम्मीदवारों को, जिन्हें कृषि का कुछ ज्ञान नहीं होता मैट्रिक, या बी० ए० की परीक्षाओं के नम्बरों के आधार पर चुन लिया जाता है। यह सामुदायिक विकास मंत्रालय में प्रशिक्षण के लिये चुने जाने वाले लोगों की भरती में एक भारी त्रुटि है। कृषि स्नातकों के मामले में भी यही स्थिति है इसलिये इस मामले में काफी सावधानी बरती जानी चाहिये। यदि आवश्यक हो, तो मंत्री महोदय को राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि ग्रामीण स्तर कार्यकर्त्ताओं की भरती ग्रामीण लोगों में से की जाये।

इन कार्यकर्ताओं और विस्तार पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे ग्रामों में ग्रामीण उद्योगों के पक्ष में वातावरण पैदा करें। इस समय कृषकों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और वे ऋणों के बोझ से दबा हुआ है। जब तक ग्रामीण उद्योग नहीं शुरू किये जायंगे, उन की हालत अच्छी नहीं हो सकेगी।

सरपंचों के चुनाव का तरीका ऐसा है कि केवल अमीर आदमी या गुंडे या समाज विरोधी तत्व ही सरपंच चुने जाते हैं। इस हालत को दूर करने के लिए गुढ़ शलाका की प्रणाली शुरू की जाये। ऐसा करने से ही पंचायतों के लिए उपयुक्त आदमी सरपंच चुने जा सकते हैं।

यद्यपि सहकारी संस्थाओं की बहुत से लोगों ने आलोचना की है, फिर भी इस प्रणाली ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सुझाव है कि इन संस्थाओं को विकासक्षय एककों के रूप में विकसित किया जाये और ग्राम स्तर की सेहकारी संस्थाओं के संघ बनाये जायें।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजना का लक्ष्य जैसा कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कायापलट करना था। मगर मैं जहां तक समझ पाया हूं प्लानिंग की एक मिसाल कही जाती है जो कि प्लानिंग के वर्कर्स कहा करते हैं कि प्लानिंग के तीन काम, नक़शा, मीटिंग और सलाम। नक्शे के माने रिटर्न्स दाखिल करना। ढेरों रिटर्न्स उनको बनाने पड़ते हैं। मंथली, वीकली और फोर्टनाइटली आदि रिटर्न्स बनाने में ही बी० एल० डबल और ए० डी० ओ० का सारा समय गुज़रता है। इसके अलावा जहां तक मीटिंग्स की बात है, मीटिंग्स का तांता सा लगा रहता है। कभी ब्लाक मीटिंग है, कभी पंचायत मीटिंग है तो कभी ए० डी० ओ० की मीटिंग रहती है और उनका अधिक से अधिक समय इन मीटिंग्स में चला जाता है। तीसरी चीज सलाम है जिसके कि मायने मुआयने के हैं। एक के बाद एक अफ़सरों का मुआयना होता रहता है और वर्कर्स का सारा समय इन मुआयनों के कारण खातिरदारी करने और सलाम बजाने में खर्च हो जाता है। वे ग्रामसेवक बेचारे काम कहां से करें?

एक ब्लाक में १० ग्राम सेवक होते हैं तो उन के ऊपर दस अफ़सर होते हैं। अब ए० डी० ओज० की संख्या भी गिन लीजिये। ए० डी० ओ० एग्रीकलचर, ए० डी० ओ० कोआपरेटिव, ए० डी० ओ० एनिमल हसबैंडरी, ए० डी० ओ० हैल्थ, ए० डी० ओ० इंडस्ट्री, ए० डी० ओ० पी० आर० डी, ए० डी० ओ० सोशल वेलफ़ेयर और ए० डी० ओ० कम्पोस्ट और ए० डी० ओ० वीमेन

वेलफेयर आदि होते हैं । अब इन तमाम ए० डी० ओज० के ऊपर बी० डी० ओज० होते हैं, फिर सैक्शनल आफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स होते हैं और फिर उन के ऊपर डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्ज होते हैं ।

यह जाहिर बात है कि इस सामुदायिक विकास योजना का ज्यादातर सम्पर्क किसानों से होता है जो कि अंग्रेजी से बिलकुल अनभिज्ञ होते हैं । इस मंत्रालय द्वारा जो अब तक किताब छापी गयी हैं उनमें १४ किताब अंग्रेजी में छप चुकी हैं, और ८ किताबें और अंग्रेजी में छपने जा रही हैं । इस के विपरीत हिन्दी में अभी तक केवल तीन किताबें ही छपी हैं । आसामी में ११, बंगला में ७, गुजराती में ५, कन्नड़ में ६, तेलगू में ६, उर्दू में ५, काश्मीरी में ५, मलयालम में ६, मराठी में ७, उड़िया में ७ और पंजाबी में ५ किताबें छपी हैं ।

तीसरी बात जो कि इस मंत्रालय के विषय में बहुत जरूरी है और जिसके कि ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है वह खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने का सवाल है । खाद्य उत्पादन की प्रगति के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक शब्द कह दूं कि १३ वर्ष की प्लानिंग व १५ वर्ष की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान की १०, १५ फीसदी जनता को भरपेट अन्न नहीं मिलता या आधा पेट या एक बार ही भोजन मिलता है । यह चीज़ मैं नहीं कहता हूं बल्कि स्वयं राष्ट्रपति जी ने भूख से मुक्ति सप्ताह के दौरान अपने रेडियो भाषण में यह कहा था । पौष्टिक भोजन मिलने की बात तो दूर ही रही ।

ऐडीशनल फूड प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा । बीज बंटता है । वह बीज चाहे किसान चाहे खा ले या बो ले, लेकिन ए० डी० ओ० साहब दिखा देते हैं कि डेढ़ मन एडीशनल फूड प्रोडक्शन हो गयी । जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, अगर किसान ने कुंआ बनाया, चाहे उस से सिंचाई हो या न हो, लेकिन पांच एकड़ सिंचित क्षेत्र मान कर, ५ × ६ अर्थात् तीस मन एडीशनल फूड प्रोडक्शन दिखा दी जाती है । अगर परशियन व्हील लगाया जाता है, तो १० × ६ यानी ६० मन एडीशनल फूड प्रोडक्शन और अगर बोरिंग किया गया, तो १० × ६ यानी ६० मन एडीशनल फूड प्रोडक्शन दिखा देते हैं । कोआपरेटिव का जो लोन दिया जाता है, उस में दस परसेंट लोन की खाद दी जाती है । चाहे किसान उस खाद को ले कर बाजार में बेच दे, लेकिन उस पर १.६ मन एडीशनल फूड प्रोडक्शन दिखा दी जाती है । प्रश्न यह है कि इस प्रकार जो सरसब्ज नक्शा दिखाया जाता है और जो बहुत सी फ़र्ज़ी एडीशनल फूड प्रोडक्शन दिखाई जाती है, उस का कारण क्या है ? कारण यह है कि बी० डी० ओ० को फ़ोर्स किया जाता है कि वह यह दिखाए कि वह अपने ब्लाक में इतनी एडीशनल फूड प्रोडक्शन करता है । अगर वह नहीं करता है, तो इस का कैरेक्टर-रोल ख़राब होता है । इस लिए वह अपने स्टेटमेंट में इस प्रकार के फ़र्ज़ी काम दिखा देता है ।

सामुदायिक विकास योजना पर पिछली दो पंच-वर्षीय योजनाओं में २४० करोड़ रुपए ख़र्च हुए तथा तृतीय पंच-वर्षीय योजना में २९४ करोड़ रुपए और २८ करोड़ रुपए पंचायत पर यानी ३२२ करोड़ रुपए ख़र्च होंगे । पहले ब्लाक का बजट १५ लाख रुपए था । अब फ़स्ट स्टेज में १२ लाख और सैकंड स्टेज में ५ लाख यानी १७ लाख रुपया फ़ी ब्लाक ख़र्च हो रहा है । परन्तु काम की प्रगति संतोषजनक नहीं है और फूड प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

फूड ग्रेन्ज १९६०–६१ में ७९.७ मिलियन टन पैदा हुए और १९६१–६२ में ७८.६ मिलियन टन, यानी १.४ परसैंट की कमी हुई । रा काटन का उत्पादन १९६०–६१ में ५.४ लाख बेल्ज हुआ, जब कि १९६१–६२ में ४.५ लाख बेल्ज हुआ, जिस का अर्थ यह

[श्री विश्राम प्रसाद]

है कि १६.५ परसेंट की कमी हुई । इसी प्रकार शूगरकेन १९६०-६१ में १०.४ मिलियन टन्ज पैदा हुआ, जब कि १९६१-६२ में ९.७ मिलियन टन्ज पैदा हुआ, यानी ६.८ परसेंट की कमी हुई । १९४९-५० से १९६०-६१ तक दो पंच-वर्षीय योजनाओं में कृषि में जो बढ़ौतरी हुई, वह केवल ३.८४ परसेंट हुई, जब कि फूडग्रेन्ज में केवल ३.७३ परसेंट की बढ़ौतरी हुई। पर एकड़ पैदावार भी घटी । मेरे कहने का मतलब यह है कि कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिए जितना रुपया खर्च किया गया, उस हिसाब से देश की पैदावार नहीं बढ़ी ।

जहां तक पैदावार का सम्बन्ध है, चावल की ऐवरेज पैदावार पर एकड़ १९६०-६१ में ९०९ पौंड और १९६१-६२ में ९०० पौंड, ज्वार की पैदावार १९६०-६१ में ४८४ पौंड और १९६१-६२ में ३९९ पौंड, मक्का की पैदावार १९६०-६१ में ८२२ पौंड और १९६१-६२ में ८१२ पौंड, ग्राम की पैदावार १९६०-६१ में ६०० पौंड और १९६१-६२ में ५४५ पौंड, शूगरकेन की पैदावार १९६०-६१ में ४०४२ पौंड और १९६१-६२ में ३६६६ पौंड और काटन की पैदावार १९६०-६१ में ११३ पौंड और १९६१-६२ में ९४ पौंड हुई । इन आंकड़ों से प्रकट है कि पर एकड़ पैदावार भी कम हो गई । इसलिए यह सोचना चाहिए कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी देश में खेती की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती है ।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमीशन के कथनानुसार एक एकड़ सिंचित क्षेत्र से छः मन पैदावार बढ़ती है । इस देश में इस समय ७० मिलियन सिंचित क्षेत्र हैं, जो कि देश की सारी जमीन का पांचवां भाग है । अगर पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाये, तो शायद इस देश की खाद्य समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है ।

हमारे देश में फ़र्टलाइज़र की कमी है और यहां पर वह पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं होता है । इस सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न है ईंधन का । अगर ईंधन की समस्या हल हो जाये, तो हमारे देश में गोबर की खाद की समस्या बहुत हद तक सुलझ सकती है और वह काफ़ी मिकदार में मिल सकता है । लेकिन अगर किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह किस तरह से फ़र्टलाइज़र्स इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से खेत बो सकता है ?

हमारे देश में नाइट्रोजन १.३ पौंड पर एकड़, फ़ास्फ़ेट ०.३ पौंड पर एकड़ और पोटाश .२ पौंड पर एकड़ इस्तेमाल की जाती है, जब कि इस की तुलना में जापान में नाइट्रोजन १०१ पौंड, फ़ास्फ़ेट ४४ पौंड और पोटाश ६४ पौंड पर एकड़ इस्तेमाल होती है । इस से प्रकट होता है इस मंत्रालय के द्वारा फर्टलाइज़र के इस्तेमाल में जो प्रगति होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हो सकी है ।

जहां तक पशु-पालन का प्रश्न है, हमारे देश में मिल्च एनिमल्ज़ सब से ज्यादा हैं, परन्तु दूध सब से कम मिलता है । हमारे देश में ३० करोड़ और ६५ लाख जानवर हैं और ४.४५ औंस फी आदमी दूध मिलता है , जब कि शाकाहारी को २० औंस और मांसाहारी को १० औंस दूध मिलना चाहिये ।

पोल्ट्री डेवेलपमेंट में भी हम बहुत पीछे हैं । हमारे देश में फी आदमी ६ अंडे प्रति वर्ष मिलते हैं, जब कि अमरीका में ३२५ अंडे फी आदमी प्रति-वर्ष मिलते हैं ।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शिक्षा में १२ परसेंट से ११ परसेंट बढ़ौतरी हुई । लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि १९५१ की सैन्सस के अनुसार हमारे देश में २८ करोड़ और ३९ लाख अशिक्षित थे और आज १९६१ में हमारे देश में अशिक्षितों की संख्या बढ़ कर ३३ करोड़ और

३६ लाख हो गई है, यानी पांच करोड़ की वृद्धि हो गई है। परसेंटेज चाहे बढ़ गया हो, लेकिन उस के साथ ही निरक्षरता भी बढ़ गई है। गांवों में जो स्कूल बनाये गए हैं, उन में से किसी की बिल्डिंग नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है और कहीं शिक्षकों को छः सात महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है ।

पंचायतों को स्थापित करने के पीछे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पंचायतों ने गांवों के शांति के वातावरण को बिल्कुल खत्म कर दिया है और अब गांवों में पार्टीबाजी होने लगी है। मैं तो यह कहूंगा कि एक जमींदारी खत्म हुई और दूसरी जमींदारी पैदा हो गई है। अगर कोई सरपंच या सभापति के साथ घूमने वाला या उन को सलामी दागने वाला न हो, तो उस का काम नहीं हो सकता है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : क्या उन को तोड़ दिया जाय ?

श्री विश्राम प्रसाद : मैं तोड़ने की बात नहीं कहता। मैं तो उन में सुधार करने के पक्ष में हूं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वह पार्टी पालिटिक्स से अलग रह कर पंचायत का इलैक्शन कराती है, लेकिन मैं समझता हूं कि शहरों के बजाये अब गावों में ज्यादा पार्टीबाजी और पालिटिक्स होने लगा है। अक्सर यह देखा जाता है कि ब्लाक-अध्यक्ष और बी०डी०ओ० के बीच में हमेशा झगड़ा सा रहता है। अगर ब्लाक अध्यक्ष किसी एम० एल० ए० की पार्टी का हुआ, तो बी०डी०ओ० से उस की नहीं पटती है। वहां पर उन दोनों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, जिस के परिणामस्वरूप काम में बहुत दिक्कत होती है ।

जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये जितना भी रुपया इस देश में बंटा, उस का सही इस्तेमाल नहीं हो सका। अभी पिछले दिनों यू० पी० के सहकारिता मंत्री ने कहा था कि यू० पी० में ५५ या ६६ लाख रुपया जिस काम के लिए दिया गया, उस काम में वह इस्तेमाल नहीं हुआ। कर्ज दिया जाता है, लेकिन जिस काम के लिये कर्ज दिया जाता है, उस काम में वह इस्तेमाल नहीं होता है। होता यह है कि जिस वक्त कर्ज की अदायगी होती है, उस वक्त कुछ मिडलमैन, जिन के पास अधिक पैसे हैं, ऊंचे सूद की दर पर रुपया लेकर किसान उस को रिफंड कर देते हैं और फिर सात दिन के बाद किसान फिर कर्ज ले कर उस रुपए को उस मिडलमैन को दे देता है। इस तरह से बीच के फायदे कमाने वाले आदमी को ज्यादा फायदा होता है।

इसी तरह से मार्केटिंग सोसायटीज़ बनी हुई हैं। उन का काम यह है कि गल्ला उन के पास आए और वे उस का ७५ परसेंट दाम किसान को दे दें, ताकि किसान का काम चले। लेकिन कोई गल्ला मार्केटिंग सोसायटीज के पास नहीं आता है, कोई एक्चुएल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और न वह बेचा जाता है। किताबों में फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा दिये जाते हैं और किसान से ६ परसेंट चार्ज किया जाता है और उस के अलावा १ रुपया और ६ नये पैसे फी सैंकड़ा और चार्ज किया जाता है। एक्चुएल ट्रांजेक्शन नहीं होता है और यह दिखा दिया जाता है कि इस सोसायटी के जरिये से दस हजार मन गल्ले का सेल हुआ ।

खाद के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। इसके बारे में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के क्षेत्र से भी आपको रिपोर्ट मिली होगी। फोर्ज्ड दस्तखत बना कर के, वे आदमी जो मर चुके हैं उनके दस्तखत बनवा करके खाद ले ली गई थी और वे कर्ज उन पर लदे हुए हैं। इस तरह को जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर चीजें हो रही हैं, वे एक्चुएली जो हमारा मकसद है, उसको ही डिफीट करती हैं। इनको अगर सुचारू रूप से चलाया जाय तो देश का, जनता का, तथा गरीबों का

[श्री शिवराम प्रसाद]

कष्ट दूर हो सकता है और किसान को काम में सहूलियत हो सकती है। यह सारा का सारा एम जो प्लानिंग का है, वह समझ में नहीं आता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर किसान से आप पूछें कि प्लानिंग से क्या लाभ हुआ है तो वह आपको इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पायेगा। इतना वह जरूर आपसे कहेगा कि गांवों में जहां ब्लाक बन गए हैं, वहां अफसर बहुत अधिक हो गए हैं, और जहां पहले गांव के सभापति और गांव के पटवारी और कानूनगो ही आते थे अब दसियों बी०डी०ओ० और ए० डी०ओ० इत्यादि आते हैं, और उसको उन सब को खिलाने और पिलाने का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसी हालत में जो प्लानिंग का मकसद है वह कैसे पूरा हो सकता है। इसके अन्दर बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। इतने सालों से यह काम चला आ रहा है और क्यों इसमें प्रगति दिखाई नहीं देती है, इसको अगर आप गम्भीरतापूर्वक देखें तो आपको जहां जहां गलतियां हैं, वे मिल जायेंगी। उन गलतियों में सुधार करना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

†**श्री मान सिंह प० पटेल** (मेहसाना) : आज मुझे २ अक्टूबर १९५२ की याद आ रही है, जब कि इस कार्यक्रम को आरम्भ किया गया था। इस बीच काफी काम हुआ है। हो सकता है कि सामुदायिक विकास कार्य अथवा पंचायत राज कार्यक्रमों को ठीक ढंग से कार्यान्वित न किया जा सका हो, परन्तु उसकी उपयोगिता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। इस काल में मंत्रालय ने बहुत ही शानदार कार्य किया है और उसका विस्तार किया जाना चाहिये। मंत्रालय के अन्तर्गत जो कुछ भी कार्यक्रम चलाये गये उसके लिये अधिक से अधिक गैरसरकारी परामर्श भी प्राप्त किया गया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रालय को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो नीति सम्बन्धी निर्णय किये हैं उसको राज्य के स्तर पर ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाय। विशेष रूप से मानदेय के प्रश्न का ध्यान रखा जाना चाहिये। पंचायत राज्य और सहकारिता साथ साथ ही चल सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट ही है कि सहकारिता ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाजवादी समाज का निर्माण किया जा सकता है। उत्पादन एकक तथा तैयार करने वाले एकक स्थापित किये जाने चाहिये। जहां तक सम्भव हो इनकी स्थापना सहकारिता के आधार पर की जानी चाहिये। गुजरात तथा महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है। देहाती क्षेत्र में तो हर चीज को सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिए। गैर सरकारी लोगों के सहयोग से सरकार को अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिये।

अन्त में मैं पुनः यह कहता हूं कि मंत्रालय ने काफी अच्छा कार्य किया है और इसके कार्य को बढ़ाया जाना चाहिये न कि अप्रत्यक्ष रूप में अधिक उत्पादन हो और देहाती जनता को लाभ पहुंच सके।

†**श्री कनक सबै** (चिदाम्बरम्) : मैं मंत्रालय को उसकी प्रगति के लिये मुबारकबाद देता हूं। देश में इस समय ३ लाख ३० हजार सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं। इसके अन्तर्गत ४० प्रतिशत देश के लोग आ जाते हैं। कृषि, विक्रय, आवास तथा श्रम निर्माण के क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सहकारी आन्दोलन में १३१२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। कृषि सहकारिताओं द्वारा २०० करोड़ रुपये का कर्जा देहाती जनता को दिया गया है।

कृषि ऋण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस के लिये प्रारम्भिक संस्थायें ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहीं। उनका संगठन काफी कमजोर है। प्रति सदस्य ऋण में किसी प्रकार की सराहनीय वृद्धि नहीं हुई। वैसे जितना ऋण दिया गया वह काफी नहीं था और न ही वह समय पर ही प्राप्त

†मूल अंग्रेजी में

हुआ था। मेरा निवेदन यह है कि छोटी छोटी संस्थाओं को सहायता देने के स्थान पर अच्छा हो कि वित्तीय बैंक दो दो तीन तीन संस्थाओं का एक ग्रुप बना कर एक क्लर्क के सुपुर्द कर दे। ऐसा करने से उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हो जायेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को एक विशेष कर्ज की व्यवस्था करनी चाहिये। उच्च वित्तीय अभिकरणों को सामान्य शर्तों पर कुछ धन देना चाहिये। सरकार को यह भी आदेश जारी करना चाहिये कि सरकार अपनी गारण्टी से जो भी ऋण देगी, जीवन बीमा निगम उस राशि में ३० प्रतिशत राशि अपनी ओर से लगायेगा।

आपातकालीन स्थिति के कारण आवास निर्माण का कार्य काफी रुका है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आवास संस्थाओं को आपात के कारण समाप्त होने से बचाना चाहिये। यदि किसी तरह सरकार के लिये इस अवस्था में विभिन्न आवास योजनाओं में धन लगाना सम्भव नहीं होगा तो उसे जीवन बीमा निगम को इन योजनाओं में धन लगाने को कहना चाहिये।

सहकारिता को सरकारी प्रभाव से दूर रखने की नीति सहकारिता आन्दोलन के नेताओं ने बहुत पसन्द की है, परन्तु कई राज्यों में तो सरकारी प्रभाव काफी बढ़ा दिया गया है। सरकार को राज्यों में प्रचलित विभिन्न विधानों का अध्ययन कर यह व्यवस्था करनी चाहिये कि आन्दोलन का लोकतंत्रीय विकास नियमित रूप से चलता रहे। सरकार को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि राष्ट्रीय सहकारी संघों का संगठन मजबूत हो।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता और सामुदायिक विकास पर जब चर्चा हो रही है तो सब से प्रथम तो मैं यह कहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार में एक ही मंत्री दोनों का भार सँभाल रहा है जब कि स्टेट्स में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, सहकारिता और कम्युनिटी डेवेलपमेंट के अलग अलग मंत्री हैं। इन दोनों का डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोआरडिनेशन होना असम्भव हो जाता है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र की जो नीति है उसी के आधार पर राज्यों में भी इस कार्य का संचालन होना चाहिये, अन्यथा इस में बड़ी बाधा पड़ जाती है।

हमारा जो सोशलिस्ट पैटर्न आफ इकानमी का संकल्प है, उसकी प्राप्ति के लिए सहकारिता का आन्दोलन अत्यन्त आवश्यक है। इस में मेरा विश्वास है। परन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि बजाय इसके कि यह आन्दोलन जनता की ओर से, नीचे से चलाया जाये, इसके ऊपर बहुत सी पालिसीज ऊपर से लादी जाती हैं जो कि इस आन्दोलन के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं और जिनके कारण जनता को बल नहीं मिल रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया के कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब जो अपनी पालिसीज के बारे में डाइरेक्शन्स देते हैं उन को पूरे तौर से राज्यों में नहीं माना जाता। इस रिपोर्ट में यह साफ तौर से लिखा है कि जहां तक सहकारिता के आन्दोलन का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि यह जनता के हाथों में हो, इसका नान-आफिशियलाइजेशन हो। लेकिन आज भी मैं यह कहने को तैयार हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में अब भी डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सेंट्रल बैंक का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अब भी इस काम में आथारिटीज का जबरदस्त हस्तक्षेप होता है। आज चार साल से कानून बदलने की बात चल रही है परन्तु अभी तक कानून नहीं बदला गया है। मेरा कहना है कि अगर केन्द्र का यह सहकारिता मंत्रालय राज्यों पर इस मामले में अंकुश नहीं लगा सकता इस विभाग का केन्द्र में रहना आवश्यक नहीं है। इस विषय में मेरा निवेदन है कि जो पालिसीज केन्द्र जारी करे उन का संचालन करने के लिए राज्यों को

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

मजबूर होना चाहिए। और अगर कानून ऐसा है कि इसके लिए उन को मजबूर नहीं किया जा सकता तो कम से कम यह तो हो ही सकता है कि राज्यों को जो सबसिडी आदि दी जाती है वह बन्द कर दी जाये यदि वे केन्द्र के आदेशों का पालन न करें। ऐसा न होने से बहुत नुकसान पहुँचता है।

इस विषय में मैं अपना जाती अनुभव बतलाता हूँ। मैं दस साल से बराबर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर हूँ। मैं देखता हूँ कि इस में आफिसर्स का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, उनका समस्त सहकारी आन्दोलन की ओर से लखनऊ में स्वागत किया गया। वहां पर सभी जिलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और कोआपरेटिव आफिसर्स मौजूद थे। और वहां इस बात की रस्साकशी हो रही थी कि कौन सा जिला सब से अच्छा फाटक प्रधान मंत्री जी के स्वागत में बनायेगा। मुझे दुःख है कि हमारे उत्तर प्रदेश की समिति से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया लेकिन एक रजिस्ट्रार के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव द्वारा दो दो चार चार हजार रुपया कई जिलों से वसूल किया गया। हमारे प्रधान मंत्री जी की अब यह स्टेज आ गयी है कि उन को इस तरह की चीजों से, पँडाल और फाटकों आदि से भुलावा नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी सहकारिता को एक हराभरा लहलहाता सब्जा जार समझा जाता है और उस को चरने के लिए बड़ी आसानी से सरकारी कर्मचारियों पर अँकुश लगा दिया जाता है। और मैं कहूँ कि प्रधान मंत्री जी का सहकारिता के बारे में सिर्फ ६-७ मिनट व्याख्यान हुआ और मेरा अन्दाजा है कि उस समारोह पर कई लाख रुपया व्यय किया गया जो कि अवैधानिक हुआ। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के कामों पर अँकुश लगाया जाये।

अब भी ऐसा कानून सहकारिता का राज्यों में मौजूद है कि सहकारी समिति जो उनका शुद्ध मुनाफा है उसको भी खर्च नहीं कर सकतीं प्रस्ताव पास करके जब तक कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर अथवा ए० आर० की इजाजत न हो। तो मेरा सुझाव है कि यह जनता का आन्दोलन है और नीचे से चलना चाहिए। अभी तो इस पर कदम कदम पर ऊपर से अँकुश रखा जाता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है सहकारिता के बारे में कि पिछले कई वर्षों में सहकारिता आन्दोलन में बहुत कायापलट किया गया है। पहले प्रारम्भिक सहकारी समितियां बनायी गयीं थीं। उस के बाद मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाइटीज हुई। फिर क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं और अब सरविस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं। मुझे सिर्फ यह कहना है कि जो सरविस कोआपरेटिव्स बनी हैं अथवा जो क्षेत्रीय सहकारी समितियां बनी हैं उन की कार्य संचालन पद्धति में बड़ी तबदीली होनी चाहिए। अभी इन से जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है।

सब से पहली बात मुझे यह कहनी है कि जो प्रारम्भिक मेम्बर, काश्त जोतने वाला, सहकारी समिति का होता है उस को जब ऋण दिया जाता है तो उसकी पद्धति यह होती है कि रिजर्व बैंक पहले एपेक्स बैंक को एकोमोडेशन देता है। एपेक्स बैंक सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक फिर रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को देते हैं और उस के बाद कल्टीवेटर्स को जो कि प्रारम्भिक मैम्बर होता है उस को मिलता है। इसके लिए मुझे यह कहना है कि सहकारिता आन्दोलन को चला कर इस बात का प्रयास किया गया था कि मिडिलमैन को बीच से हटा दें। मैं यह निवेदन करूँगा कि २ प्रतिशतः

सूद पर एपैक्स बैंक या स्टेट बैंक को एकोमोडेशन मिलती है जिस पर वह साढ़े तीन या पौने चार परसैंट चार्ज करके डिस्ट्रिक्ट बैंक को देता है और फिर डिस्ट्रिक्ट बैंक सोसाइटीज़ को साढ़े पांच या छै परसैंट सूद पर कर्जा देते हैं। अल्टीमेटली जो गरीब काश्तकार मेम्बर होता है उसको सूद हासिल करने के लिए ९ परसैंट से लेकर १२ परसैंट तक देना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि क्या आवश्यकता स्टेट बैंक या एपैक्स बैंक की है जब कि डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल बैंक में स्टेट ने खुद अपने शेयर का पार्टीसिपेशन किया है और जबकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बैंके का हर साल आडिट होता है और हर साल रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया उन का इंस्पैक्शन करता है ? इसलिए श्रीमन्, मैं यह प्रार्थना करूँगा और यह सुझाव देता हूँ कि एपैक्स बैंक या स्टेट बैंक को अगर बीच से हटा दिया जाय तो उस का नतीजा यह होगा कि जो व्यक्ति प्रारम्भिक सहकारी समिति का मेम्बर है उस को सूद में ३ प्रतिशतः की कमी हो जायगी और वह आसानी से ६ प्रतिशतः या ७ प्रतिशतः में कर्ज पा सकता है।

एक दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस रिपोर्ट में मार्केटिंग को क्रेडिट से लिंक करने की बात कही गई है। इस में इस के लिए लिखा गया है और प्रयास भी किया गया है। परन्तु इस के बारे में कहां तक सफलता मिली है इस के बारे में मुझे केवल एक बात कहनी है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ जोकि डिस्ट्रिक्ट में या तहसील लेविल पर खड़ी की गयी हैं, उन के काम को देखें उन के बिज़नैस को देखें तो प्राइवेट बिजनैस की तरह पर उन में ख़रीद फरोख्त का काम होता है। इस बारे में मेरा अनुभव है और मैं ने देखा है कि जो मेम्बर होती हैं उन का गल्ला बंधक के रूप में रख लिया जाता है। यह देखा जाता है कि १ रुपया ९ आने सैकड़ा और कमिशन चार्ज करके मार्केटिंग सोसाइटी यह दिखलाती है कि उस ने ४ लाख में डील किया। उस ने प्रोड्यूस की सूरत में वसूल किया और उस को बेच दिया जब कि वास्तव में न प्रोड्यूस आती है न वह बेचती है। कैश आता है। जो कल्टीवेटर है वह १ रुपये ९ आने परसैंट सूद पर और टैक्स होता है। इन मार्केटिंग सोसाइटीज़ से कल्टीवेटर्स को वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है इस का आप स्वयं अंदाज़ लगा सकते हैं।

जहां तक कम्युनिटी डेवलपमेंट का सवाल है मुझे उन के सम्बन्ध में केवल एक, दो बातें कहनी हैं। पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ कि वह इस सहकारिता व सामुदायिक विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उस के कार्य-संचालन की जो पद्धति है उस के कारण गांवों में जो रहने वाले गरीब काश्तकार हैं, उन को कोई भी लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। सब से बड़ा कारण तो यह है कि हमारे देश में एक बात का प्रयोग किया गया कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं वे न्याय पँचायत में न्याय करें। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वतंत्र देश ने इस तरह का क़दम नहीं उठाया है। इस का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और यह न्याय पँचायत की पद्धति इतने सालों तक काम में आने के बाद भी आज जो चुने हुए व्यक्ति हैं वे बराबर कभी किसी के असर में आकर तो कभी किसी और के असर में आ जाते हैं क्योंकि उन को वोट लेना होता है जिसका कि परिणाम यह होता है कि वह कभी भी स्वतँत्र रूप से न्याय नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाय कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं उन को न्याय पँचायत में रखना किस प्रकार से न्याय सँगत होगा ?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि तमाम स्टेट्स में ब्लाक लेविल पर या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो चुनाव की पद्धति है उस में एक बहुत बड़ा ऐब है। खुद उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूँ। वहां पहले यह आदेश जारी हुआ कि डाइरैक्ट चुनाव होगा। ऐडल्ट फ्रैंचाइज़ की बेसिस पर एलेक्शन होगा। परन्तु एक बार जब एक विशेष दल के लोग चुनाव में नहीं पहुँचे तो फिर संशोधन कर लिया गया और डाइरैक्ट चुनाव करने की बात छोड़ दी गई। यह संशोधन कर लिया गया कि

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

नहीं अब तो ब्लाक लेविल के जो मेम्बर्स हैं उन्हीं के द्वारा चुनाव होगा और वे ज़िला परिषद् के सदस्य होंगे। श्रीमन्, मुझे इस विषय में यह निवेदन करना है कि जहां इनडाइरैक्ट चुनाव होता है और मतदाताओं की संख्या सीमित होती है वहां भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है। मुझ से आप को यह चीज़ सुन कर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो वोटर्स हैं वे ट्रकों, मोटरों में बैठ कर दो रोज़ पहले से उम्मीदवारों के घर में आ जाते हैं और वहां पर उन की खाने, पीने आदि से खातिरबाज़ी होती है। मेरा कहना है कि जब हम एक आदर्श प्रजातंत्री व्यवस्था में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो यह इनडाइरैक्ट एलेक्शन से जो ब्लाक लेविल पर ज़िला परिषद् बनाने की बात है, मैं समझता हूं कि इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए।

अब अन्त में मुझे यह कहना है कि इस में कोई शुबहा नहीं कि कम्युनिटी डेवलपमैंट ने एक काम बहुत सफल किया है और वह यह कि प्रत्येक ज़िले में कहीं भी आप चले जाइये, बहुत सुंदर और अच्छी इमारतें ब्लाक की मौजूद हैं। यह ठीक है कि ए० डी० ओज० काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और यह बी० ए० और एम० ए० पास होते हैं परन्तु जो देहात के लोग हैं उन की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उन पर कोई भी ख़ास काबू किसी तरह से ब्लाक लेविल पर नहीं हुआ है। उस का एक कारण यह है कि जो समस्याएं देहात की हैं और जो समस्याएं उन की पंचायत की हैं उन समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है और उन को सही तौर से हल करने की बात नहीं की जाती है। होता यह है कि उनसे दूर बैठ कर केन्द्रीय सरकार या स्टेट सरकार के आंकड़े तैयार कर लिये जाते हैं और उन आंकड़ों को एक आर्डर और बतौर डाइरैक्शन के उन पर लाद दिया जाता है। इस लिए मेरा कहना यह है कि जब तक यह टार्गेट वाली चीज़ यह यहां पर पालिसी बना कर इनफोर्स करने वाली चीज़ नहीं समाप्त की जायेगी, तब तक मेरा यह विश्वास है कि सहकारिता और कम्युनिटी डेवलपमैंट से कोई भी लाभ किसी प्रकार का रूरल एरिया में रहने वालों का नहीं हो सकता है।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात इस बारे में विचार किया गया कि गांवों तक कैसे पहुंचा जाय और गांवों तक पहुंचने के लिए २ अक्तूबर सन् १९५२ को इस सहकारिता और सामुदायिक योजना को आरम्भ किया गया और इस की नींव डाली गयी। अभी मुझ से पूर्व वक्ताओं ने इस का बहुत सा क्रिटिसिज्म किया है। आलोचना किसी हद तक ज़रूरी है और उन को अपनी भावनाओं को प्रगट करना भी चाहिए। लेकिन एकदम से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और ऐसा कहना कि कभी कोई काम नहीं हुआ मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

श्रीमन्, सारे राष्ट्र को डेवलपमैंट के लिहाज़ से ५२२३ खंडों में विभाजित किया गया है जिस में आज ५१४९ खंड काम कर रहे हैं। ९९ परसेंट हमारे ग्राम इस में आ गये हैं, १ परसेंट ग्राम बाकी हैं जोकि शायद अगली योजना तक पूरे हो जायेंगे। इसलिए यह जो कहा जाता है कि सहकारिता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है तो वह चीज़ सही नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा जो काम किये गये हैं उनमें से कुछ की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज इस समय कृषि ऋण देने के लिए २ लाख १४ हज़ार ऋण देने की प्रारम्भिक कमेटियां बन चुकी हैं जोकि सहकारिता के रूप में कृषि ऋण देती हैं। उन की सदस्य संख्या १ करोड़ ९ लाख हो गई है। इस लिए यह कहना सही नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। इन पिछले दस सालों के अन्दर काफ़ी तरक्की हुई है। काम तो हुआ है परन्तु यह हो सकता है कि उस काम में कुछ त्रुटियां रही हों जिन को कि हमें पूरा करना चाहिए।

हर एक विकास खंड में ७० या ८० पानी पीने के कुएं बनवाये गये हैं। इस मंत्रालय द्वारा साक्षरता बढ़ाने की ओर क़दम उठाया गया है जिसका कि परिणाम हम यह देखते हैं कि आज देश में १५-१७ फीसदी लोग साक्षर हो गये हैं। जो लोग शिक्षित किये गये हैं उन की संख्या ७० लाख के करीब हो गयी है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले गए हैं, जहां दवा-दारू का प्रबन्ध किया गया है। सामाजिक केन्द्र भी बनाए गए हैं। इस के अतिरिक्त पंचायत और सहकारी भवन भी बनाए गए हैं—कुछ का निर्माण हो गया है और कुछ का हो रहा है। मेरे विचार में यह कहना उचित नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सहकारिता को अच्छा नहीं बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में प्रजातंत्र स्थापित हुआ है और हम सब लोगों को समानता के स्तर पर लाना चाहते हैं और सब की तरक्की करना चाहते हैं तथा सब को काम देना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम सब मिलकर उस काम को करें। उसी अवस्था में हम उस काम को कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिन को बतलाना चाहिए था, ताकि उन को दूर करने का प्रयत्न किया जाता, लेकिन ऐसा न कर के सहकारिता को एकदम उड़ा देने की बात कही जाती है। मेरा निवेदन है कि प्रजातंत्र वहीं सफल हो सकता है, जहां दस, पंद्रह, पचास आदमी मिल कर किसी काम को करेंगे और उस की आमदनी और हानि दोनों को बंटा सकेंगे। तभी देश की तरक्की हो हो सकेगी। एक ही पूंजीपति लाभ उठाये उचित न होगा। मैं देहात से आया हूं। मैं कृषक हूं। मैं जानता हूं कि खेती कभी केवल एक हाथ से नहीं होती है। खेती हमेशा पड़ौसियों के सहयोग और सहायता से होती है। देहातों में आज भी ऐसा ही होता है, चाहे उस को सहकारिता न कहिए, मेल-जोल कहिए। अगर किसी को बैल नहीं होता है, तो किसी दूसरे के हल-बैल ले लिये जाते हैं। अगर किसी के आदमी नहीं होते हैं, तो दूसरे के आदमी ले लिये जाते हैं। इसी तरह मिल-जुल कर खेती होती है। अगर हम सहकारिता के आधार पर खेती करें, तो हम और ज्यादा अन्न उपजा सकेंगे और उपजा रहे हैं। नये ढंग के नये औजार खेती के प्राप्त कर सकते हैं।

सहकारिता के विषय में कहा जाता है कि वह सफल नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि सरकारी कागज़ों में या सरकार के द्वारा सहकारिता को सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन आज भी देश में किसान बहुत योग्यता और बुद्धिमता के साथ सहकारिता का काम करते हैं। अगर किसी का घास काटना हो, अनाज काटना हो, बुवाई करनी हो या हल चलाना हो, तो दूसरी फैमिलीज़ के साथ मिल कर यह सब काम किया जाता है। अगर उसी में सरकार की तरफ से रुपए-पैसे की और दूसरी फैसिलिटीज़ मिलें, तो और ज्यादा काम हो सकता है।

जहां ये सब काम हमारे ब्लाक्स में हो रहे हैं, वहां कुछ ख़ामियां भी मुझे नज़र आती हैं, जिन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले कलेक्टर और तहसीलदार के द्वारा पैसा तकावी आदि का देने का काम किया जाता था। लेकिन ब्लाक के द्वारा वह काम होने पर भी उस में वही अड़चनें आनी लगी हैं। अगर कलेक्टर कोई चीज़ पास करता है, तो फिर वह उस को ब्लाक के बी० डी० ओ० से पास कराता है। इस का मतलब तो यह है कि एक अफ़सर के बजाय दूसरा अफ़सर उस में अड़ंगा लगाने वाला पैदा हो जाता है और वह काम नहीं हो पाता है। ब्लाक का राजा बन कर मनमानी पक्ष करता है।

डेवलपमेंट ब्लाक में अभी तक कोई सोसाइटी या उस के मेम्बर ऐसे नहीं बने हैं, जो निश्चित रूप से जनता के द्वारा चुन कर रखे गए हों और उसकी बात मानते हों। मैं ऐसा कहीं नहीं देखता हूं। जब तक सामुदायिक विकास योजना केलिए गांवों की चुनी गई कमेटियां ने हों और गांवों के लोगों का उन पर असर न हो, तब तक काम नहीं चल सकता है। गांवों के लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन

[श्री रा० स० तिवारी]

कलेक्टर साहब बी० डी० ओ० के कान खींच कर जो कुछ कह दें, वहीं हो जाता है। शासन नौकर शाही का है यह प्रजातंत्र नहीं है। इस विषय में इतना लम्बा लिंक बना दिया गया है कि जिस से काम में देरी होती है और काम नहीं हो पाता है। अगर होता भी है, तो अफसराना ढंग से होता है, लोगों और जनता के ढंग से नहीं होता है। प्रजातंत्र की दुहाई बेकार हो जाती है।

अब सुना है कि शायद पंचायत राज में पचों को पावर और अधिकार दिये जायें। लेकिन हमारे कुछ अफसर इस से घबरा रहे हैं कि पावर छिन जाने पर हमारा क्या होगा। इस लिए वे अड़ंगा लगा कर काम को सफल नहीं होने देते और इस कारण झगड़े होते रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि प्रजातंत्र में उन का भी भाग है। अगर प्रजातंत्र का ढांचा बनाया जाता है, तो उस में उनको भी हाथ बंटाना चाहिए। वे जहां पर हैं, वहीं रहेंगे और प्रजातंत्र और पंचायतों में उन की ज्यादा इज्जत होगी। मैं चाहता हूं कि इन खामियों को दूर किया जाये।

जब हम किसान कृषि के काम को करने जाते हैं और चाहते हैं कि पानी के लिए रहट मिले, तो मौके पर रहट नहीं मिलता है। रहट मिलता है छः महीने के बाद, जब वह खेती सूख कर कटने वाली हो जाती है। रहटों के देने में भी किसग को छट देते हैं किसी को छूट नहीं देते हैं यह प्रजातंत्र नहीं। यह बी० डी० ओ० राजा की इच्छा पर है, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं।

इसी तरह किसानों को खाद चाहिये बरसात के शुरू में आषाढ़ में या क्वार कार्तिक में, लेकिन ऐसा न करके उन को खाद दी जाती है या तो जेठ वैसाख में या अगहन पूस में, जब कि फसल को कोई लाभ नहीं होगा। वे पढ़े-लिखे लोग होते हैं। वे समझते हैं कि हमारे यहां जो तारीखें लिखी हुई हैं, उन्हीं तारीखों को हमें देना है। मेरा निवेदन है कि किसानी के कामों के लिए केवल पढ़ा-लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं, उन को इन बातों का ज्ञान होता है। अगर इन थोड़ी सी बातों में सुधार कर दिया जाये और ठीक समय पर खाद, पानी और दूसरी चीजें उपलब्ध की जायें, तो पैदावार बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है।

सामुदायिक विकास योजना सीधे काश्तकारों के यहां तक पहुंचने के लिए बनाई गयी थी। उस का उद्देश्य यह था कि काश्तकारी को इतना मौका दिया जाये, उस को इतना सहयोग और सहायता दी जाये कि उत्पादन बढ़े। लेकिन उस के बजाये होता यह है कि उत्पादन बढ़ने नहीं पाता है। बल्कि वे टांग पकड़कर उल्टा पीछे घसीटते हैं काश्तकार को भटकाया जाता है, परेशान किया जाता है, और उस को बीस बार आना जाना पड़ता है, तब किसी काम की मंजूरी होती है। अगर इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाये, तो बहुत हितकर होगा।

जहां तक बीच का संबंध है, फर्ज कीजिए कि कल खेत बोया जाना है। खेत की यह तारीफ होती है कि अगर वह कल परसों नहीं बोया गया, तो वह उखट जाता है और फिर साल भर के लिए वह गया। सामुदायिक विकास विभाग से जब बीज मांगने जाते हैं, तो वे कहते हैं कि २६ तारीख को आना जब कि बोना है १८ तारीख को। इस प्रकार खेत उखट जाता है और जब २६ तारीख को बीज आते हैं, तो किसान उन को अपने बच्चों को खिला पिला देता है। खेत सूख जाता है दूसरा उपाय नहीं रहता। इस प्रकार खेत की उपज भी जाती है, बीज भी खाए जाते हैं और किसान को बहुत तकलीफ होती है।

अगर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ये सारे काम इसी तरह से चलते रहे, तो मैं समझता हूं कि इस में सफलता नहीं मिल सकती है। इस लिए मेरा निवेदन है कि सरकार और मंत्री महोदय किसानों से संबंध रखने वाली इन छोटी छोटी बातों और समस्याओं की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद!

†**श्री फिरोडिया** (अहमदनगर) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । श्री रंगा ने एक मूलभूत प्रश्न प्रस्तुत किया है, वह यह कि क्या इस मंत्रालय की कोई आवश्यकता है । लखनऊ में जो राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि आप यह अनुभव करते हैं कि इस मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं तो मैं श्री जवाहरलाल जी से कहूंगा कि वह इस मंत्रालय को बन्द कर दें । मेरा मत तो यह कि देश में सहकारी क्षेत्र सब से अधिक उपेक्षित क्षेत्र हैं । इसके लिये केन्द्र में बहुत ही साहसी व्यक्ति की जरूरत है जो कि इस मंत्रालय का काम संभाले । इस मंत्रालय का काम चलते रहना चाहिये ।

मंत्रालय ने एक बहुत ही पुराना काम पूरा किया है । वह यह कि सहकारी क्षेत्र के विकास की देखभाल के लिये किसी व्यवस्था की जरूरत थी । इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि अधिक से औद्योगिक निकायों को इसके अन्तर्गत लाया जाय । महाराष्ट्र में जब चीनी की मिलें सहकारी क्षेत्र में आरम्भ हुईं तो इस पर काफी सन्देह प्रकट किया गया, परन्तु इस प्रयोग के सफल होने पर सब को हर्ष और आश्चर्य हुआ । यह भी कहा जा रहा है कि किसान के भाग्य को पलटने के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है । परन्तु क्या हम इस दिशा में अपने संशाधनों का प्रयोग ठीक ढंग से कर रहे हैं । हमारे गांवों की अर्थ व्यवस्था के अनुसार एक चक्र है । पूंजी की कमी है, उत्पादन कम है, आय थोड़ी है, और बचत करने की क्षमता भी बहुत कम है । इस सब का मुकाबला तो करना ही होगा । अल्प आय को अधिक आय में परिवर्तित करना होगा ।

१९५८–५९ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सेवा सहकारिता आंदोलन को आरम्भ करने का फैसला किया था । गत तीन चार वर्षों में सेवा सहकारिताओं का कार्य प्रत्येक गांव में फैल गया । परन्तु यह प्रयोग सफल नहीं रहा और इस असफलता का कार्य तलाश करने की कोई विशेष जरूरत नहीं । स्पष्ट है कि उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गयी । अपेक्षित निरीक्षण का नितांत अभाव रहा है । गलत तरह की संस्थायें बढ़ती जा रही हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इन संस्थाओं को पुनः जीवित करना चाहिये । मेरा यह भी विचार है कि सेवा सहकारिताओं को बाहर से भी सहायता प्राप्त करनी चाहिये । यह प्रसन्नता की बात है कि मेहता समिति तथा रक्षित बैंक ने कुछ नयी सीमायें निर्धारित की हैं । मध्य दर्जे के ऋण पर जो रोक रक्षित बैंक ने लगाई है, उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

मेरे विचार में राज्य सहकारी संस्थायें तथा जिला सहकारी संस्थाओं को उनका सामान्य ऋण मिलता रहना चाहिये । और उन्हें इस बात की अनुमति दी जाय कि वे इस ऋण को अपने सदस्यों को आगे देकर उनका उपयोग करती रहें । अनिवार्य रूप में जमा करने वाली योजना से निश्चित रूप सहकारिता की प्रगति में रुकावट होगी । देहाती क्षेत्र से जो कुछ भी वित्त मंत्रालय को प्राप्त होगा वह सब केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास जमा करा दिया जाना चाहिये और सरकार को उसकी गारन्टी देनी चाहिये । पी० एल० ४८० कोषों का प्रयोग उत्पादन कार्यक्रम को तीव्र करने के लिये किया जाना चाहिये । उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम जिलों में आरम्भ किया गया है, उदाहरण के लिये रूई उत्पादन कार्यक्रम का उल्लेख किया जा सकता है । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह बताये कि राष्ट्रीय कृषि कर्जा स्थायी कोष तथा सहायता तथा गारन्टी कोष के बारे में सरकार की क्या राय है । सहकारी संस्थाओं ने राष्ट्र रक्षा कोष में बहुत ही सहायता की है । प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी उसका उल्लेख आना चाहिये था ।

*__श्री रामभद्रन__ (कडलर) : सामुदायिक विकास योजना का आरम्भ इस महान लक्ष्य के साथ किया गया था कि देहातों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाये । और

†मूल अंग्रेजी में

*मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

[श्री राम भद्रन]

इस प्रकार गांवों में कल्याणकारी राज्य लाया जाय। इस लक्ष्य से तो यह कार्यक्रम बहुत ही स्वागत योग्य चीज है। परन्तु इस योजना को कार्यान्वित करने का ढंग दोषपूर्ण है। योजना आयोग और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय जो भी सुन्दर सुन्दर कार्यक्रम दिल्ली में बैठ कर बनाता है, व्यवहार में वे ठीक नहीं चलते। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजनायें बनाते हुए हमें लोगों के स्वभावों और रिवाजों के अतिरिक्त उनके आर्थिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों की स्थानीय हालतों को भी सामने रखना चाहिये। स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के प्रति भी उपेक्षित भाव नहीं होना चाहिये। क्षेत्रीय विषमता की ओर निरादर का भाव नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को फैलाने का जहां तक संबंध है किसी को मतभेद नहीं हो सकता, परन्तु इस कार्य की कोटि में कुछ सुधार होना चाहिये। अभी हाल तो देखने से ऐसा ही लगता है कि ऊपर से लेकर गांव के स्तर पर एक नौकरशाही का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। यह भी हुआ है कि कुछ राजनीतिज्ञों के चाहतों को नौकरियां मिल गयी हैं। जिन लोगों ने पदासीन दल के चुनावों में सहायता की उनकी इस प्रकार सहायता कर दी गयी। इसी तरह इस दिशा का काम कई जगह दोहरा होता रहता है। इसी प्रकार का कार्य अन्य विभाग भी करते रहते हैं। उस दृष्टि से इस विभाग का काम किसी भी तरह नया नहीं होता। फिर इस दोहरे कार्य का एक बुरा प्रभाव यह भी होता है कि कई कार्यों में अनावश्यक तौर पर देर हो जाती है, और काम के करने में दोष आ जाते हैं।

विकेन्द्रीकरण की बातें की जा रही हैं। शक्ति का विकेन्द्रीकरण बहुत ही अच्छी बात है, परन्तु इसका आधार दूसरा होना चाहिये। इस कार्य को तदर्थ रूप में नहीं किया जाना चाहिये। इसको एक नियमित योजना बना कर किया जाना चाहिये। प्रत्येक विभाग में यह विकेन्द्रीकरण नीचे तक ले जाया जाना चाहिये तब ही इसका कुछ लाभ हो सकता है।

सामुदायिक विकास की दिशा में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। पशुपालन के लिये पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिये, मुर्गी पालन को लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खेती, मधुमक्खी पालन और अन्य ग्रामोद्योगों का कार्य भी इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है। मेरा मत तो यह है कि यह कार्य बड़े योग्य हाथों में दिया जाना चाहिये। आदर्श खेतों के नमूने तैयार करने चाहियें ताकि किसानों को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शन द्वारा खेती के आधुनिक ढंग समझाये जायें। इससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा।

हमारे देश में सहकारिता के मार्ग में बहुत रुकावटें आ रही हैं। बहुत से समाज विरोधी तत्व इसकी प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। इन समस्त रुकावटों को दूर किया जाना चाहिये। जो लोग विधान मंडलों के सदस्य हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र की सभी सहकार संस्थाओं में पदेन सदस्य रखा जाय। आशा है कि माननीय मंत्री इस बात की ओर समुचित ध्यान देंगे।

†**श्री जेना** (भद्रक) : देहाती जनता के उत्थान के लिये जो कुछ सामुदायिक विकास मंत्रालय ने किया उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूं। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश के देहातों की हालत बहुत खराब थी। यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय ने स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये एक सुन्दर और ठोस आधार का निर्माण कर दिया है। कोई सन्देह नहीं कि जो भी संस्थायें बन रही हैं, जैसा कि पंचायतें, पंचायत समितियें और जिले परिषदें इत्यादि हैं, इनके

†मूल अंग्रेजी में।

रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। परन्तु यदि गम्भीर दृष्टि से देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि इन कठिनाइयों तथा दोषों के बावजूद प्रगति की गति बुरी नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे देश में आर्थिक तथा सामाजिक विषमतायें बहुत हैं। इन विषमताओं को बहुत कम करने की आवश्यकता है। इसके बिना हम सहकारिता आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये समुचित व्यवस्था की जाय, ताकि उनका स्तर भी अन्य राज्यों के स्तर तक आ जाय। इन शब्दों से मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

चौधरी दि० सि० (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय के अनुदानों का समर्थन करता हूं। मैं इस मन्त्रालय को और इसके मन्त्री और उपमन्त्रियों, को विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां तक जनता में जाग्रति लाने का सवाल है जहां तक जनता तक पहुंचने का सवाल है, उस दृष्टि से यह मन्त्रालय सबसे आगे रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सहकारिता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने सहकारिता की आलोचना की है, लेकिन अगर हम इस मन्त्रालय के प्रगतिशील आंकड़ों पर विचार करें तो हम को मानना होगा कि यह मन्त्रालय अपेक्षाकृत अन्य मन्त्रालयों से बहुत आगे बढ़ा है। कृषि ऋण समितियां जहां १९५५-५६ में १ लाख ६० हजार थीं वहां सन् १९६१-६२ में उनकी संख्या बढ़ कर दो लाख १५ हजार हो गयी। सदस्य संख्या जो कि सन् १९५५-५६ में ७८ लाख थी वह १९६१-६२ में बढ़कर १९४ लाख हो गया। समितियों में किसान सन् १९५५-५६ में १५ प्रतिशत थे वे बढ़कर सन् १९६१-६२ में ३४ प्रतिशत हो गए। हिस्से की पूंजी जोकि सन् १९५५-५६ में १६ करोड़ ८० लाख थी वह सन् १९६१-६२ में बढ़ कर ६७ करोड़ ६४ लाख हो गयी। डिपाजिट जो कि सन् १९५५-५६ में ७ करोड़ ४ लाख था वह सन् १९६१-६७ में बढ़ कर १६ करोड़ ८० लाख हो गया। कर्जा जो सन् ५५-५६ में ४९ करोड़ ६२ लाख का था वह ६१-६२ में बढ़ कर २ अरब २५ करोड़ और २० लाख हो गया।

अगर हम चीनी कारखानों के सम्बन्ध में विचार करें तो उस दिशा में भी असाधारण उन्नति हुई है। सन् १९५५-५६ में जहां तीन सहकारी चीनी के कारखाने थे वहां ३४ हो गये। चीनी का उत्पादन जहां २६,००० मैट्रिक टन था वह अब बढ़ कर ४ लाख ७० हजार मैट्रिक टन हो गया है। इनमें चीनी का उत्पादन प्रतिशतः १.४० था अब वह १७.६८ हो गया। विरोधी पक्ष के लोगों ने जो यह कहा है कि यह सब बात बोगस हैं, यह बनावटी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ४ लाख ७० हजार टन का उत्पादन हुआ वह क्या बनावटी हुआ है? इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६७ करोड़ ६४ लाख रुपया ६१-६२ तक हिस्सों में जमा हुआ वह वास्तविक रूप से जमा हुआ है। यह सब चीज़ क्या फर्जी हो सकती है? इसी तरह से १६ करोड़ और ८० लाख रुपया जो कि जनता से सहकारी समितियों के स्तर पर जमा हुआ क्या वह बनावटी हो सकता है? इसलिए मेरा तो कहना है कि विरोधी पक्ष वालों की तरफ़ से बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि वास्तविकता से संबंधित नहीं होती हैं।

जहां तक जन सम्पर्क का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस मन्त्रालय का सम्पर्क १ करोड़, ९४ लाख सदस्यों से होता है और हर एक परिवार में चार, चार या पांच पांच सदस्य होते हैं। उन को वर्ष में कई दफ़े सहकारी समितियों के पास जाना पड़ता है और सहकारी समितियों को जिला व केन्द्र के स्तर पर जाना पड़ता है। इस तरह से जनता से उनका सम्पर्क होता है।

[चौधरी दि० सिं०]

जहां तक जनता को ऊंचा उठाने के लिए उनको शिक्षित करने का सम्बन्ध है यह असाधारण कार्य है। गांवों के स्तर पर यदि आप देखें तो पायेंगे कि किसान जो १००, १०० रुपये तक का व्यवहार करते थे वे हजारों और लाखों रुपये का व्यवहार करते हैं और उनका हिसाब किताब रखते हैं। सहकारी बैंकों से सम्बन्धित होने के कारण मैं देखता हूं कि गांव का एक एक किसान ५, ५ और ६,६ लाख रुपये का लेन देन क्षेत्रीय समितियों में करता है और उसका हिसाब किताब रखता है। यह जो काम हुआ है क्या यह उनको शिक्षित करने का काम नहीं है ?

अब यह जो कहा जाता है कि चुनावों को लेकर एक अविश्वास और पार्टीबन्दी हो गयी है और झगड़ा चलता है तो मेरा कहना है कि एक मैम्बर दूसरे के साथ मिल कर समिति की पंचायत समिति बनाते हैं। लोग पंचायत पर विश्वास करके अपना रुपया जमा करते हैं। किसान उसमें अपने हिस्से का रुपया जमा करते हैं और उनसे कर्जा लेते और देते हैं। समिति के लोग उसी रुपये को जमा करने जाते हैं और फिर उससे वापस लाते हैं। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन बेचारे गांव के आदमियों ने १०० रुपये का नोट भी नहीं देखा था वे २०, २० और २५, २५ हजार रुपये के नोटों की गड्डी बांध कर ले जाते हैं और उन्हें सदस्यों में बांट देते हैं।

जहां तक सामुदायिक विकास और सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, बहुत से लोगों ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार, गड़बड़ और बेईमानियां काफ़ी होती हैं। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो जहां रुपया होगा वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो रहती ही है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का हिसाब लगाया जाय और पी० डब्ल्यू० डी० और इंजीनियरिंग विभाग से इसका मुकाबला किया जाय तो देखा जायगा कि जितना भ्रष्टाचार उन मुहकमों में होता है उसका १० प्रतिशतः भ्रष्टाचार भी सहकारिता के विभाग में नहीं है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिला स्तर पर जहां १, १ करोड़ और ५०, ५० और ६०, ६० लाख रुपया बांटा जाता है और उसका लेन देन होता है, वहां पूरे देश में कर्जा देते समय एक भी पैसा रिश्वत का नहीं दिया जाता है। इस बात को हमारे विरोधी पार्टी के माननीय सदस्य भी जानते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार की संख्या का ताल्लुक़ है तो जहां १ करोड़ ९४ लाख आदमियों के साथ सम्पर्क होता है वहां संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत जहां इंजीनियर्स होते हैं और बड़े कामों में एक ही काफी होते हैं तो वहां रुपये की संख्या ज्यादा हो जाती है हालांकि भ्रष्टाचारियों की संख्या वहां पर कम होती है। दरअसल देखा जाय तो और विभागों की अपेक्षा इसमें भ्रष्टाचार कम है।

इस मन्त्रालय ने एक सबसे अच्छा काम यह किया है कि प्रशिक्षण जो उच्च स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है उसका सब प्रबन्ध राष्ट्रीय सहकारी संघ को दे दिया गया है। ऊंचे से ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को भी शिक्षा इसी के द्वारा दी जा रही है। एक विशेष बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस तरह से यह मन्त्रालय आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इस मन्त्रालय का काम प्रगति पर है, वहां उस प्रगति और बढ़ते हुए काम को जारी रखने के लिए अभी जो कमियां या खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। वह खामियां यह हैं कि क़ानूनों, नियमों और उप-नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा है। कई प्रदेशों में वही पुराने कानून, नियम और उपनियम चले आ रहे हैं। काम की प्रगति में यह पुराने कानून, नियम और उपनियम बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

हमारे विरोधी सदस्यों की एक बात में कुछ सच्चाई है कि हमारे कानून बनाने में विलम्ब हो रहा है। केन्द्रीय सरकार के जो सुझाव हैं उनको हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है और

आवश्यकतानुसार उनमें कानूनी संशोधन नहीं करती है । जहां तक उत्तर प्रदेश के मन्त्री या रजिस्ट्रार का सम्बन्ध है वह इसके लिए काफी प्रयत्नशील है कि संशोधन लायें लेकिन सरकार के दूसरे मन्त्री उसमें बाधक हैं । सहकारिता के कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश प्रथम अथवा द्वितीय है किन्तु इस विषय में पीछे है । बहुत आवश्यक है कि इस मन्त्रालय द्वारा प्रान्तीय सरकारों पर यह जोर देकर कहा जाय कि वे अपना पूरा पूरा सहयोग इसे दिशा में दें ।

अभी कुछ समय पहले हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पूरे हिन्दुस्तान के सहकार मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था । उसमें बहुत सी बातों पर विचार किया गया था । प्रान्तीय सरकारों द्वारा किस तरह से असहयोग किया जाता है उसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । वहां पश्चिमी बंगाल के एक मन्त्री ने यह बतलाया था कि लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी को ५०००० तक के विकास कार्य का ठेका देने की नीति हमने तय की है किन्तु पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के एक इंजीनियर ने एक निजी आदमी को १०० रुपये बढ़ा कर उसको ठेका दे दिया । इस तरीके से असहयोग किया जाता है । मेरा तो कहना है कि इस मन्त्रालय अथवा मन्त्री महोदय से प्रदेशीय स्तर पर जो लोग सहयोग नहीं करते हैं उनका मामला मंत्री महोदय को प्रधान मन्त्री जी के सामने रखना चाहिए जिससे कि यह समस्या हल हो और उनको प्रान्तों में पूरा पूरा सहयोग मिले ।

मेरा एक सूझाव यह भी है कि बाहर से जो सामान इम्पोर्ट होता है, ट्रैक्टर्स मोटर आदि बड़ी बड़ी मशीनरी आती हैं, उनका वितरण सहकारी संस्थायें के द्वारा कराया जाय । जो भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनको सहकारी आधार पर चलाना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि २२५ करोड़ का ऋण किसानों पर स्थायी हो गया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री के सामने एक सूझाव रखना चाहता हूं कि उस २२५ करोड़ रुपये के कर्ज को जो कि किसानों पर लगा हुआ है उसको स्थायी नहीं रहने देना चाहते हैं तो उसके लिए यह तरीका अपनाया जाय कि प्रति किसान जिसको कि अब पौने ६ रुपये तक ब्याज देना पड़ता है और किसी किसी सदस्य को इसके अतिरिक्त २, रुपया बाहर से कर्जा लेकर समिति का कर्जा चुकाने के लिए देना पड़ता है और इस प्रकार १२ रुपया तक ब्याज देना पड़ता है अगर यह तरीका अपनाया जाय कि १० प्रतिशत: किसानों से प्रतिवर्ष लिया जाय और ५ प्रतिशत ब्याज रक्खा जाय और ५ प्रतिशत: असल में जमा कर लिया जाय तो इससे किसान का १४–१५ वर्ष में पूरा रुपया चुक जायगा और किसान को अधिक नहीं देना पड़ेगा । प्रतिवर्ष जो कर्जा दिया जाता है उसके वसूल होने और कर्जा देने में तीन महीने का अन्तर होना चाहिए । और कर्जा तीन बार में देना चाहिए । इससे यह कर्जा विकास के कार्यों में लग जायगा ।

सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में मुझे वैसे अभी बहुत बात कहनी थीं लेकिन दुर्भाग्य है कि समय नहीं हालांकि और मन्त्रालयों की बजट मांगों पर बोलने के लिये समय न लेकर मैं इसी मन्त्रालय के बारे में विस्तार से बोलना चाहता था ।

एक खास बात की तरफ मैं अन्त में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज कोशिश यह की जा रही है कि ग्राम सेवक गांव में जाकर अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्ध में प्रचार करें । मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि ठोस काम किया जाए । उनके द्वारा आज इस बात का प्रचार करवाया जाता है कि किसान लोग अपने उत्पादन को बढ़ायें । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में आज एक भी किसान ऐसा नहीं है जो उत्पादन बढ़ाना न चाहता हो । आवश्यकता इस बात की भी नहीं है कि उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यह उनको न बताया जाए, न सिखाया जाये । वहीं पर जिस किसान का उत्पादन उससे अधिक होता है, जिस किसान का उत्पादन उससे दुगुना होता है, कम पैदा करने वाला किसान स्वयं बता सकता है कि उसके यहां भी उत्पादन किस तरह से दुगुना हो सकता है । वह स्वयं जानता है, तो मेरा सुझाव है कि उसी में उसकी मदद की जाए, उन तरीकों को जो वह स्वयं जानता है, उनमें उसका सहयोग

[श्री दि० सि० चौधरी]

किया जाए। साथ ही साथ हमारे यहां जो एग्रीकल्चरल रिसर्च वगैरह का काम हो रहा है, वह भी होना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि यह जो मन्त्रालय यह दूसरे मन्त्रालयों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ रहा है। गांधी जी का रामराज्य का जो स्वप्न था, उसकी पूर्ति की ओर अगर आंशिक रूप से कोई मन्त्रालय बढ़ रहा है, तो यही मन्त्रालय बढ़ रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह मन्त्रालय हमारे देश के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम कर रहा है।

श्री मरंडी (राजमहल) : कल से कम्युनिटी डिवलेपमेंट मन्त्रालय की डिमांड्स पर बहस चल रही है। यह आजाद भारत के लिये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आजादी के बाद हमारे लिए यह जरूरी था कि देहातों में जो चालीस करोड़ के करीब जनता बसती है, उसका स्तर ऊंचा किया जाये, उसको आगे आने का अवसर दिया जाए, उसको भी आजादी का मीठा फल चखने का अवसर दिया जाए।

कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना काम होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए इसकी स्थापना की गई है, वह काम पूरा नहीं हो रहा है और जो उद्देश्य हमारा है, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट्स में वे आदिवासियों के साथ उतनी ईमानदारी के साथ पेश नहीं आते हैं, जितनी ईमानदारी के साथ उन्ह पेश आना चाहिये। वे ईमानदारी के साथ अपना काम भी नहीं करते हैं। बहुत से अफसर तो ऐसे हैं जो कि आदिवासियों के साथ घृणा करते हैं। मैं संथाल परगना की बात कर रहा हूं। वहां के आफिसर्स आदिवासियों की उन्नति नहीं चाहते हैं। सरकार तो उनकी उन्नति करने के लिये प्रयत्नशील है, उनको आगे बढ़ाने के लिये कोशिश करती है लेकिन आदिवासियों का प्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं कह देना चाहता हूं कि अफसर लोग उतनी कोशिश नहीं करते हैं जितनी उनको करनी चाहिये। सरकार के प्रयत्नों की मैं सराहना किये बगैर नहीं रह सकता हूं। सरकार को चाहिये कि वह देख कि संथाल परगना में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, वे ईमानदारी के साथ काम करें। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारी दशा में बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। तब जितनी भी गरीब जनता है, हरिजन जनता है सभी का डिवेलेपमेंट हो सकता है। डिवेलेपमेंट का काम बहुत जरूरी है। आजादी के बाद भी अगर हमारे देश का डिवेलपमेंट नहीं होता है तो हमारी आजादी अधूरी ही रहने वाली है, बेकार ही रहने वाली है। हर इंसान को आजादी का मीठा फल चखने का अवसर मिलना चाहिये। हमारे देहात में बहुत से लोग कहते हैं कि स्वराज्य तो मिला है लेकिन सुराज्य नहीं मिला है। आपको चाहिये कि उनके लिये आप सुराज्य का प्रबन्ध करें।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो डिवेलपमेंट आफिसर वगैरह होते हैं, वे वहां की भाषा को नहीं समझते हैं। वहां की भाषा बिल्कुल अलग है। जब तक वे वहां की भाषा समझ या बोल नहीं सकते हैं तब तक डिवेलेपमेंट का काम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। बड़े बड़े विद्वानों का यह कहना है कि अगर किसी का आप डिवेलेपमट करना चाहत हैं, किसी इलाके का डिवेलेपमेंट करना चाहते हैं तो वहा पर जो लोग रहते हैं, सब से पहली आपको उनकी भाषा को सीखना चाहिये। संथाल परगना में संथाली भाषा बोली और समझी जाती है। अंग्रेजों के वक्त में वहां पर संथाली पढ़ाई जाती थी। आज हमारी सरकार की तरफ से वहां जो अफसर हैं, उनको संथाली सिखाई जा रही है और इसके आदेश भी दे दिये गये हैं। लेकिन सिर्फ यह चीज कागजों तक ही सीमित है, अमल में नहीं आती है। मेरा निवेदन है कि वहां जो अफसर हैं, उन में संथाली भाषा सीखने के लिये विशेष जोश भरा जाना चाहिये। अगर वे इस भाषा को सीख लेते हैं तो डिवेलेपमेंट का काम बहुत आसान हो सकता है।

अब मैं जो सहायता इन डिवेलेपमेंट के कामों में दी जाती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर दो तीन किस्म की मिट्टी पाई जाती है। एक कालो मिट्टी होती है जिसको हमारे यहां करारी मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी में जब कुंआ खोदा जाता है तो मिट्टी नीचे धंसती जाती है। इस मिट्टी को निकालने के लिये बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप कह देते हैं कि पचास फीसदी रुपया आप देंगे। बाकी रुपया वे अपने पास से खर्च करें। अब आप देखें कि जिन लोगों को इस सहायता से लाभ उठाना होता है, उनका खर्च कितना होता है। पहले तो उनको ज्यादा पैसा कुंए की खुदाई पर खर्च करना पड़ता है। फिर उनको कई मर्तबा ब्लाक में आना जाना पड़ता है और इसमें उनका कितना ही पैसा खर्च हो जाता है। एक बार जब वे जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि इंजीनियर साहब नहीं है, दूसरी बार जब वे जाते हैं तो कह दिया जाता है कि ओवरसीयर साहब नहीं हैं, तीसरी बार कह दिया जाता है कि बड़ा बाबू नहीं है। इस तरह से उनको अनेकों बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस सब के अलावा जो उनको रिश्वत देनी पड़ती है, वह अलग है। जब भी उनको रुपया मिलता है तो कभी तो उनको ओवरसीयर को पांच रुपया सैकड़ा देना पड़ता है, इंजीनियर को पन्द्रह रुपया सैकड़ा देना पड़ता है। बिना पैसा दिये उनका कोई काम बनता ही नहीं है। जो आपकी स्कीम्ज़ हैं, वे कागजों पर तो बहुत सुन्दर दिखाई देती हैं, लेकिन जो उनका इम्प्लेमेंटेशन है वह ठीक नहीं होता है, जो हैरानी लोगों को उठानी पड़ती है. वह कम नहीं होती है, जो पैसा खर्च करना पड़ता है किसी सहायता को प्राप्त करने के लिये वह कम नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि जब तक आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करते हैं, देश की उन्नति नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार का रोग बड़ा भारी रोग है और इसका कोई न कोई इलाज होना चाहिये। जिस तरह से शरीर में कोढ़ हो जाता है, उसी तरह से यह देश रूपी शरीर पर कोढ़ के समान है। यह बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर इस का जल्दी इलाज न किया गया तो सरा शरीर कोढ़ से भर जायेगा। सभी इस भ्रष्टाचार से भली भांति परिचित हैं। इसके बारे में यहां काफी हल्ला भी होता है। लेकिन इसका कोई इलाज आज तक तो हुआ नजर नहीं आता है कि किस तरह से इसको रोका जायेगा। गरीब जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सही सही बात आपके सामने रखता हूं। भ्रष्टाचार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इस को नष्ट करने के लिये आपकी तरफ से विशेष कोशिश होनी चाहिये। अगर यह बना रहता है तो हमारा डिवेलेपमेंट नहीं हो सकता है और न ही हमारा कोई काम आगे बढ़ सकता है।

संथाल परगना में सोसाइटीज़ गांव गांव में खोली जा रही हैं। लेकिन वे सभी नाम के लिये ही खोली जा रही हैं क्योंकि सोसायटी खोलने के जो सिद्धांत हैं, उनसे जनता को परिचित नहीं कराया जाता है। जनता को पता नहीं होता है कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इन सोसाइटीज़ की स्थापना हो रही है और उनको इन से क्या लाभ होने वाला है। सोसाइटीज़ का महत्व आजाद भारत में बहुत अधिक है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इनके जरिये से हम भारत की गरीब जनता को ऊपर उठा सकते हैं, महाजन के चंगुल से उसको छुटकारा दिला सकते हैं। इन सोसाइटीज़ की स्थापना की सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है, वह सराहनीय है। लेकिन जो इन सोसा-इटीज़ के सिद्धांत हैं, उन से जनता तथा इन सोसाइटीज़ के पदाधिकारियों को भली प्रकार से परिचित होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। हमारे यहां की जनता तो केवल इतना ही जानती है कि किस तरह से रुपया लिया जाना है और किस तरह से जो कर्ज लिया गया है, उसको वापिस देना है। मेरा सुझाव है कि इन सोसाइटीज़ के सिद्धांतों को गांव गाव में अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाय ताकि लोग समझें कि इन से उनका ही लाभ होने वाला है और वे उनको कामयाब बनायें।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के जो मंत्री होते हैं या सभापति होते हैं या मेम्बर होते हैं, उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिये और उनको बताते रहना चाहिये

[श्री मरंडी]

कि ये ये सिद्धांत हैं और इस-इस तरह से इनको चलाया जाय। हमारे यहां जो ब्लाक स्टाफ है, वह कागजों पर तो सोसाइटी की स्थापना कर देता है लेकिन किस तरह से इस को चलाया जाता है और किस तरह से रिकार्ड में टेन किया जाता है, इस का उसको पता ही नहीं होता है। दुनिया भर का स्टाफ आपने जमा कर रखा है। आपको चाहिये कि आप उनको सही ट्रेनिंग दें।

जापानी तरीके से अन्न की पैदावार, धान की पैदावार बढ़ाने की बात भी होती है। जो ब्लाक का स्टाफ है वह सूट बूट पहन कर चक्कर लगाता फिरता है, घूमता फिरता रहता है, लेकिन किस तरह से जापानी तरीके से उपज को बढ़ाया जा सकता है, इसको सही सही और ठीक तरीके से लोगों को नहीं बताता है वी० एल० डब्ल्यू० या सुपरवाईजरी स्टाफ जो होता है वह जब वर्षा होती है तो रस्सी ले कर जाता है और जहां लोग रोपते हैं, वहां उन से कहता है कि जापानी तरीके से रोपो, हम रस्सी खींचते हैं, तुम जापानी ढंग से रोपो इस तरह से लोगों की समझ में यह जापानी तरीका आता ही नहीं है। यह काम हमेशा चलना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जापानी तरीका कैसा है यह लोगों को समझना चाहिये। लोगों को यह बतलाना चाहिये कि जापानी तरीके से रोपने से यह फायदा है, यह सुविधा है अर्थात् जापानी सिद्धांत जो धान लगाने का है उस को जारी रखना चाहिये। मेरा पूरा यकीन है कि जो भी जापानी तरीका से धान नहीं लगाता वह कोई जी मदद नहीं कर सकता है धान की उपज में। बिना इस के धान की उपज में काफी वृद्धि नहीं हो सकती है इस लिये जनता को इस के बारे में पूरी तरह समझना चाहिये। जब ऐसा किया जायेगा तभी आहिस्ता आहिस्ता लोग समझेंगे और अन्न की वृद्धि होगी।

हमारा संथाल परगना जो है उस के विकास के लिये बहुत कहा जाता है। वह एक आदिवासी एरिया है और वहां के लिये ट्राइबल प्रोजेक्ट्स हैं। उन ट्राइबल प्रोजेक्ट्स के लिये सरकार की सराहना करता हूं लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई खास काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से पहले सारा काम हुआ करता था उसी तरह से आज भी हो रहा है। ट्राइबल प्रोजेक्ट्स में जो भी योजना बनती हैं वे छोटे छोटे नदी नालों तक ही सीमित रहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी योजनाओं से आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी स्कीम्स के बिना हमारा फायदा नहीं हो सकता है और सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से हमारे क्षेत्र की उन्नति हो सकती है।

आज हमारे हर एक किसान को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, इसका मतलब यह है कि हमारी आजादी बहुत कमजोर है। इस लिये हर एक किसान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिये ताकि हमारी आजादी मजबूत हो। जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं उसी तरह से हमारे किसान भी अपने खेतों में जी जान से काम कर रहे हैं। वे कड़ी धूप और भारी बरसात में परिश्रम करते हैं। इस लिये उन के काम में उन की मदद की जानी चाहिये ताकि उन की उन्नति हो सके और देश की उन्नति हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामचन्द्र वीरप्पा . . . अनुपस्थित हैं। श्री मेहरोत्रा।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मुझे दिया। सामुदायिक विकास विभाग की ओर से जिस प्रकार से देहातों में काम हुआ है अगर उस को क्रान्तिकारी काम कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। लेकिन इतने बड़े क्रांतिकारी काम को देश के कई लाख फैले हुए गांवों में जो काम इस विभाग ने किया है उस को देखते हुए भी अगर कोई न देखना चाहे तो उस को नहीं दिखाया जा

†मूल अंग्रेजी में

सकता है। अगर कोई आदमी मक्कर कर के सोने का बहाना करे और उस को कोई जगाना चाहे तो वह उस को जगा नहीं सकता। इस सम्बन्ध में मुझे एक लतीफा याद आता है जिस को मैं आप के सामने अर्ज करूंगा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारे राज्य में जो आदमी नहीं देख सकते हैं उन की एक फेहरिस्त बना लाओ। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, जहांपनाह, मैं तैयार कर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक पेड़ के नीचे चारपाई डाल कर बैठ गये। उधर से शहर का कोतवाल निकला तो उस ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा सब ठीक है, तुम जाओ,। बीरबल ने वहां पर एक क्लर्क को बिठा लिया था बीरबल ने, उस से कहा कि कोतवाल का नाम लिख लो। उस के बाद अमीर खुसरों वहां से निकले, उन्हों ने भी कहा कि बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, आदाब अर्ज है, सब ठीक है और क्लर्क से कहा कि उन का नाम भी लिख लो। किस्सा कोताह, बादशाह अकबर भी उधर से निकले तो उन्हों ने भी उसी तरह से पूछा। उन का नाम भी फेहरिस्त में लिख लिया गया। दूसरे दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह फेहरिस्त तैयार हुई? बीरबल ने कहा जी हां, जहांपनाह और फेहरिस्त उन को दे दी। फेहरिस्त में अकबर ने देखा कि उन का नाम भी अन्धों में लिखा हुआ है तो पूछा कि यह कैसी फैहरिस्त है? बीरबल ने कहा कि आप देख रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी आप ने पूछा क्या कर रहा हूं। ठीक इसी तरह से कम्युनिटी डेवेलपमेंट विभाग के काम को अगर देखते हुए भी कोई न देखना चाहे तो उस को दिखलाया नहीं जा सकता। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन देहातों में आने जाने के साधन भी नहीं थे वहां पर इस तरह से काम हुआ है कि उन गांवों की शक्ल ही बदल गई है। लोगों में एक प्रेरणा आई है, और उस प्रेरणा के द्वारा अपना निर्माण करने के लिये, अपना सुधार करने के लिये, अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए, जो कुछ उन्हों ने किया है वह एक निराली चीज है। आप इस बात को देखिये कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी विकास योजनायें लागू हुई उन में ठोस काम हुआ उन में आम तौर से जो काम हुआ वह श्रमदान के नाम से हुआ। उत्तर प्रदेश के उस वक्त के उपमंत्री ठाकुर फूल सिंह जी ने श्रमदान करने की आवाज लगाई। नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक ऐसे गांव को, जो बड़ी सड़क से दूर पड़ता था, जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, उस गांव के लोगों ने अपने श्रमदान के द्वारा अपने गांवों को बड़ी सड़क से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जो साधन किसान को उपलब्ध होने चाहियें थे, एक तरह से सम्पर्क हो जाने से वे उपलब्ध होने लगे।

बेचारे किसान को बड़ी मुश्किल से महाजनों से कर्ज मिला करता था, और वह भी बड़े ऊंचे ब्याज पर। कोआपरेटिव सोसायटियां कायम हुईं, साधन सहकार समितियों ने जो काम किया है उस के जरिये से किसानों को समय पर रुपया मिलता है। कहा जाता है कि बहुत रिश्वत मिलती है। कहीं-कहीं जरूर रिश्वत चलती है, मैं मानता हूं। लेकिन कहां रिश्बत नहीं चलती? और वह रिश्वत रोकी कैसे जा सकती है? क्या कानून बनाने से वह रिश्वत रुक सकती है? मैं समझता हूं कि यह समाज का अपिशाप है जोकि धीरे धीरे दूर होगा, और तभी दूर होगा जब हम सतर्क होंगे उस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सतर्कता से यह अभिशाप धीरे धीरे दूर होगा।

जमींदारी उन्मूलन के बाद यह आवश्यक था कि एक ऐसे विभाग का सृजन किया जाय, समाज की एक ऐसी योजना बनाई जाय जिस से जो अच्छे काम जमींदार के जरिये से होते थे उन को ठीक से अंजाम दिया जाता। मैं नहीं कहता कि जमींदार सब अच्छे काम ही करते थे, खोटे काम भी उन से होते थे, लेकिन छोटे मोटे झगड़े जमींदार की चौपाल में जा कर तय हो जाया करते थे। पंचायतें बनीं, न्याय पंचायतें बनीं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक न्याय पंचायत में, अलावा उन थोड़ी सी पंचायतों के जिन के बारे में हमारे साथी ने कहा कि कुछ गुंडों का कब्जा हो गया है, बाकी पंचायतों में हजारों मुकदमे ऐसे होते हैं जिन में समझौता कर के लोगों का न्याय करवा दिया जाता

[श्री बृज बिहारी महरोत्रा]

है । एक तरह से इस से लाखों रुपये किसानों के बच जाते हैं । उन की परेशानी और समय बचता है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र के जितने ब्लाक्स खुले, उन ब्लाक्स के जिन कार्यकर्त्ताओं के बारे में कहा जाता है कि वे कुछ काम नहीं करते हैं, वे बेकार हैं, मैं कहना चाहता हूं जब इस तरह की बात कही जाती है उन के साथ अन्याय किया जाता है । जो कार्यकर्ता देहातों के कोने कोने में पहुंच कर किसानों से यह बात मालूम करना चाहते हैं कि उन की आवश्यकतायें क्या क्या हैं, उन्हें कितना बीज चाहिये, कैसा बीज चाहिए, उन के पास सिंचाई के साधन हैं या नहीं हैं और उन को जुटाने में सहायता करते हैं, उनके लिए इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिये । देहातों में आम तौर पर कंडों से रोटी बनाई जाती थी और खाद के काम में आने वाला गोबर जल जाया करता था उस के लिये उन कार्यकर्त्ताओं ने प्रेरणा दी, उन्हों ने बतलाया कि किसानों को उस का उपयोग जलाने के लिए नहीं करना चाहिये, बल्कि उन के खेतों के साथ जो परती मेड़ है उस की पटरी पर वे जंगल लगायें जोकि उन के जलाने के काम आये । साथ ही उन्हों ने यह भी बतलाया कि अगर गोबर की कमी होती है तो वह हरी खाद उपजावें, कम्पोस्ट बनावें, कैमिकल वाली खाद लें जैसेकि अमोनियम सल्फेट है या दूसरी कैमिकल खाद है ताकि उस के जरिये से उन की उपज बढ़े । और उपज बढ़ी है । जो लोग यह कहते हैं कि उपज नहीं बढ़ी है, मैं समझता हूं, वे अन्याय करते हैं और एक गलत बात कहते हैं । किसान के खेत में प्रति बीघा उपज बढ़ी है, और वह इसलिए बढ़ी है कि किसान को प्रेरणा मिली कि वह अपने खेत में खाद डाले, अच्छे अच्छे औजारों का इस्तेमाल करे और खेती की रखवाली करे । देहातों में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां जापानी ढंग से धान की खेती की गई है और एक एक एकड़ में चालीस चालीस और पचास पचास मन के लगभग धान पैदा करने के बाद दूसरी फसलें भी काश्तकार उस खेत से ले रहे हैं, कभी चना लेते हैं, कभी गेहूं लेते हैं, और कभी मटर लेते हैं । इस प्रकार से उसी एक एकड़ की उपज करीब ६० मन तक हो जाती है जहां पर कि पहले एक एकड़ में मुश्किल से दस या बारह मन होती थी । अगर सिंचाई की वजह से एक एकड़ की उपज ६० मन हो गई है तो क्या यह एक क्रांतिकारी कदम नहीं है ? आखिर इन बातों की तरफ से क्यों चश्म-पोशी की जाती है ?

देहातों में जहां बेचारे हरिजनों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता था । आज गांव गांव में अनेकों कुओं का निर्माण हुआ है जिस से कि देहातों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और उन का स्वास्थ्य ठीक होने लगा है । उन की औसत जिन्दगी बढ़ी है ।

पहले देहातों में चेचक का प्रकोप होता था और आम तौर पर लोग देवी देवता मना कर रह जाते थे । जानवरों में चेचक का प्रकोप होता था और आदमी समझता था कि यह तो देवी लगी हैं । बड़ी संख्या में जानवर मरा करते थे लेकिन इन विकास योजनाओं की बदौलत आज जानवरों को वैक्सिनेट किया गया, जानवरों के चेचक के टीके लगाये गये और इस तरह से उन की चेचक की बीमारी से रक्षा की गई । बच्चों के लिये भी इस तरह का इन्तजाम है और विदेशों से, रशिया आदि से, वैक्सीन मंगा कर चेचक का टीका लगाने का इन्तजाम कर दिया गया है और वह काम बड़ी सफलता से हो रहा है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग जब वी० एल० डब्ल्यूज० को दी गई है तो उन से खास तौर से अगर केवल खेती का ही काम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा । जिस तरीके से यह वी० एल० डब्ल्यूज० काम करते थे हम उन को

उसी तरह का काम करने के लिये आजाद रक्खें। खेती के काम में लगे हुए भी वे खास तौर पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। किसानों को जो कर्ज दिया जाता है तो आप देखें कि स्टेट बैंक से वो रुपया निकलता है वह बहुत महंगे ब्याज पर नहीं निकलता है लेकिन किसान के पास पहुंचते पहुंचते उस पर काफी मोटी ब्याज दर हो जाती है और किसान को ९ रु० फी सैंकड़ा सूद तक देना पड़ता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान को सस्ते ब्याज पर रुपया मिल सके और वह अपनी खेती की उन्नति करने के लिए अच्छे औजार और बैल खरीद सके। ऐसी कोई व्यवस्था कर सकेंगे तो जो काम शुरू किया गया है वह सफल होगा।

मैं आप का ध्यान गोरक्षा की ओर भी दिलाना चाहता हूं। देहातों में दूध की बड़ी कमी है और इसी लिए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। गोरक्षा के लिए तो कानून बन गया है लेकिन दूसरे दूध देने वाले जानवरों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा है कि अच्छी भैंसों को वेटनरी डाक्टर का सरटिफिकेट ले कर कत्ल कर दिया जाता है। पशु से उस की खाल महंगी बिकती है। जब पशुओं की इस तरह कमी हो जायेगी तो दूध की भी कमी हो जायेगी। फिर कैसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी को पशुओं की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अभी पोल्ट्री के बारे में कहा गया कि उस का एक तमाशा बना रखा है। जब दिखाने का मौका होता है तो कहीं से मांग कर कुछ मुर्गियां दिखा दी जाती हैं। मैंने पिछले दिनों मैसूर में एक पोल्ट्री फार्म देखे जिन में एक में २७ हजार तक मुर्गियां और उनके बच्चे थे। इस को जाल बट्टा कैसे कहा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि यह बात कैसे इस सदन में कही जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप मनुष्यों के लिए कह चुके, पशुओं के लिए कह चुके, पोल्ट्री के बारे में भी कह चुके, अब खत्म कीजिये।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौरनगर) : श्रीमान्, हमारा ध्येय कल्याण राज्य की स्थापना है। सामुदायिक विकास मंत्रालय ऐसे राज्य की स्थापना करने का साधन है। इस मंत्रालय का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत और सुदूरगामी है कि एक वास्तविक कल्याण राज्य की स्थापना के हेतु हमें इस मंत्रालय की ओर इसके कार्य में निष्टा और कार्यकुशलता लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह सब देश की सम्बन्धित ८० प्रतिशत जनता के सहयोग से ही सम्भव है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इस मंत्रालय का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस की आलोचना किया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु इस का ध्येय कल्याण राज्य की स्थापना है और यह कार्य कुछ वर्षों में ही पूर्ण नहीं किया जा सकता।

इसका एक लाभदायक कार्य इसकी सहकारी शाखा से संबंधित है। मैंने कई बार कहा है कि चरमपंथी पूंजीवाद शोषण को जन्म देता है और चरमपंथी समाजवाद हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच की सहकारिता की जीवन यापन प्रणाली सर्वोत्तम है। कभी कभी यह सहकारिता उद्यम अनाचारी व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है, तब इसकी कुख्याति फैलती है। इसका वास्तविक उपचार यह है कि सत्यनिष्ठ और देशभक्त व्यक्तियों के हाथों में यह कार्य सौंपा जाये। हमें इस कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। एक साथ कई संस्थायें आरम्भ करना उचित नहीं। जैसे जैसे सत्यनिष्ठ कार्य सम्पादन की नींव पर हमारे पग दृढ़ होते जायें, हम इनकी संख्या बढ़ाते रहें। हमें आंकड़ों के पीछे नहीं भागना है। इससे चूक और अपक्षय की ही संभावना अधिक होती है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हनुमन्तैया]

इसका विकास इतना सुव्यवस्थित हो कि मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि को रोकने के साथ ही सामाजिक न्याय भी सुलभ हो सके।

मैंने एक सुझाव पहले भी दिया था। यह सुझाव अपने राज्य के संबंध में था। मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय के छात्रों को दीक्षांत समारोह में उस समय तक उपाधि प्रदान न की जाये जब तक वह १ वर्ष तक राष्ट्र की निःशुल्क सेवा न कर ले। मुझे हर्ष है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सुझाव को बाद में स्वीकार कर लिया। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री संबंधित अधिकारियों से इस बात पर जोर दें कि इन छात्रों को सामुदायिक परियोजना के क्षेत्र में लगाया जाये। जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करे उसे आगे सेवाओं में नियुक्त किया जाये। यह प्रलोभन दिया जाना आवश्यक है। हम अभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेकर नियुक्तियां करते हैं। किन्तु इन परीक्षाओं से यही पता चल सकता है कि उनकी बुद्धि, स्मरण-शक्ति आदि कैसी है। सेवा की भावना की परीक्षा नहीं होती। उनकी सत्यनिष्ठा और दक्षता की भी परीक्षा नहीं होती। ऐसे कर्मचारियों के द्वारा कल्याण राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। जब तक परीक्षा में प्राप्त अंकों के स्थान पर हम सेवा की योग्यता और सत्य-निष्ठ प्रयोजन को सेवानियुक्ति की कसौटी नहीं मान लेते तब तक हम ऐसे समाज की रचना नहीं कर सकते। इसलिये जो भी सामुदायिक विकास के लिये कार्य करे उसे लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अधिमान दिया जाये। इस प्रकार का प्रलोभन और भविष्य उन्हें सत्यनिष्ठा से और कारगर रूप से कार्य करने के लिये उत्साहित कर सकता है।

प्रतिवेदन में कृषि के विकास के संबंध में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि १९६०–६१ में २८,६३,२०० कम्पोस्ट के गढ़े खोदे गये हैं। किन्तु गढ़े तो प्रत्येक स्थान पर खोदे जाते हैं। प्रश्न तो यह है कि किसानों की कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई। मुझे इस संबंध में आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। आशा है कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

दिल्ली को, जो राजधानी है, योजना को कार्यान्वित किये जाने के संबंध में दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिये। किन्तु प्रातःकाल ही यहां सूखे पत्ते जलाये जाते हैं। मैं बंगलौर में भी जाता हूं। वहां इन पत्तों को एकत्रित करके खाद बनाने के कार्यों में लाया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। पत्तों के जलाने से वातावरण दूषित होता है। यह प्रथा पुरानी हो चुकी है। दिल्ली में बहुत सी बातें हैं जिनके सुधार की आवश्यकता है। हम हजारों मील दूर गांव में जाकर उपदेश देते हैं। इन पत्तों को खाद बनाने के स्थान पर जलाकर वातावरण को दूषित करना अस्वास्थ्यकर है। मुझे आशा है कि संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, शासन के दृष्टिकोण से चाहे किसी तरह की प्रणाली अपनायी जाय तो उसमें किसी न किसी तरीके से कोई न कोई दोष अथवा उस के लाभ होंगे। हमारे देश ने जनतंत्रीय परम्परा को अपनाया है और यह निश्चित बात है कि जनतंत्रीय प्रणाली जिसको कि हमने अपनाया है उसमें लाभ सब से अधिक है और दोष सब से कम है। अब एक बार जब हम किसी शासन प्रणाली को अपनाते हैं तो जहां उसका फायदा हम लेना चाहते हैं तो उस के साथ साथ उसकी कुछ बुराइयों और बुराइयों से पैदा होने वाले परिणामों को भी भोगने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। यदि पंचायत या पंचायती प्रथा और शासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सैद्धांतिक रूप से विरोध किया जाय तब तो मैं समझता हूं कि वह मूल रूप से इस प्रकार की जनतंत्रीय शासन प्रणाली के विरूद्ध बात करते हैं और यदि इस जनतंत्रीय प्रणाली का एक दूसरे

दृष्टिकोण से विरोध किया जाता है कि इसमें झगड़ा चलता है, पार्टीबाजी होती है और भ्रष्टाचार पनपता है तो मैं समझता हूं कि यह वास्तव में सही दृष्टिकोण नहीं है। यदि हम यह चाहते हैं कि पालिटिक्स गांवों में न जाय तो फिर यह पालिटिक्स है किस मर्ज की दवा ? यह बात जरूर है कि वहां गांवों के स्तर पर जो लोग परस्पर बैठ कर बातचीत करते हैं और एक दूसरे से विवाद आदि करते हैं तो वे उतनी अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी भाषा और शब्द हम लोग यहां बैठ कर इस्तेमाल करते हैं। यह जरूर है कि हमारे पास कुछ शब्द अच्छे हैं, कुछ भाषा अच्छी है इसलिये हम अच्छे शब्दों में वह बात कहते हैं। उन के पास साधारण भाषा है इसलिये वह अपनी बातें जरा मुंहफट शब्दों में कहते हैं। फर्क और कुछ नहीं है। अन्तर केवल यही है कि जहां हमने कुछ अच्छी भाषा सीख ली है वहां उनके पास उतनी अच्छी भाषा नहीं है।

जहां तक सहकारिता व सामुदायिक विकास विभाग में भ्रष्टाचार का सवाल है तो भ्रष्टाचार तो अब एक प्रकार से सरकारी शिष्टाचार हो गया है और यदि इसके लिये ग्राम पंचायतों को दोषी ठहराया जाय और इस आधार पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का विरोध किया जाय तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं होगा। भ्रष्टाचार के लिये विकेन्द्रीकरण को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो शुरू से लेकर आखिर तक फैला हुआ है और यदि इसको मिटाना है तो उसका रास्ता दूसरा है। उसके लिये हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे और नये रास्ते अपनाने होंगे तभी यह रिश्वत व भ्रष्टाचार हमारे बीच में से मिट सकता है। विकेन्द्रीयकरण का विरोध करने मात्र से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। अगर सही रूप में देखा जाय और जो कुछ बातें इस संबंध में कही गयी हैं उनको ध्यानपूर्वक गौर किया जाय तो मेरा ख्याल है कि हमारे इस देश में कोई भी व्यक्ति इस विकेन्द्रीयकरण के विरूद्ध नहीं है। जो कुछ उसके परिणाम दिखाई देते हैं वह उसके सही रूप में कार्य न करने के कारण हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सब से बड़ी आवश्यकता राजनीतिक शिक्षण की है। राजनीतिक शिक्षण न तो हमारी राजनीतिक पार्टियां दे पा रही हैं न और न हम स्वयं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिज्ञ इधर उधर मोड़ खाने और दूसरों को मोड़ दिलाया करते हैं और इस तरह के हमारे यहां बहुत से पोलिटिकल इंजीनियर्स हैं दुर्भाग्य यह है कि जहां कुछ काम करने की आवश्यकत होती है और लोगों को राजनीतिक शिक्षण देने की आवश्यकता है वहां वे कुछ काम नहीं करते हैं। जब नीचे से विलेज लेविल पर लीडरशिप तैयार होती है तब उनको एक प्रकार की बौखलाहट होती है कि इनको हम क्यों सत्ता दें। यदि हम जनतंत्र को एक प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें उन्हें भी उतनी ही सत्ता देनी चाहिये जितनी कि हम उन्हें दे सकते हैं और उस पर कम से कम अंकुश रक्खा जाना चाहिये।

अब यहां एक बात कही जाती है कि बी० डी० ओज० जहां योग्य होते हैं वहां वह अपना प्रभाव डालते हैं तो मैंने तो यह भी देखा है कि जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं वहां बी० डी० ओज० खामोश बैठे रहते हैं। यह तो योग्यता का प्रश्न है। अगर किसी स्थान पर उस से भी योग्य आदमी होता है, तो वह नौकरशाही को भी अपने साथ लेकर और उस की योग्यता का फायदा उठा कर काम करता है। माननीय सदस्यों ने जो तस्वीर खींची है, वास्तव में वह तस्वीर का एक पक्ष है। हमें उसके दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिये। जहां वास्तव में योग्यता होगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसाकि मैंने अभी कहा, इस संबंध में लोगों के शिक्षण का बहुत महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये और उनको गाइड किया जाये।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार गांवों और शहरों को एक धरातल पर नहीं रख रही है। अगर शहर में एक हासपिटल खुलता है, तो हम यह मांग नहीं करेंगे कि शहर वाले उसकी बिल्डिंग बना कर दें। हम यह भी नहीं कहेंगे कि पानी की किसी योजना को कार्यान्वित

177 (Ai) LSD—6.

[श्री तन सिंह]

करने के संबंध में शहर के लोग मिल कर इतना कांट्रीब्यूशन करें। लेकिन गांव में अगर हम एक छोटा सा औषधालय भी खोलेंगे, तो कहेंगे कि ३३ परसेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और तभी सरकार ६७ परसेंट देगी।

एक माननीय सदस्य : ५० परसेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन मांगा जाता है।

श्री तन सिंह : ५० परसेंट भी है और ३३ परसेंट भी है। दोनों तरह की व्यवस्थायें हैं।

जहां तक पब्लिक पार्टिसिपेशन के सिद्धान्त का प्रश्न है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वह सिद्धान्त शहरों में भी लागू किया जाये। हम सब जानते हैं कि शहरों में यह काम चलने का नहीं है, लेकिन गांवों में वह चल सकता है। इस का कारण यह है कि वहां पर इन चीज़ों की आवश्यकता है, लोग जागरूक हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहां हों। इसलिए वे लोग आगे बढ़ कर पैसे और अन्य प्रकार की मदद करते हैं। लेकिन इस का मतलब यह तो नहीं है कि शहरों और गांवों की अलग अलग क्लासिज़ बना दी जायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि शहरों और गांवों के उठते हुए भेद को समाप्त कर देना चाहिए और दोनों पर एक ही सिद्धान्त लागू करना चाहिएं।

सरकार केवल गांवों में ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। मेरे विचार में शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। जब हम जनतंत्र को एक सिद्धान्त के रूप में, एक शासन-प्रणाली के रूप में मानते हैं, तो इस बारे में गम्भीरता से विचार करके आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

जहां तक पब्लिक पार्टिसिपेशन का सम्बन्ध है, प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जनता का सहयोग, चाहे वह मैनुअल लेबर के रूप में हो और चाहे किसी अन्य रूप में, ३४.९ प्रतिशत था, लेकिन १९५६-५७ में ४०.८ प्रतिशत और १९५९-६० में २८.४ प्रतिशत हो गया। मेरे दृष्टिकोण से जन-सहयोग के घटने का कारण यह है कि जनता को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये योजनायें वास्तव में उन के द्वारा ही प्रस्तावित की गई हैं। बल्कि योजनाओं का निर्माण या बजट का एलाटमेंट एक ढंग से होता है और गांवों की आवश्यकताएं और मांगें दूसरे ढंग की होती हैं। इस का नतीजा यह है कि बहुत सा रुपया लैप्स हो जाता है, लेकिन चूंकि उस रुपये को ख़र्च करना पड़ता है, इसलिए कोई दूसरे काम तैयार किये जाते हैं और वह रुपया उन पर ख़र्च किया जाता है।

जिस तरह से हम पंचायतों के द्वारा नेतृत्व को निम्न से निम्न, नीचे से नीचे, स्तर से उत्पन्न करना चाहते हैं, उसी तरह से योजनाओं को भी नीचे से नीचे स्तर से उत्पन्न करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम जनता के सहयोग और उस के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर काम करेंगे, तो हमें गांवों की प्रगति और विकास करने में अवश्य सफलता मिलेगी।

मैंने बहुत संक्षेप में अपने विचार आप के सामने रखे हैं। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिपुटी स्पीकर साहब, जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी की तरफ़ बढ़ रहे हैं और हम ने यह अहद किया है कि हम इस मुल्क को एक जम्हूरी मुल्क बनायेंगे, जिस में हर एक बाशिन्दे को मुसावी हुकूक हासिल होंगे, तब उस सूरत

मैं कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और को-आपरेशन की मुखालफ़त का मतलब यह है कि हमने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी का जो तसव्वुर अपने सामने रखा है और उसको कायम करने का अहद बांधा है, उसकी सिरे से मुखालफ़त की जाये। इस थोड़े से अरसे में इस महकमे ने जो कुछ किया है, वह काबिले तारीफ़ है। हमारे एक दोस्त ने सही कहा है कि इस मिनिस्ट्री के ज़िम्मे जो काम है, वह काफ़ी मुश्किल है। वह न सिर्फ़ इस लिहाज़ से मुश्किल है कि उस ने हिन्दुस्तान के देहात में रहने वाले उन लोगों तक पहुंचना है, जिन को आज तक पढ़ाई का एक लफ्ज़ भी पढ़ना नसीब नहीं हुआ, बल्कि इसलिए भी मुश्किल है कि यह सबजेक्ट कनकरेंट लिस्ट में है और मरकज़ी वज़ारत ही इस में कारमुख्तार नहीं कि वह जो कुछ चाहे, स्टेट्स से करा ले, या यहां कुछ कानून बना कर तमाम स्टेट्स से मनवा ले। बल्कि हर एक स्टेट का अपना-अपना को-आपरेशन एक्ट है, पंचायतों के मुताल्लिक उन का अपना अपना तरीका है। कई स्टेट्स ने पंचायती राज को एक ढंग से अपनाया है और कई ने दूसरे ढंग से अपनाया है।

मुझे यह कहने में कोई आर नहीं कि इस मिनिस्ट्री ने और बिलखसूस श्री एस० के० डे और उन के साथियों ने को-आपरेशन की तहरीक को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। इस तहरीक से मेरा गहरा ताल्लुक है और मैं ने छोटी से ले कर बड़ी सोसायटीज़ में अपना आजिज़ाना और मुअद्दबाना हिस्सा अदा किया है। मैं समझता हूं कि यह सोचना ग़लत है कि सिर्फ़ यहां पर नुक्ता-चीनी करने से ही इस तहरीक को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम को इस बात का जायज़ा लेना होगा कि ज्यों-ज्यों यह तहरीक आगे बढ़ रही है, त्यों त्यों इसके मुखालिफ़ अनासिर, ऐसे अनासिर, जो को-आपरेटिव फ़ार्मिंग के नाम से रूठ कर अपने पेयरेंट बाडी को छोड़ कर आपोज़ीशन बेंचिज़ पर जो बैठे हैं, ऐसे लोग, जिन के मुफ़ाद बिल्कुल सीधे टकरा गये हैं, दिन-ब-दिन मुनज्ज़म होते जा रहे हैं।

इस वक्त एक तरफ़ तो यह कहा जाता है कि को-आपरेटिव तहरीक या को-आपरेशन की मरकज़ी वज़ारत तमाम गवर्नमेंट पर छाई जा रही है और को-आपरेटिव वाले यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में होने वाला हर एक काम को-आपरेटिव के दायरा-ए-अख्त्यार में आ जाये और दूसरी तरफ़ अमलन तजुर्बा यह बताता है कि को-आपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है। अगर मैं यह मिसाल दूं, तो नामुनासिब नहीं होगा, कि को-आपरेटिव की तहरीक की हैसियत इस वक्त की ख़ानदान के उस होनहार और लायक लड़के की सी है, जो लायक है, जो परवरिश पा रहा है और जिस के ज़िन्दा रहने, बढ़ने और बड़ा होने पर उस ख़ानदान के नाम और उस की रवायात के ज़िन्दा रहने का इन्हसार है। मां-बाप उस लड़के को पाल रहे हैं और उस को ज़िन्दा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर यह लड़का ज़िन्दा रहा, तो वह इस ख़ानदान की जायदाद को सम्भाल लेगा और इस ख़ानदान की रवायात को ज़िन्दा रख कर आगे बढ़ायेगा, इसलिए इस ख़ानदान को ख़त्म करने के लिये इस लड़के को ख़त्म किया जाये। वे लोग उस लड़के के मुशीर, डाक्टर और दोस्त बन कर उस की खुराक और दवाओं में ज़हर भर रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के को ख़त्म कर दिया जाये, हालांकि बज़ाहिर ऐसे लोग उस ख़ानदान के लाडले और उस लड़के के दोस्त भी बने हुए हैं।

को-आपरेटिव तहरीक पर जो हमला है, वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी पर हमला है, सोसायटी के उस निज़ाम पर हमला है, जो कि ग़रीब को वह हक दिलवाना चाहता है, जो आज तक उस को नहीं दिया गया है। एक तरफ़ तो मोहतरिम प्रो० रंगा जैसी हस्ती इस बात पर नाराज़ हैं कि यह मिनिस्ट्री इस हद तक छाई जा रही है कि वह चाहती है कि अगर दूसरे मिनिस्टर सांस भी लें तो इस मिनिस्ट्री से पूछ कर लें और दूसरी तरफ़ बाकायदगी से एक ऐसी मुहिम चलाई जा

[श्री समनानी]

रही है कि जहां भी को-आपरेटिव का नाम आया, वहां रुकावट डाली जाये । मुझे यह कहने में कोई आर नहीं है कि गवर्नमेंट की सांझी ज़िम्मेदारी होते हुए भी गवर्नमेंट के अपने ही महकमों में ऐसे अनासिर की कमी नहीं है, जो कोआप्रेशन के नाम से चिढ़ जाते हैं, तंग आ जाते हैं और फाइल उठा कर फेंक देते हैं और कोआप्रेशन तहरीक का वही हाल होता है

ज़ाहिद तंग नज़र ने हमें काफ़िर जाना
काफ़िर समझता है कि मुसल्मान हूं मैं

रंगा साहब को यह शिकायत है कि कोआप्रेशन सारे हिन्दुस्तान पर छा गई है और कोआप्रेटर्ज़ को यह शिकायत है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम जायें तो कहां जायें ।

एमरजेंसी का इस मुल्क में ऐलान हुआ । सब से जरूरी चीज़ जो इस एमरजेंसी में करनी थी वह प्राइस लाइन को होल्ड करने की थी । कंज्यूमर स्टोर्ज़ का आइडिया सामने लाया गया । उस को बाकायदा मंजूरी दी गई । कंज्यूमर स्टोर्ज़ को किस हद तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसका जवाब मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा ।

अपोज़ीशन वालों की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी यह ताना दिया जाता है कि हंगामी हालात पैदा करके कांग्रेस गवर्नमेंट एमरजेंसी अख़्त्यारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। वह अपोज़ीशन को दबाना चाहती है, प्राइवेट सैक्टर को दबाना चाहती है, तजारत पेशा को दबाना चाहती है। इस एमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए और इस की जो जरूरियात हैं, उन को ध्यान में रखते हुए और प्राइस लाइन को होल्ड करने की जरूरत के बावजूद और इसके बावजूद भी कि जो कारखानेदार हैं, वे सोर्स से कोआप्रेटिव्ज़ को चीज़ देंगे, आज तक कितनी इस में कामयाबी हासिल हुई है, इस को मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा । जो कामयाबी मिली है, उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं । टैक्सटाइल मिल्ज़ के पास जो मनों कपड़ा पड़ा हुआ था, लाखों गांठ कपड़ा पड़ा हुआ था, उस को उन्होंने इन को आफर कर दिया कि ले जाओ, कोआप्रेटिव्ज़ में रख दो, ऐसी चीजें जो हमेशा मिल सकती हैं उन को रख दो । किसी भी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जिससे कोआप्रेटिव तहरीक को बढ़ावा मिल सके या प्राइस लाइन को होल्ड किया जा सके । बड़े कारखानेदारों ने तावुन नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करने की कोशिश करें ।

श्री समनानी : पांच मिनट तो अभी मैंने सिर्फ लिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं । एक दो मिनट में आप खत्म कर दें ।

श्री समनानी : मुख्तसर तौर पर जो मुझे कहना है, वह अब मैं आप के सामने रखता हूं । मैं दो चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूं । आज जो कोआप्रेटिव तहरीक की मुखालिफत हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि अगर यह कामयाब हो जाती है तो जो मुनाफाखोर हैं, जो इजारेदार हैं, जो समाज और गरीब का खून चूसने वाले लोग हैं, उन पर एक तरह से रोक लग जायेगी । उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा । पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस को साबित करने के लिए भी तैयार हूं । आज आप कहते हैं कि जो जरूरी चीज़ें हैं, उनकी लिस्टें लगाई जायें दूकानों पर । जो लिस्टें लगी हैं, उन में एक ही चीज़ की कीमत अगर एक दूकान पर ६० नये पैसे लिखी हुई है तो इसी चीज़ की कीमत दूसरी दूकान पर एक रुपया लिखी हुई है । यह जो चीज़ है, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

इसी तरह से कामर्स मिनिस्ट्री या दूसरी मिनिस्ट्री इम्पोर्ट के लाइसेंस देती हैं । शेविंग ब्रशिज़ जिन का इम्पोर्ट बन्द हुए कितनी ही देर हो गई वे आज भी आपको दिल्ली की मार्किट में मिल जायेंगे । उन पर मेड इन इँग्लैंड लिखा रहता है, लेकिन वे बनते यहां दिल्ली में हैं और उन पर मुहर मेड इन इँग्लैंड की लगा दी जाती है । ये ब्रश दिल्ली की हर दूकान पर बिकते हैं । अगर कोग्रोप्रेटिव तहरीक चल जाये और कामयाब हो जाए तो इस तरह की लूट नहीं मचाई जा सकती । अगर इस तरह की चीज़ों से मुल्क को बचाना है तो हमें कोग्रोप्रेटिव तहरीक को मज़बूत करना होगा और पूरा ताबुन भी देना होगा । यही एक तरीका है जिससे लूट खसोट करने वालों से अवाम को बचाया जा सकता है ।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक हाई पावर कोग्रोर्डिनेटिंग कमेटी बननी चाहिये जिस में बाकायदा कांस्टीट्यूशन के फैसले के मुताबिक कोग्रोप्रेटिव सैक्टर को मजबूत करने के लिए ज़राये तलाश करने के लिए इस मिनिस्ट्री को पूरा अख्त्यार हो ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कचार) : इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के साथ ही मैं इस विषय पर कुछ विचार व्यक्त करूँगी । पँचायती राज से हमारा तात्पर्य शक्ति के विकेन्द्रीकरण, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है । अभी तक १२ राज्यों ने ही इस सम्बन्ध में विधान बनाया है और उसे लागू करने में प्रयत्नशील है; किन्तु पँचायतों के लिये चुनाव की जो पद्धति है उससे भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, दलबँदी आदि को बढ़ावा मिलता है । निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति भी इस विषय में सफल सिद्ध नहीं होगी । इसका एक मात्र कारण जनता में पँचायती राज्य के प्रति अज्ञान है जिसे दूर करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जाने चाहियें । उन्हें शिक्षित और अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक जागरूक बनाया जाये । खँड विकास अधिकारी इस प्रकार कार्य करें कि वह जनता से हिल-मिल जायें । सामाजिक कार्य और सामुदायिक सँगठन में प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाय ।

आसाम राज्य में ग्राम सभा उचित रूप से कार्य नहीं कर रहीं । उनकी बैठकें भी नहीं होतीं । यदि ग्राम सभाओं का यह हाल है तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह उन्ह सौंपे गये विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकेंगी ।

कछार जिले में चावल का अधिक उत्पादन होता है । किन्तु गत सर्दियों में इसने ४० प्रतिशत फसल ही उत्पन्न की । चावल का वर्तमान मूल्य ३० और ३२ रुपये मन तक हो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि आसाम में सामुदायिक विकास कार्य ठीक प्रकार नहीं चल रहा । खंड क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास के विषय में भी अधिक कार्य नहीं किया जा रहा । यद्यपि आसाम में प्राकृतिक सँसांधनों की कमी नहीं है तथापि उनका उपयोग करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे ।

ग्राम स्वयँसेवक दल का सँगठन किया जा रहा है । यदि इसका उचित पथप्रदर्शन किया गया तो अवश्य ही उत्पादन में वृद्धि होगी ।

कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं । प्रतिवेदन के अनुसार ३४०२ परिवार नियोजन केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं; किन्तु जब तक कम मूल्य वाली खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों के वितरण की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक इस देश में परिवार नियोजन के कार्य में सफलता नहीं मिल सकेगी ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्रीमती ज्योत्सना चन्दा]

आसाम के चाय बागान क्षेत्र पहले पँचायती राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दो वर्ष पूर्व ही उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। किन्तु इनका पँचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनसे कर उगाहे जाते हैं। यद्यपि इसे उद्योग समझा जाता है, तथापि इसका उत्पादन चाय, खाद्य पदार्थ ही है। मुझे आशा है कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : श्रीमान्, प्रारम्भ में मैं खँड विकास समितियों के विषय में कुछ कहूँगा। मनीपुर में खँड विकास समितियों में केवल नामनिर्देशित सदस्य ही होते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या देश के दूसरे भागों में भी ऐसी ही प्रथा है। उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी उस खँड विकास समिति का सभापति होता है। इस प्रकार वह अधिकारी सभापति, सचिव आदि सब कुछ होता है। अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी नामनिर्देशित होते हैं। इस प्रकार इन समितियों में जनता को प्रतिनिधित्व नहीं होता।

मैं ने खंड विकास के सम्बन्धित उपमँत्री महोदय से इसमें सुधार के लिये कहा था। किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। विकास का हर कार्य खंड स्तर से ही आरम्भ होता है। इवी स्तर पर योजनायें और परियोजनायें बनाई जाती हैं। इसीलिये इन समितियों का गठन इस प्रकार का होना चाहिये, जिससे यह जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें।

योजनायें खंड विकास समितियां नहीं बनातीं, अपितु अधिकारी बनाते हैं। किन्तु उन्हें उन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान नहीं होता, न ही वहां के लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, योजनाओं को उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

खण्डों में कर्मचारियों की नियुक्ति ठीक प्रकार नहीं की जाती। मँजूर की हुई सँख्या में कर्मचारी, विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारी कभी भी नियुक्त नहीं किये जाते। सारी योजनायें तकनीकी अधिकारियों के परामर्श के बिना ही कार्यान्वित की जाती हैं।

सिंचाई के लिये नालियां नहीं खोदी जातीं और जहां खोदी जाती हैं वहां उनमें पानी नहीं आता। कई जीप जाने योग्य सड़कें बनाई गयी हैं, किन्तु उन पर जीप अभी नहीं जा सकती। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसमें रुपया व्यर्थ ही नष्ट किया जा रहा है। इसलिये वहां उचित प्रकार से योजना बनाने की ओर उचित तकनीकी मार्ग दर्शन की आवश्यकता है।

आदिवासियों की अपनी पृथक प्रकार की पँचायतें होती है। कई बार गृह मंत्रालय से प्रार्थना की गई थी कि यहां उसी प्रकार की पंचायतें बनायी जायें। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस लिये वहां अव्यवस्था है और इस समय किसी भी प्रकार का पँचायती राज नहीं है। कुछ वर्षों पहले वहां एक प्रकार की पंचायत प्रणाली आरम्भ की गयी थी, किन्तु वहां के लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब से अब तक वहां किसी भी प्रकार की पंचायत नहीं है।

सहकारिता के सम्बन्ध में मैं यही कहूँगा कि आदिवासी सामुदायिक जीवन ही व्यतीत करते हैं, परस्पर सहयोग से रहते हैं और किसी भी प्रकार का शोषण वहां नहीं है। वहां सहकारी संस्थाओं ने कोई प्रगति नहीं की है। विभाग ने उन का उचित प्रकार से सँगठन नहीं किया है। वहां कुछ शिक्षित व्यक्ति भी हैं। यह लोग अब वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकृति को रोका जाना चाहिये। इसका एकमात्र उपाय यही है कि अधिक सँख्या में सहकारी सँस्थायें खोली जायें। हर गांव में एक संस्था होनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं समझता हूँ कि मैं सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का बजट सातवीं बार प्रस्तुत करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ । मँत्रालय के अधीन जो विषय हैं उन में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन के लगभग सब पहलू आ जाते हैं । इस लिये, मुझे यह जान कर किंचित भी आश्चर्य नहीं हुआ कि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय पर भाषण देने के लिये सभा का प्रत्येक सदस्य उत्सुक है । मुझे खेद इसी बात का है कि विगत काल में प्रतिवर्ष इस मँत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के लिये जितना समय निर्धारित किया जाता था उतना इस वर्ष नहीं किया गया ।

मेरी इच्छा थी कि मैं मंत्रालय की ओर से सभा को उत्तर देते समय सर्व प्रथम उसी बात पर बोलता जिसका श्री रंगा ने उल्लेख किया था । किन्तु दुर्भाग्य से वह सभा में अनुपस्थित हैं। इस लिये मेरा विचार है कि मैं श्री रंगा के लौटने तक, यदि वह आयें तो, इस विषय पर न बोलूं। गत कई वर्षों से, सभा में और सभा के बाहर, इस मंत्रालय पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह मंत्रालय उन लोगों के आर्थिक विकास पर, जिनका भार इसके ऊपर है, पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा। इस लिये इस वर्ष मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करूंगा । मैं सहकारिता से आरम्भ करके सामुदायिक विकास पर समाप्त करूंगा । मैंने सहकारिता इसलिये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब भी अधिकांशतः भारत की अपेक्षाकृत गरीब और असहाय जनता बसी हुई है, हम केवल सहकारिता के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं ।

मैं सभा को कुछ सांख्यिकी के उद्धरण पढ़ कर सुनाऊंगा । लोग कहते हैं कि सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है । निश्चय ही विशेषज्ञों को भ्रमित नहीं किया जा सकता ; किन्तु संभव है कि सामान्य-जनों को भ्रांत किया जा सके । हमने काफी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं ; किन्तु यह हमारे द्वारा नहीं अपितु भारत के रक्षित बैंक द्वारा एकत्रित किये गये थे जिसका सामुदायिक विकास मंत्रालय से दूर का संबंध होने की भी कल्पना नहीं की जा सकती । उन आंकड़ों से, जिनको इस सभा में कई मित्रों ने उद्धृत किया है, और जो इस मंत्रालय द्वारा सभा को दिये हुए प्रतिवेदन में ब्योरेवार दिखाये गये हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गत दस वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति होती है । तथापि, जब हम महत्वपूर्ण प्रगति की बात करते हैं, तब हमें इस बात को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये कि कहां प्रगति हुई है और कहां नहीं हुई । क्योंकि यदि हमें यहां सभा में इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि इस सहकारिता आन्दोलन में क्या कमियां हैं और क्या करने की अपेक्षा है, तो मंत्री और मंत्रालय को काफी असुविधा होगी । आखिर प्रजातन्त्र में मंत्री उतना ही कर सकता है जितना सदस्य उसे करने दें, और समझ बूझ द्वारा उसके कार्य का समर्थन करें । प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की सदस्य-संख्या में प्रगति करने और वर्ष-प्रतिवर्ष दिये जाने वाली कुल ऋण-राशि को देखते हुये लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । १० वर्ष पूर्व की तुलना में यह सफलता निश्चय ही उल्लेखनीय है । सहकारी संस्थाओं की संख्या, समिल्लित की जाने वाली कृषि परिवारों की प्रतिशतता, ऋण देने और ग्राम में प्रारंभिक सहकारी संस्थाओं से संबंधित अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वह काफी संतोषप्रद हैं । पूर्ण आशा है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जायेगा । फिर भी सहकारी ऋण का कार्य हाथ में लेकर हमने सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं किया है । जब तक सहकारी ऋण का संबंध विपणन परिष्करण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि की आवश्यकताओं और सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण कृषकों के लिये की जाने वाली सेवाओं से स्थापित नहीं कर दिया जाता तब तक यह स्वयं अधिक लाभप्रद नहीं है । विपणन के क्षेत्र में, मुझे कहते हुए खेद होता है, कि हम उतनी सफलता प्राप्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सु० कु० डे]

नहीं कर सके जितनी हमें करनी चाहिये थी। परिष्करण के क्षेत्र में भी हम अधिक कुछ नहीं कर सके। इसका एक मात्र अपवाद सहकारी चीनी कारखाने हैं जहां प्रगति वस्तुतः उल्लेखनीय हुई है। इसके संबंध में वास्तव में देश को गर्व हो सकता है। कपास की धुनाई और परिष्करण के क्षेत्र में भी काफी सफलता प्राप्त की गयी है। किन्तु प्रमुख परिष्करण क्षेत्र, तेल निकालना, धान और मूंगफली का छिलका उतारना आदि में हमारी सफलता नगण्य है। इसी कारण लखनऊ में, जिसका उल्लेख श्री रंगा तथा अन्य सदस्यों ने किया, हमें इतने स्पष्ट रूप में कहना पड़ा।

राज्यों से आये सहकार मंत्रियों के बीच हमें वह आत्मतुष्टि की वे-सब भावनायें छोड़ देनी पड़ीं जो कुछ वर्षों से सहकारी ऋण के क्षेत्र में सापेक्ष सफलता के कारण पैदा हो गई थी। मुझे यह बताते हुए प्रशन्नता होती है कि वहां परस्पर खुल्लम खुल्ला बातचीत करने से सहकारी आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगों को जो सरकार में हैं या गैर-सरकारी संगठनों में यह महसूस हो गया है कि यदि हमें इस आंदोलन का वास्तविक प्रभाव डालना है तो माल तैयार करने और विपणन में सहकारिता को महत्व देना होगा। हमने यह भी अनुभव किया है कि हम संघ या सरकार में चाहे कितना संकल्प करें कि दरिद्र लोगों को सहायता देंगे किन्तु संयुक्त सहकारी मामले और एक ओर ऋण देने के विशेष उपायों और गावों के बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के बिना यह व्यय नहीं हो सकता। सहकारी फर्म के सम्बन्ध में बड़ी अजीब बात हुई है कि जब हमने इस की बातचीत शुरू की तो जमीदारों के समर्थकों ने इस सिद्धांत में निहित अन्याय के विरुद्ध खूब बावेला उठाया। जब प्रधान मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार किसी सहकारी कार्य में सम्मिलित होने के लिये मजबूर नहीं करेंगी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अब जब कि हम ने प्रमाणित कर दिया है कि इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा और छोटे छोटे कृषक स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस सभा के काफी सदस्यों ने बिना किसी सरकारी व्यक्ति की सहायता के स्वयं दलों में जा कर सहकारी फार्म का काम देखा है तो वे कहने लगे हैं कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था स्वयं उसे पूरा न करने के लिये प्रयत्नशील है।

मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा विचार नहीं है और विशषतः छोटी जोत के और भूमिहीन किसानों के लिये तथा ऐसे जमीदारों के लिये जो सदियों से अपने भाइयों का शोषण करते रहे हैं किन्तु अब पश्चाताप के लिये उन के प्रति न्याय करना चाहते हैं लक्ष्य का पालन करना चाहती हैं और यह सर्वथा स्वेच्छा के आधार पर किया जायेगा। प्रारम्भ में हमने इस बारे में बातें अधिक की थीं अतः अब हम बातों की बजाय इसे करके दिखाना चाहते हैं।

मंत्रालय कुछ समय तक निहित स्वार्थों की शत्रुता से मुक्त रहा किन्तु ज्योंही चीनियों ने आक्रमण किया सरकार ने शीघ्र ही उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने का विशष कार्यक्रम निश्चित किया और शीघ्र युगों पुराने शैतानों, बिना किसी तर्क या कारण के इस पर आक्षेप शुरू कर दिया है।

†**श्री थिरुमल राव** (काकिनाडा) : मंत्रालय की सफलताओं के आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : आंकड़े और तथ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में दिये गये हैं जो पर्याप्त हैं।

सहकारी कार्य योजना में ७००, ८०० फार्म प्रयोगात्मक परियोजना के अन्तर्गत और ७००, ८०० फार्म गैर-परियोजना के हैं। लखनऊ सम्मेलन के उपरांत हमने यह भेद समाप्त करने का निश्चय

†मूल अंग्रेजी में

किया है ताकि राज्य सरकारों को उनके संचालन में सुविधा हो। हमें आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम एक हजार फार्म स्थापित हो जायेंगे।

मुझे विश्वास है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों का सभा समर्थन करेगी। पांच मास पूर्व हमने निश्वास किया था ४००० छोटे स्टोर और २०० थोक स्टोर लगभग ३ वर्ष में स्थापित किये जाये। मंत्रालय ने योजना आयोग से यह कहने का अनधिकार प्रयत्न किया था कि वे यह ध्यान रखें कि हम आपातकाल में से गुजर रहे हैं। यदि इन स्टोरों से मूल्य नियंत्रित रखने और मुनाफा खोरों पर रोक लगाने का प्रभाव पड़ना है तो इस काम को तेजी से करना चाहिये। तीन महीनों में ७० थोक और ७०० छोटे सहकारी स्टोर स्थापित किये जा चुके हैं और इस प्रकार एक वर्ष ३ मास में देश भर में २५० थोक और ४००० या अधिक छोटे सहकारी स्टोर स्थापित किये जाने की आशा है। इन्हें ५००० की आबादी के नगरों में स्थापित किया जायेगा।

चूंकि देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है अतः वहां के लोगों के लिये भी कुछ होना चाहिये। हमने गावों के लिये अलग स्टोर तो स्थापित नहीं किये किन्तु हमने कह दिया कि हम विपणन समितियों, विपणन संघों और प्रारम्भिक सहकारी समितियों को सहायता देंगे। धीरे धीरे उनकी रुचि के अनुरूप सहकारी समितियां फैला दी जायेंगी। इस प्रकार ये समितियां थोक स्टोरों की सहायता गांवों की सहायता करती रहेंगी। इस विचार से कि ये थोक स्टोर मुनाफा खोरों के हाथ न पड़ जायें सरकार विशेष अभिकरण और कपड़े आदि का रक्षण कर रही है। हर ५०० परिवारों के लिये छोटी उपभोक्ता समिति होगी। सदस्यता के लिये कोई शर्त नहीं है।

सरकार थोक स्टोरों को आवश्यक वस्तुयें जैसे दवाइयां, साबुन, तेल, वस्त्र आदि का संभरण करती है और वह इन्हें सरकारी और गैरसरकारी उद्योग क्षेत्रों से प्राप्त करती हैं। बहुत से निर्याताओं ने इसका स्वागत किया है।

जब तक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता नहीं होती तब तक यह विचार पनप नहीं सकता। इसे कृषि तक सीमित रख कर हम सहकारी समाज के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अतः कुछ समय पहले हमने योजना आयोग के सहयोग से छै कार्यकारी दलों की स्थापना की थी ताकि वे भविष्य के लिये और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक सहकारी समितियां, परिवहन, डेरी, मत्स्यपालन, आवास उद्योग, रेलवे, डाक तार आदि के लिये जिनका संचालन केन्द्र द्वारा किया जाता है तीसरी योजना के उपबंधों के भीतर वर्तमान के लिये सहकारिता की क्षमता जानने के हेतु अध्ययन करे। इन दलों का प्रतिवेदन मिलने पर ये मंत्रालय, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय और योजना आयोग मिल कर भविष्य के लिये सहकार की समुचित और एकीकृत व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि तीसरी योजना में सहकार का विकास हो और विशेष रूप से चौथी और पांचवी योजना के लिये सहकार का विशेष क्षेत्र तैयार हो जाये।

सहकारिता को समझे बिना इसका विकास नहीं हो सकता अतः हम इस पर बल देते रहे हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में सरकारी कार्यकर्ताओं, सहकारी संस्थाओं और जन सामान्य के कार्यों के बारे में शिक्षा दी जाये। किन्तु इसे लोगों का अंदोलन बनाने के हेतु इस शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय सहकारी संघ को सौंपा गया जो अब राजकीय सहकारी समिति है। यह भी निश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कालिजों में सहकारिता का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाये और व्यवहार में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है और सहकारी स्टोर खोले जा रहे हैं ताकि छात्रों को आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती मिल सकें।

[श्री सु० कु० डे०]

व्यापार में सहकारी उपभोक्ता स्टोरों का एकाधिकार नहीं होगा। भारत में जहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था है सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में ठीक सन्तुलन होना चाहिये। सहकारी क्षेत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही इसका प्रभाव सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों पर पड़ेगा। सहकारी आंदोलन का निर्माण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस पर निर्भर करता है कि हम कहां तक अर्थ व्यवस्था के हर क्षेत्र में एकीकृत सहकारी विकास पैदा करते हैं। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सहकारिता आन्दोलन से संतुलन पैदा किया जा सकता है और यह प्रगति का द्योतक है ।

कुछ समय पहले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अधिनियम द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी पहली बैठक में यह इच्छा, प्रकट की गई कि बोर्ड में अधिक लोग गैर-सरकारी होने चाहियें। चार कार्यकारी समितियां स्थापित कर दी गई हैं जिन में गैर सरकारी प्रतिनिधि अधिक हैं। जब सहकारी क्षेत्र के मुख्याधिकारी मंत्री थे तो वहां अराजकता फैली हुई थी। दो मास पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि तीन ही मंत्री सहकारी आंदोलन में रह गये हैं। वास्तव में आठ थे किन्तु उसका प्रभाव अच्छा पड़ा और दो महीनों में ही सब मंत्रियों ने पदत्याग कर दिया। सहकारी संस्थाओं का आचरण अच्छा रहे इसके लिए मंत्रालय तभी सहकारी संस्थाओं पर दबाव डाल सकेंगे जब लोग संसद् और विधान मंडल इस के प्रति सतर्क रहेंगे। विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के जितने मामले लाये जायेंगे उतना ही अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। जब संसद् सस्दस्य संसद् सभा के स्थगन पर अपने राज्यों में जायें तो विधान मंडलों के सदस्यों को भी यह बताये क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्य विधान मंडल भी सतर्क रहें।

अभी तक कई सहकारी कर्मचारी सहकारी आंदोलन के प्रमुख पदों पर हैं किन्तु अब संसद् की भावनाओं को भली प्रकार समझा जाना है। और राज्यों ने आश्वासन दिये हैं कि वे विधान में आवश्यक परिवर्तन करेंगे ।

सहकारिता विभाग के कार्य द्वारा पिछले चार वर्षों में विभिन्न सहकारी क्षेत्रों में काफी सुधार किया गया है और यह अधिक स्पष्ट रुप में समझा जाने लगा है कि वास्तव में सहकारी समाज का स्वरुप क्या होगा ।

इस कार्य में सत्यनिष्ठा के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत सम्मान की अधिक आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि देश भर में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार और दुराचार समाप्त हो जाय किन्तु उनका संचालन करने वाले भले बुरे सभी प्रकार के लोग हैं जिन का प्रभाव पड़ना आवश्यश्यम्भावी है। निस्संदेह मंत्रालय और संसद् कार्यशील रहेंगे कि इस कार्य में सत्यनिष्ठा और कुशलता पैदा हो। आशा है अगली बैठक में हम विपणन आदि में काफी प्रगति दिखा सकेंगे और उपभोक्ता सहकारी समितियों को देश भर में जो समर्थन प्राप्त हुआ है उस से इस क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण प्रगति दिखा सकेंगे. ।

सिद्धांत की दृष्टि से सभी राज्य सहकारिता को स्वीकार करते हैं। किन्तु जहां लोक मत में इस के प्रति आग्रह नहीं है वहां कार्यों को प्राथमिकता देते समय सहकारिता का महत्व नहीं रहता। पूर्वी राज्यों को इस सम्बन्ध में सहायता की आवश्यकता है और इसके लिए योजना आयोग से १ करोड़ रुपया प्राप्त करना होगा। एक वर्ष बाद वे राज्य इस राशि को उपयोग में लाने के लिए कार्यक्रम बना सके हैं। लोगों का आंदोलन तो लोकमत से ही विकसित हो सकता है। अब तुलना और प्रतियोगिता की भावना से राज्यों में सहकारिता के प्रति जाग्रति पैदा हो रही है।

सामुदायिक विकास के ११ वर्ष के इतिहास को देखें तो यह कार्य चार दौरों में से गुज़रा है। पहले दौर में सरकार द्वारा लोक हित का कार्य किया गया किन्तु यह अनुभव किया गया कि ऊपर से हित का कार्य नहीं हो सकता। १९५० में दूसरे दौर में खण्ड स्तर पर नाम निर्दिष्ट सदस्यों को सरकारी कर्मचारियों को सहायता दी गई। यह परामर्श एक और था किन्तु प्रायः अच्छे परामर्श पर ध्यान नहीं दिया जाता था और बुरे परामर्श को अकर्मण्यता के पक्ष में तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। १९५९ में प्रतिनिधि दौर आरम्भ किया गया और पहले राजस्थान में और फिर अन्य राज्यों में पंचायत राज्य आरम्भ किया गया। अब नया दौर आरम्भ हुआ है और संभवतः चीन के आक्रमण से यह काम तेज हो गया है। हम ने अब ग्रामीण स्वयंसेवी दल की स्थापना की है जिसका उद्‌घाटन २६ जनवरी, १९६३ को प्रधान मंत्री ने किया था। यह कार्यक्रम धीरे धीरे किन्तु स्थिर रुप से बढ़ रहा है। इस दल की सहायता से हम आशा कर रहे हैं कि गांवों की महिलाओं और युवकों में आंदोलन का प्रारम्भ होगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साहित्य के अध्ययन से हमें इस विचित्र बात का पता लगा है कि किसी विचार को कार्यान्वित करने में ३–४ वर्ष लग जाते हैं। जिस कार्यक्रम से सभा को और देश और विदेश में लोगों को इतनी आशा है वह जादू की छड़ी से तो पूरा नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा ने मेरी ऐसी प्रशंसा की है जिस के लिए मैं हकदार नहीं। क्योंकि यदि मुझे इतने अधिकार प्राप्त होते कि मैं यहां बटन दबाता और सभी पंचायतों में मेरी ध्वनि मुखरित हो जाती तो पंचायत राज्य का कुछ और स्वरुप होता।

मैं उस महान् व्यक्ति के इस प्रस्ताव को नहीं समझ सका कि संसद् का निर्वाचन भी सामान्य रीति से होना चाहिये, राज्य विधान मंडल का भी सामान्य रीति से किन्तु जब गांव के लोग अपने नित्य प्रति के काम के लिए निर्वाचन करें तो वह लाटरी से किया जाय अर्थात् वे निर्वाचन करने के अयोग्य हैं।

कुरुक्षेत्र का उद्धरण ऐसे रूप में दिया गया है कि जैसे मंत्रालय ने पंचायत राज्य के विरुद्ध विचार प्रस्तुत किये हों। उस लेख के शीर्षक से ही पता लग जाता है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पंचायत राज सम्बन्धी वाद-विवाद पर आधारित है। हम ने दोनों पत्रों को प्रस्तुत कर के उदारता दिखाई है।

सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के पद-निर्देश थोड़े हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। मंत्रालय को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना करनी थी।

दूसरा पद-निर्देश यह है कि इसे लोगों के संगठन, सहकारी समितियां, पंचायत राज, युवक संगठन, महिला संगठन स्थापित करने हैं जो लोगों की ओर से विकास कार्य को कर सके। फिर सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है लोगों में इसे स्वीकार करने की भावना पैदा करनी है और कामों में सुधार करना है। इसे निचले स्तर पर विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय पैदा करना चाहिये। इसे राज्य और केन्द्र के अधिकारों के द्वारा उन लोगों के लिए वकील के रुप में काम करना है जो अपनी बात कहने में भी लाचार हैं।

हम ने प्रायः ५१०० खण्ड स्थापित किये हैं जिन में से कुछ पूर्व विस्तार खण्ड, कुछ प्रथम दौर के खण्ड कुछ दूसरे दौर के और कुछ दूसरे दौर के बाद के खण्ड हैं। इन सब में विहित पद्धति के अनुरुप कर्मचारी रखे गये हैं। शिकायत हैं कि खण्डों में अत्यधिक कर्मचारी हैं। मैं लोगों के मन को शुद्ध कैसे कर सकता हूं। प्रविधिक कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल खण्ड विकास अधिकारी

[श्री सु० कु० डे०]

है जिसे विभिन्न अभिकरणों के कार्य में समन्वय करना होता है विस्तार अधिकारी राज्यों के प्रविधिक विभागों का प्रतिनिधि है जिन्हें विशिष्ट विभागों की विशिष्ट सेवा में लोगों तक पहुंचानी होती हैं। ६०,००० से ७०,००० लोगों तक के लिए एक डाक्टर तो कोई अधिक नहीं है।

†श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुंजा) : पर तुमने तो डाक्टरों के स्थान पर खण्ड अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं ।

†श्री सु० कु० डे : यह दुर्भाग्य की बात है कि डाक्टरों की अभी कमी है, परन्तु इस बात पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। लगभग ६०,००० से ७०,००० लोगों तक के लिए हम ने एक कृषि विस्तार अधिकारी और पशुपालन अधिकारी की व्यवस्था की है। एक समाज शिक्षा अधिकारी और ३५,००० औरतों के लिए एक मुख्य सेविका का प्रबन्ध किया है। यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की बातों की देहाती इलाकों में बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं ग्रामों में लगाये गये ये लोग विस्तार अधिकारी और ग्राम सेवक वह सब कुछ करें जो कि उन के जिम्मे डाला गया है। इस के लिए भर्ती भी वही लोग करते हैं जिनकी अर्हताय तकनीकी होती हैं। तकनीकी संस्थाओं का भी काफी सुधार किया जा रहा है ताकि वे ठीक ढंग से प्रशिक्षण दे सकें। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी लोग एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि दृष्टिकोणों और विचारों का परस्पर समन्वय हो। लोगों के जोश का ठीक ढंग से संचालन करने के लिए ही तो हम ने पंचायत राज्य का कार्यक्रम चालू किया है।

यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग पंचायत राज का संचालन कर रहे हैं उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। यह कहा गया है कि वे खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मूर्ख बनाये जा रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के पास न इतनी शिक्षा है और न उन्हें इसे कार्य में इतनी लगन ही है। अब यदि चुने हुए लोग भी ऐसे होंगे तो इस का मैं क्या उत्तर दे सकता हूं। परन्तु फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन निर्वाचित हुए पंचायती राज कार्यकर्ताओं जैसे पंचायतों के अध्यक्षों, पंचों, सरपंचों आदि के प्रशिक्षण के लिए संस्थाये स्थापित की हैं। १५० प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है, और अधिक की भी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों को गैर सरकारी देखरेख में रखा जा रहा है ताकि कार्यकर्ता गैरसरकारी लोगों और सामाजिक काम करने वाले लोगों को खुल कर मिल सकें। हम ने श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में अखिल भारतीय पंचायती परिषद् के अधीन पंचायती राज के लिए एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है। पंचायत राज संस्थाओं और पंचायतों के सचिवों को भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और जो कुछ सम्भव है कर रहे हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

हम ने नौ राज्यों में पंचायती राज चालू कर दिया था। अभी कुछ ही दिन हुए यह कार्यक्रम गुजरात में भी आरम्भ कर दिया गया है। बिहार राज्य में यह कार्यक्रम १५ अगस्त से चालू कर दिया जायेगा। पहिले यह ९ जिलों में चलेगा फिर एक वर्ष के बाद शेष १३ जिलों में चालू हो जायेगा। बिहार राज्य के मुख्य मंत्री ने यह भी आश्वासन दे दिया कि राजस्व कार्य को विकासकार्य से अलग रखा जायेगा।

महिलाओं का कार्य और युवक कार्यक्रमों का बड़ा महत्व है। दस वर्ष पूर्व हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि औरतों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लगाया जायेगा। शिक्षा मंत्रालय की

†मूल अंग्रेजी में

कृपा से सभी स्थानों पर स्कूल खुल रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की भर्ती काफी अच्छी है। ६ से ११ वर्ष की आयु की लगभग ४० प्रतिशत लड़कियां इन स्कूलों में प्रवेश ले लेती हैं। इस का एक लाभ यह हुआ है कि विकास खण्डों में महिला कार्यकर्त्रियों की अब कमी नहीं रही। औरतों में काम करना बहुत कठिन है। ग्रामों में अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। देश में ऐसी पंचायतें भी हैं जहां केवल महिलायें ही कार्य करती हैं। प्रत्येक पंचायत समिति और ज़िला परिषद् में सम्बद्ध महिला सदस्य हैं। ग्राम पंचायतों में काफी संख्या में महिलायें भी हैं और पर्दा शनैः शनैः हटता जा रहा है।

गत वर्षों में हमें कृषि कार्य की ओर ध्यान देने को कहा गया है। हम अब कृषि कार्य पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम ने राज्य सरकारों को कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सेवकों को कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लगाया जाय। कृषि कार्यक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हम ने सामुदायिक विकास के आय व्ययक के ढंग में भी तबदीली कर दी है। संकट काल के समय से, संरक्षित खाद्य, वनस्पति के उत्पादन, फलोत्पादन, कुक्कुट पालन तथा मछली पालन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। १२ लाख के बजट से ३.४० लाख कृषि के लिए था परन्तु अब हम ने इसे बढ़ा कर ४.५० लाख कर दिया है। मछली पालन के लिए उड़ीसा राज्य में ४८,००० ग्राम सरोवर ग्राम पंचायत को दे दिये गये हैं। दो वर्षों में ३०० लाख टन मछली की व्यवस्था हो जायेगी। राजस्थान में सरावरों और तालाबों की कमी है।

प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी और गैर सरकारी लगभग सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हैं। लगभग १०० केन्द्र ग्राम सेवकों के, और लगभग ५० केन्द्र ग्राम सेविकाओं के लिए हैं। १० विकास खण्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र हैं। एक सामुदायिक विकास के अध्ययन और गवेषणा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय परिषद् है। इसी तरह ग्राम स्वयं सेवक बल में लगभग १०० लाख युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही हम "प्रतिरक्षा क्रय बैंक" भी स्थापित कर रहे हैं। आज की आपातकालीन स्थिति समाप्त हो गयी तो इन बैंकों को ग्राम्य श्रम बैंक बना दिया जायेगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह होगा कि ग्रामीण जनता के श्रम का समुचित उपयोग किया जा सकेगा। इन कार्यों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो वे सब की सब निराधार है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के बारे में, मैं चाहता हूं कि सदन को पूरी बात समझाना चाहता हूं। इसके लिए कार्यक्रम चालू करने के लिए जो धन मैंने मांगा है वह मुझे दिया जाय। ताकि इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने के मार्ग में कुछ रुकावट हैं। कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें हल करने के पूरे प्रयत्न किये जायेंगे। देहाती क्षेत्र में एक नयी जागृति पैदा की जानी है। कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। हमें अभी पंचायती राज संस्थाओं में उपयुक्त प्रोत्साहन लागू करना है। लोगों में लोकतंत्रीय नेतृत्व करने की भावना के निर्माण करने की दिशा में प्रयत्नशील होना है। हमें ऐसे उपाय निकालने हैं कि पंचायतों को प्रोत्साहन दें और जो भी कोई दुर्व्यवहार करे उसे समुचित दंड दिया जा सके। यदि लोकतंत्रात्मक नेतृत्व को नीचे से ही पैदा होना है, तो उच्च स्थानों पर स्थित लोकतंत्री नेताओं को निम्न स्तर पर लोगों को पूरी तरह का प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि लोकतंत्रात्मक संस्था किस प्रकार चल सकती है।

एक अन्य कार्यक्रम की दिशा में भी हम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वह कार्यक्रम है ती औद्योगीकरण। इस जटिल कार्यक्रम के रास्ते में बहुत ही कठिनाइयां अथवा रुकावटें थीं। जना आयोग ने अपनी देख रेख में ४७ चुने हुए जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। सभी

प्रयत्नों के बावजूद इस बारे में कोई विशेष प्रगति न हो सकी। कृषि में तो प्रगति हुई क्योंकि भूमि उठाकर नगरों में तो नहीं ले जायी जा सकती। ग्रामीण औद्योगीकरण के बारे में प्रमुख कठिनाई कच्चे माल की कमी, उचित परिवहन और बिजली का नितान्त अभाव इत्यादि है। हम ने इन सभी कठिनाइयों को विभिन्न प्रयत्नों द्वारा दूर करने का यत्न किया है।

इसी तरह वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया है। परन्तु लोग काफी पिछड़े हुए हैं अतः काफी कठिनाइयां आ रही हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा सहकारिता क्षेत्र में हमें महन्तों, महन्तशाही, सामन्तों और सामन्तशाही के विरुद्ध लड़ना है। ये लोग लोगों का काफी खून चूसते हैं। इस बात का मुझे सन्तोष है कि भारत का ग्रामीण काफी प्रगतिशील सिद्ध हो रहा है। असफलताओं के बावजूद जो सफलता हम ने प्राप्त की है वह कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोगों के व्यापक सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राज्यों, ज़िलों तथा ग्रामों तक फैलाया जाये। यदि यह कार्यक्रम फैला तो मुझे विश्वास है कि नयी नयी दिशाओं में नये नये नेता निकलेंगे और देश का भाग्य बदल देंगे। आशा है कि आगामी वर्ष बजट के समय मेरा मंत्रालय और अधिक सफलता के साथ आप के समक्ष आयेगा। इन शब्दों से मैं अपना आभार प्रदर्शन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२६,८८,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता . .	३,६२,५२,०००
११४	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२९,३३,०००

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार ५ अप्रैल, १९६३/१५ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३

१४ चैत्र १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .	३३६३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या	
७०१ दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर .	३३६३–६४
७१७ दामोदर घाटी निगम की नहर	३३६४–६५
७०२ दुर्भिक्ष उन्मूलन . . .	३३६५—६७
७०५ डिब्बों पर औषधियों के मूल्य का लिखा जाना . . .	३३६७–६८
७०८ पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लिये संयुक्त विद्युत् 'पूल'	३३६९–७०
७०९ आयकर अपवंचन की शिकायतें	३३७०–७१
७११ आयुर्वेदिक स्नातक . . .	३३७१—७५
७१२ स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के अन्तर्गत घोषित सोना .	३३७५–७६
७१३ निक्षेप बीमा योजना . . .	३३७६–७७
७१४ नेपाल में भारतीय मुद्रा .	३३७७—७९
७१५ दिल्ली में बिक्री कर .	३३७९–८०
७१६ हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी .	३३८०–८१
७१८ दिल्ली का अत्यधिक विस्तार . .	३३८१—८३
७१९ वेतन पाने वाले व्यक्तियों का निर्वाह व्यय .	३३८३–८४
७२० कुष्ठ रोग का संचारण . .	३३८४–८५
प्रश्नो के लिखित उत्तर	३३७५—३४०४
तारांकित प्रश्न संख्या	
७०३ रेंड पनबिजली घर . .	३३८५
७०४ निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त प्रबन्ध . .	३३८५–८६
७०६ राजस्थान नहर परियोजना . .	३३८६
७०७ आयुर्वेद के ग्रन्थ . .	३३८७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४२१	तस्कर व्यापार . . .	३३८७
१४२२	उड़ीसा में गुप्त रोग चिकित्सालय . . .	३३८७–८८
१४२३	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई	३३८८–८९
१४२४	उड़ीसा में सिंचाई और बिजली परियोजनाएँ . . .	३३८९
१४२५	उड़ीसा में आय कर की बकाया राशि . . .	३३८९–९०
१४२६	उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया . .	३३९०
१४२७	भारत सहायता संघ . .	३३९०–९१
१४२८	दण्डकारक परियोजना	३३९१
१४२९	भारत नेपाल सीमान्त व्यापार पर शुल्क . . .	३३९२
१४३०	पूर्वी पाकिस्तान से आये संथाल शरणार्थियों का पुनर्वास . .	३३९२–९३
१४३१	पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी . .	३३९३–९४
१४३२	कलकत्ता का नगरीय विकास	३३९४
१४३३	भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का ऋण . .	३३९४–९५
१४३४	शाहदरा (दिल्ली) मांसिक चिकित्सालय . .	३३९५
१४३५	मन्त्रालयों का छपाई कार्य . .	३३९५
१४३६	श्रमजीवी महिलाओं के लिये होटल	३३९६
१४३७	स्वास्थ्य संस्थायें	३३९६
१४३८	व्यय कर	३३९६
१४३९	खेती के औजारो सम्बन्धी अध्ययन दल . . .	३३९७
४४०	मद्रास में ग्रामीण आवास योजनायें . . .	३३९७
१४४१	मेडिकल कालेज	३३९७–९८
१४४२	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन . .	३३९८
१४४३	सुनारों के लिये लाइसेंस शुल्क	३३९८
१४४४	मकान किराया भत्ता नियम . . .	३३९९
१४४५	मनीपुर में बिक्री कर की बकाया राशि . .	३३९९
१४४६	इम्फाल जल सम्भरण	३३९९
१४४७	भारत में लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें . . .	३४००
१४४८	कोल्हुओं पर लाइसेंस शुल्क	३४००
	ठेागुडम में तापीय सन्यन्त्र	३४००–०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४५१	तुंगभद्रा जल विद्युत् योजना	३४०१
१४५२	देहली में झुग्गियों का गिराया जाना	३४०२
१४५३	मुद्रा का तस्कर व्यापार	३४०२
१४५४	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये पानी की दरें	३४०२
१४५५	रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में नागरिक सुविधायें	३४०२–०३
१४५६	दिल्ली में परिवार नियोजन	३४०३
१४५७	गन्दे नालों के पानी से नदियों का दूषि होना	३४०३
१४५८	बिक्री कर का अपवंचन	३४०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४०४–०५

(१) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७६।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७७।

(ग) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४७८।

(घ) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७९ में प्रकाशित सीमा शुल्क बाण्डों का निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, १९६३।

(२) सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४८०।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४८१।

विषय पृष्ठ

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(४) उपहार-कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ के अन्तर्गत दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९१ में प्रकाशित उपहार-कर (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(५) नौ सेना अधिनियम १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०२ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौ सेना और भारतीय रक्षित नौसेना स्वयंसेवक (संशोधन) विनियम, १९६३ की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित ३४०५

बतीसवां प्रतिवेदन पुरुस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . ३४०५--०८

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने एक खान मालिक, जो कलकत्ता में रहते हुए उड़ीसा में खान का काम चला रहा है, के कुछ सौदों के सम्बन्ध में अपने नाम के उल्लेख के बारे में वक्तव्य दिया।

विधेयक पुरुस्थापित . . ३४०८

निर्यात (किस्म और निरीक्षण) विधेयक, १९६३।

अनुदानों की मांगें . . ३४०९--५६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३ / १५ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि--

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।

GMGIPND--LS II--177 (Ai) LSD--30-5-63--160.

अनुदानों की मांगें—(जारी) **पृष्ठ**

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—(जारी)

श्री सिरोडिया ३४३१
श्री राम भद्रन ३४३१-३२
श्री जेना ३४३२-३३
श्री दि० सिं० चौधरी . . . . ३४३३—३६
श्री मरंडी . . . . . ३४३६—३८
श्री बृज बिहारी महरोत्रा . . . . ३४३८—४१
श्री हनुमन्तैया . . ३४४१-४२
श्री तेर्नसिंह . . . . ३४४२—४४
श्री समनानी . . . . . ३४४४—४७
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा . . . . . ३४४७—४८
श्री रिशांग किशिंग ३४४८
श्री सु० कु० डे० . . . . . ३४४९—५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४५७—६०

PLS. 41. XVI. 34. 63.

160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।